स्थानः: ------------------

बंधक ऋण समझौता

आवेदक का नाम	:	______________________
ऋण खाता संख्या	:	______________________
निवास का पता	:	______________________

AXIS FINANCE

क्रमांक	अनुक्रमणिका
1	ऋण करार
2	सुविधा करार की शर्तों की अनुसूची
3	शुल्क की अनुसूची
4	परिभाषाएँ
5	सामान्य नियम और शर्तें
6	मुख्य तथ्य विवरण
7	संवितरण के लिए अनुरोध
8	बंधक के लिए घोषणा
9	अंतिम उपयोग घोषणा
10	शीर्षक विलेखों के जमा द्वारा बंधक दर्ज करने का ज्ञापन

AXIS FINANCE

सुविधा समझौता

कृपया निम्नलिखित सुविधा समझौते को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपके अधिकारों और दायित्वों के साथ-साथ सीमाओं और बहिष्करणों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप पर लागू हो सकते हैं।

इस समझौते पर हस्ताक्षर करके, आप बाध्य होने के लिए सहमति दे रहे हैं और इस समझौते के लिए एक पार्टी बन रहे हैं।

सस्ती/उप-किफायती आवास/संपत्ति पर ऋण (संपत्तियों) समझौते ("सुविधा समझौते" या "समझौते") के लिए यह ऋण समझौता ___________, 20____, ("प्रभावी तिथि") के इस ____ दिन को ____________ पर किया जाता है:

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अनुवाद एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 025, महाराष्ट्र में है और 01 वीं और 02 वीं मंजिल, ऋश्यामक बिल्डिंग, पंचकुइयां रोड, आर के आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली - 110001 (इसके बाद "(एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड " या "ऋणदाता" के रूप में संदर्भित, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है, कौन सी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ समझा जाएगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी, हस्तांतरणकर्ता और असाइन शामिल होंगे);

और

अनुसूची में अधिक विशेष रूप से वर्णित, एक व्यक्ति/एक एकल स्वामित्व वाली संस्था/एक कंपनी/एक सीमित देयता साझेदारी/साझेदारी फर्म/एक एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार)/एक ट्रस्ट/एक सोसायटी/व्यक्तियों का एक समूह, शर्तों की अनुसूची में अधिक विशेष रूप से वर्णित है, उधारकर्ता के रूप में (इसके बाद "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अभिव्यक्ति, जहां भी संदर्भ अनुमति देता है, उसका अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा और जहां संदर्भ को उसके उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और अनुमत असाइनमेंट आदि की आवश्यकता होती है।

ऋणदाता और उधारकर्ता को इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्ष" या "पक्ष" और व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" या "पार्टी" के रूप में संदर्भित किया जाता है जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है।

जबकि उधारकर्ता के अनुरोध पर, ऋणदाता ने अनुमति देना अंतिम उपयोग के लिए समय-समय पर ऋणदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुमत अंतिम उपयोग के लिए, अनुसूची(ओं) में निर्दिष्ट अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार के सृजन के खिलाफ, शर्तों की अनुसूची में उल्लिखित राशि का ऋण देने/प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है, सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार।

अब यह समझौता यहां के रूप में गवाह है और यह इसके द्वारा और ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच सहमति व्यक्त की जाती है कि पार्टियां सामान्य नियमों और शर्तों से बंधी होंगी, इसके बाद संलग्न शर्तों की अनुसूची के अलावा।

प्रमुख तथ्य विवरण

उधारकर्ता एतद्द्वारा पुष्टि करता है कि इस अनुबंध के निष्पादन से पहले, उधारकर्ता को वार्षिक प्रतिशत दर और पुनर्भुगतान/परिशोधन अनुसूची सहित प्रमुख तथ्य विवरण प्राप्त हुआ है जिसे अनुसूची V ("केएफएस") के रूप में संलग्न किया गया है और उधारकर्ता को ऐसे केएफएस की सामग्री को विस्तार से समझाया गया है और उधारकर्ता ने केएफएस को पढ़ा और समझा है। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि उधारकर्ता समझता है कि पुनर्भुगतान/परिशोधन अनुसूची समय-समय पर विभिन्न कारकों जैसे कि सुविधा के तहत संवितरण की राशि और समय, ब्याज दर में परिवर्तन/उतार-चढ़ाव, सुविधा के तहत/संबंध में चूक आदि के आधार पर बदल सकती है।

पुष्टीकरण

AXIS FINANCE

उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत होता है और स्वीकार करता है कि इस समझौते के सामान्य नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझाया गया है और उधारकर्ता ने सामान्य नियमों और शर्तों में निहित सभी प्रावधानों को पूरी तरह से पढ़ा, सत्यापित, समझा और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत और स्वीकार किया और वितरित किया है, और यह कि उधारकर्ता ने इस समझौते को स्वेच्छा से किए गए दायित्वों के पूर्ण ज्ञान और समझ के साथ निष्पादित किया है, सहमत हुए और स्वीकार कर लिया। इस करार की एक प्रति और सामान्य नियम व शर्तें ऋणकर्ता को सुपुर्द की जा रही हैं और उधारकर्ता इसकी प्राप्ति की पावती देता है।

AXIS FINANCE

अनुसूची I

सुविधा समझौते की शर्तों की अनुसूचियां

_______________, _____________ और ____________ (उधारकर्ता) और एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (ऋणदाता) के बीच सुविधा समझौते के 20___ (प्रभावी तिथि) _______________ के इस ____ दिन _______________ पर बनाई गई शर्तों की अनुसूचियां (अनुसूची), सामान्य नियम और शर्तों के अतिरिक्त हैं।

यहां निहित इन अनुसूचियों को समझौते के साथ पढ़ा जाएगा और समझौते और सुविधा की शर्तों का एक अभिन्न अंग होगा।

भाग ए: सुविधा विवरण

उधारकर्ता का व्यक्तिगत विवरण (कृपया बड़े अक्षरों में लिखें)

उधारकर्ता का विवरण 1				
नाम:	**वर्तमान पता:**			
कानूनी स्थिति:	**डाक पता:**			
पंजीकरण संख्या/आधार सं. (जैसा लागू हो):				
पैन:				
दूरभाष: **मोबाइल नं .:** **व्हाट्सएप नंबर:**	**ईमेल आईडी**		**फ़ैक्स**	
उधारकर्ता का विवरण 2 (यदि कोई हो)				
नाम:	**वर्तमान पता:**			
कानूनी स्थिति:	**डाक पता:**			
पंजीकरण संख्या/आधार सं. (जैसा लागू हो):				
पैन:				
दूरभाष: **मोबाइल नं .:** **व्हाट्सएप नंबर:**	**ईमेल आईडी**		**फ़ैक्स**	
उधारकर्ता का विवरण 3 (यदि कोई हो)				
नाम:	**वर्तमान पता:**			
कानूनी स्थिति:	**डाक पता:**			
पंजीकरण संख्या/आधार सं. (जैसा लागू हो):				
पैन:				
दूरभाष: **मोबाइल नं** **व्हाट्सएप नंबर:**	**ईमेल आईडी**		**फ़ैक्स**	

AXIS FINANCE

सुविधा (रु.)	
गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण:	जैसा कि इसके अंतर्गत भाग डी में निर्धारित किया गया है
सुविधा का लाभ उठाने का उद्देश्य:	
आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क (गैर-वापसी योग्य):	आवेदन शुल्क संपत्ति पर ऋण और गृह ऋण - 5000 तक/+लागू कर (प्रति संपार्श्विक) माइक्रो एलएपी और किफायती गृह ऋण - 2500 रुपये तक/+ लागू कर (प्रति संपार्श्विक) प्रसंस्करण शुल्क संपत्ति पर ऋण और गृह ऋण - 2% तक + लागू कर माइक्रो एलएपी और किफायती गृह ऋण - 3% तक + लागू कर इसके अलावा, जब तक कि उधारकर्ता(ओं) द्वारा पहले ही भुगतान नहीं किया गया हो, एएफएल पहला वितरण करते समय ऋण प्रसंस्करण शुल्क काटेगा।
सुविधा की अवधि:	(ऋणदाता के विवेक पर नवीकरणीय, जैसा कि नियम और शर्तों में विस्तृत है(
पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट अवधि	(क) 36 महीने की अवधि के लिए जहां गिरवी रखी गई संपत्ति निर्माणाधीन है; (ख) 90 दिनों की अवधि के लिए पिछले ऋणदाता से (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड में शेष राशि हस्तांतरण के मामलों के लिए जहां कोई भी वितरण के बाद का दस्तावेज लंबित है या टॉप अप ऋण राशि वितरित नहीं की गई है; (ग) 90 दिनों की अवधि के लिए जहां सुविधा का आंशिक किश्त वितरित किया जाता है जब तक कि उधारकर्ता द्वारा स्वीकृति पत्र और/या वित्त दस्तावेजों में बताए गए वितरण के बाद के दस्तावेजों को जमा नहीं किया जाता है जिसके बाद सुविधा का शेष किश्त वितरित किया जाएगा। (घ) 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी घटना में जहां सुविधा की कोई भी स्वीकृति शर्त उधारकर्ता द्वारा आंशिक रूप से वितरित किश्त के बाद पूरी नहीं की जाती है।
उपलब्धता अवधि:	इस समझौते के निष्पादन के ____महीने के भीतर सुविधा का लाभ उठाया जाएगा। इस अवधि के किसी भी विस्तार के लिए ऋणदाता का एकमात्र विवेकाधिकार होगा।
ब्याज दर:	समान मासिक किश्त के रूप में मासिक आधार पर देय _____% प्रति वर्ष
ब्याज प्रकार	**फ्लोटिंग -** ब्याज दर एएफएल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) की रेफरेंस दर से जुड़ी होगी - एएफएल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) आरआर उक्त ऋण के प्रथम संवितरण की तिथि पर लागू होगी। **निश्चित ब्याज दर**
दंडात्मक शुल्क:	**___________ (जैसा कि शुल्क अनुसूची में उल्लेख किया गया है)**
प्रशासनिक/सेवा शुल्क (ब्याज दर के रीसेट के लिए)	
वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर)	_______________% प्रति वर्ष
मूलधन स्थगन:	
न्यूनतम सुरक्षा कवरेज:	
किश्त का विवरण	(कृपया प्रत्येक किश्त के विवरण का उल्लेख करें, मामले में, संवितरण एक या कई किश्तों में किया जाएगा(
ब्याज दर में बदलाव के लिए संचार का तरीका:	ब्याज दर में किसी भी परिवर्तन की सूचना उधारकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल पते पर एसएमएस और ईमेल दोनों के माध्यम से की जाएगी, जो कि ऋणदाता की फ्लोटिंग ब्याज दरों के पुनः सेट करने की नीति के अनुसार होगी। खाता का अद्यतन विवरण https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से डाउनलोड किया जा सकता है।"

AXIS FINANCE

स्टाम्प शुल्क और अन्य वैधानिक शुल्कः	वास्तविक पर
वह तिथि जिस पर वार्षिक बकाया शेष विवरण जारी किया जाएगाः	अगले वित्तीय वर्ष के 15 अप्रैल तक।
फौजदारी (पूर्ण पूर्व-भुगतान) पत्र जारी करनाः	फौजदारी (पूर्ण पूर्व-भुगतान) पत्र जारी करना ग्राहक के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।
ओवरड्राफ्ट सीमाः	
ओवरड्राफ्ट का कार्यकालः	
वार्षिक रखरखाव शुल्क-	
गैर-उपयोग शुल्क/प्रतिबद्धता शुल्क-	

भाग बी: केएफएस (मुख्य तथ्य विवरण) के अनुसार पुनर्भुगतान अनुसूची/परिशोधन अनुसूची

भाग I - पुनर्भुगतान शर्तें

ऋण खाते में क्रेडिट की आवधिकता	ऋण खाते में क्रेडिट की आवधिकताः किसी महीने में खाते में प्राप्त पुनर्भुगतान को प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रभावी किया जाएगा
टर्म लोन के लिए	
समान मासिक किश्त	
समान मासिक किस्त देय तिथि/ पुनर्भुगतान तिथि	
टर्म लोन के लिए पुनर्भुगतान और आवृत्ति	बंधक ऋण की अवधि के दौरान समान मासिक किस्तों में
पुनर्भुगतान अनुसूची	अस्थायी पुनर्भुगतान अनुसूची केएफएस (मुख्य तथ्य विवरण) के अनुसार होगी और अद्यतित पुनर्भुगतान अनुसूची https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html पर उपलब्ध होगी
ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए	
पुनर्भुगतान राशि	(ओडी) ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी।
अंतिम तिथि	हर महीने की पहली तारीख
पुनर्भुगतान तिथि (रियायती अवधि के साथ)	हर महीने की 5 तारीख
सीमा समाप्ति तिथि	हर महीने की 1 तारीख। ब्याज प्रत्येक महीने के अंतिम दिन लिया जाएगा
गिरावट की सीमा राशि	हर महीने ड्रॉप लिमिट स्वीकृत लिमिट के बराबर होगी, जिसे (ओडी) ओवरड्राफ्ट सुविधा के कार्यकाल से विभाजित किया जाएगा। उदाहरण - यदि स्वीकृत सीमा 12,00,000 रुपये है और आपका ऋण कार्यकाल 5 वर्ष (60 महीने) है, तो हर महीने लिमिट ड्रॉप 20,000 रुपये (12,00,000 / 60) होगा।

AXIS FINANCE

पुनर्भुगतान अनुसूची	अस्थायी पुनर्भुगतान अनुसूची केएफएस (मुख्य तथ्य विवरण) के अनुसार होगी और अद्यतित पुनर्भुगतान अनुसूची https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html पर उपलब्ध होगी

(एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट / (एनपीए) नॉन परफॉर्मिंग एसेट वर्गीकरण का उदाहरण:

ऋण के तहत किसी भी राशि के भुगतान में देरी के मामले में, पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट , मूलधन या ब्याज भुगतान या आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय किसी अन्य राशि के भुगतान में देरी के मामले में, समय-समय पर संशोधित उधारकर्ता के ऋण खाते को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाएगा:

(एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय
(एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट -0	30 दिनों तक
(एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट -1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
(एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

(ओडी) ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ (एनपीए) नॉन परफॉर्मिंग एसेट वर्गीकरण में परिवर्तन ((ओडी) ओवरड्राफ्ट उत्पाद के अनुसार फिर से परिभाषित किया जाना है):

(एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट -0	30 दिनों तक
(एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट -1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
(एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उधारकर्ता के किसी भी खाते (ऋण खाता और/या (ओडी) ओवरड्राफ्ट खाता) को (एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट /(एनपीए) नॉन परफॉर्मिंग एसेट
घोषित किया जाता है, तो उधारकर्ता के दूसरे खाते को भी (एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट /(एनपीए) नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाएगा।

उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन-अंत प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तारीख 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह लगातार अतिदेय रहता है, तो यह खाता 30 अप्रैल, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर SMA-1 के रूप में टैग किया जाएगा, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

भाग II - किश्तों की अनुसूची

किस्तों की अनुसूची/पुनर्भुगतान अनुसूची केएफएस (मुख्य तथ्य विवरण) के अनुसार होगी और किस्तों की अद्यतित अनुसूची/पुनर्भुगतान अनुसूचियाँ https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html पर उपलब्ध होंगी।

नोट: ऋण बंद होने की परिपक्वता तिथि और अंतिम मूल चुकौती किस्त राशि प्रारंभिक संवितरण की वास्तविक तिथि पर निर्भर करेगी।

भाग सी: नोटिस के लिए पता

ऋणदाता को	ग्राउंड फ्लोर, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400025, महाराष्ट्र

AXIS FINANCE

उधारकर्ता(ओं) को	ऊपर दर्शाए गए मेल पते पर
अन्य ऋणी (यदि कोई हो) को	

भाग डी: बंधककर्ता(ओं) और गिरवी रखी गई संपत्ति(यों) का विवरण

ऋणी	सुरक्षा का विवरण

अनुसूची II

शुल्क की अनुसूची *

ऋण पर लागू शुल्कों की अनुसूची, निम्नानुसार, समय-समय पर (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के विवेक पर परिवर्तन के अधीन है और उधारकर्ता को पंजीकृत संपर्क नंबर और ईमेल पर पंजीकृत ईमेल आईडी या कॉल पर (एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट स/व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट की जाएगी या वेबसाइट http://www.axisfinance.in पर अपडेट की जाएगी। नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार शुल्कों पर लागू कोई भी (जीएसटी) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उधारकर्ता द्वारा देय होगा।

लेन-देन	**शुल्क**
आवेदन शुल्क **और प्रसंस्करण शुल्क** **(गैर-वापसी योग्य):**	**आवेदन शुल्क** **संपत्ति पर ऋण और गृह ऋण** - 5000 तक/+लागू कर (प्रति संपार्श्विक) **माइक्रो एलएपी और किफायती गृह ऋण** - 2500 रुपये तक/+ लागू कर (प्रति संपार्श्विक) **प्रसंस्करण शुल्क** **संपत्ति पर ऋण और गृह ऋण - 2% तक + लागू कर** **माइक्रो एलएपी और किफायती गृह ऋण - 3% तक + लागू कर** **इसके अलावा, जब तक कि उधारकर्ता(ओं) द्वारा पहले ही भुगतान नहीं किया गया हो, एएफएल पहला वितरण करते समय ऋण प्रसंस्करण शुल्क काटेगा।**
आंशिक-पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) **या** **कुल बकाया ऋण राशि/ वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा) पर फोरक्लोजर (पूर्ण पूर्व-भुगतान) शुल्क**	**शुल्क निम्नलिखित पर लागू हैं:** 1. **आंशिक-पूर्व भुगतान (आंशिक रूप से भुगतान की जा रही राशि पर)** 2. **बंधक मुक्ति (पूर्ण पूर्व-भुगतान) कुल बकाया ऋण राशि/वर्तमान सीमा पर (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा)** **लागू शुल्क:**

AXIS FINANCE

	फ्लोटिंग ब्याज दर के तहत ऋणों के लिए 1. यदि प्राथमिक आवेदक गैर-व्यक्ति है (गृह ऋण, एलएपी, माइक्रो एलएपी और किफायती एचएल(होम लोन) के लिए) 2. यदि प्राथमिक आवेदक एक व्यक्ति है जिसका अंतिम उपयोग व्यवसाय है (गृह ऋण और किफायती एचएल(होम लोन) को छोड़कर) **संपत्ति के बदले ऋण और माइक्रो एलएपी के लिए - 3% + लागू कर** **गृह ऋण और किफायती एचएल(होम लोन) के लिए - 2% + लागू कर** **निश्चित ब्याज दर के तहत ऋणों के लिए - 4% + लागू कर** (गृह ऋण, एलएपी, किफायती एचएल(होम लोन) और माइक्रो एलएपी के लिए) **आंशिक पूर्व-भुगतान और बंधक मुक्ति की शर्तें लागू** 1) आंशिक पूर्व-भुगतान / बंधक मुक्ति केवल 12 ईएमआई की निकासी के बाद ही अनुमत होगी। 2) एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार आंशिक-पूर्व भुगतान की अनुमति दी जाएगी और एक वित्तीय वर्ष में पीओएस के 25% तक का पूर्व-भुगतान ही स्वीकार किया जा सकता है। 3) आंशिक पूर्व-भुगतान/बंधक मुक्ति के रूप में प्राप्त राशि को मूल बकाया और आंशिक पूर्व-भुगतान/बंधक मुक्ति शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। 4) प्राप्त किसी भी आंशिक पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन अवधि में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई अवधि कम हो जाएगी; ईएमआई राशि समान रहेगी) ***व्यवसाय के अलावा अन्य अंतिम उपयोग वाले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए, पूर्व-भुगतान और फोरक्लोज़र शुल्क और शर्तें लागू नहीं होंगी, यदि ऋण फ्लोटिंग आरओआई के तहत है।**
"सेर्साइ" शुल्क	रु.100/-
दंडात्मक शुल्क: **	

सुविधा समझौते/वित्त दस्तावेज़(नों) के तहत देय किसी भी भुगतान में देरी के लिए दंडात्मक शुल्क	**बकाया राशि (मूलधन) बकाया / ब्याज बकाया / ईएमआई बकाया) पर 6% प्रति वर्ष प्लस जीएसटी उस अवधि के लिए जिस अवधि में उक्त राशि बकाया रहती है।**
प्रतिभूति सृजन में विलंब के लिए दंडात्मक शुल्क स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार	**2% प्रति वर्ष प्लस जीएसटी। सुरक्षा निर्माण में देरी के लिए दंडात्मक शुल्क सुविधा की बकाया मूल राशि पर लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत उस तारीख से होगी जिस दिन सुरक्षा बनाई जानी थी जब तक कि वह वास्तव में नहीं बन जाती।**

AXIS FINANCE

	स्वीकृति पत्र / सुविधा समझौते के अनुसार किसी अन्य सामग्री शर्तों और शर्तों का पालन न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क **प्रतिबंध पत्र की शर्तों और नियमों के अनुसार दस्तावेजों / सूचनाओं को प्रस्तुत न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क** — **1% प्रति वर्ष प्लस जीएसटी। इन गैर-अनुपालनों के लिए दंड शुल्क सुविधा की बकाया मूल राशि पर लगाया जाएगा, गैर-अनुपालन के प्रत्येक उदाहरण के लिए, उल्लंघन की तारीख से उस तारीख तक की गणना की जाएगी जब तक कि स्वीकृति पत्र की शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं। कई उल्लंघनों से जुड़े मामलों में, कुल दंड शुल्क 3% प्रति वर्ष प्लस लागू जीएसटी से अधिक नहीं होगा।** ** उल्लिखित दंड शुल्क लागू ब्याज दर के अलावा है। **उल्लिखित दंड शुल्क प्रायोगिक भारतीय सामान और सेवा कर पर जीएसटी के अनुसार जीएसटी के तहत लागू होगा और जीएसटी को अलग से लिया जाएगा। **दंड शुल्क पर और कोई और ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
प्रशासनिक / सेवा शुल्क (ब्याज दर रीसेट के लिए)	
वार्षिक प्रतिशत दर ((एपीआर) एन्युअल पर्सेन्टेज रेट)	__________% प्रति वर्ष (एपीआर) एन्युअल पर्सेन्टेज रेट एक फॉर्मूले के माध्यम से आता है जो है- (एपीआर) एन्युअल पर्सेन्टेज रेट = ((((ऋण संसाधन शुल्क + संपूर्ण ऋण अवधि के लिए ब्याज) / ऋण राशि) / महीनों में अवधि) * 365) * 100
बाउंस शुल्क (चेक रिटर्न/NACH विफलता)	रु.500/- प्रति बाउंस
दस्तावेज़ शुल्क (खाते का विवरण/फोरक्लोज़र (पूर्ण प्री-पेमेंट) पत्र/चुकौती अनुसूची/ब्याज प्रमाणपत्र/शेष विवरण/दस्तावेजों की सूची/कोई देय प्रमाण पत्र)	शून्य
दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क	रु.500/- प्रति दस्तावेज़
पीडीसी, सुरक्षा चेक, एनएसीएच स्वैप शुल्क	रु.500/- प्रति उदाहरण
ऋण पुनर्निर्धारण शुल्क (ग्राहक के अनुरोध पर और विषय/ फ्लोटिंग ब्याज दर के तहत पुनर्निर्धारण (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से अनुमोदन के लिए)	बकाया ऋण का 0.50%
ब्याज दर तंत्र स्वैप शुल्क **(निश्चित दर से फ्लोटिंग और इसके विपरीत)**	**ऋण बकाया का 1%**
ऋण रद्दीकरण शुल्क	रु.5000
संपार्श्विक/सुरक्षा स्वैपिंग/आंशिक रिलीज	रु.5000 प्रति उदाहरण
स्टांप शुल्क और अन्य वैधानिक शुल्क	राज्य के लागू कानूनों के अनुसार

AXIS FINANCE

टाइटल डीड की फोटोकॉपी जारी करने का शुल्कः रु. _____/- प्रति दस्तावेज़ सेट	

* सभी शुल्कों और फीस पर (जहाँ भी जीएसटी लागू है) लागू दरों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अतिरिक्त रूप से लिया जाएगा। उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं और उसी के अनुसार हमारी वेबसाइट www.axisfinance.in पर अपडेट किए जाएँगे।

*बंधक मुक्ति शुल्क / पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान केवल निम्नलिखित खातों से ही किया जा सकता है:

- वेतनभोगी उधारकर्ता(ओं) के लिए उधारकर्ता का वेतन खाता; या
- स्वरोजगार उधारकर्ता(ओं) के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला चालू खाता; या
- सुविधा के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से ऋणदाता के साथ पंजीकृत पुनर्भुगतान खाता।

*ब्याज दर स्वैपिंग व्यवसाय ऋण के लिए लागू नहीं है।

*एमएसएमई इकाई के लिए उपर्युक्त किसी भी शुल्क पर एएफएल कोई रियायत नहीं देता है।

अनुसूची III

परिभाषाएं:

इस सामान्य नियम और शर्त सुविधा समझौते में जब तक अर्थ या संदर्भ अन्यथा आवश्यकता न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ उन्हें नीचे सौंपा गया अर्थ होगा:

"खाता" या "ऋण खाता" का अर्थ है सुविधा के तहत एएफएल (अर्थात ऋणदाता) के साथ उधारकर्ता का ऋण खाता संख्या। यदि उधारकर्ता दोनों सुविधाओं, अर्थात सावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाता है, तो दो अलग-अलग ऋण खाता संख्याएँ उत्पन्न की जाएंगी।

"समझौता" या "सुविधा समझौता" का अर्थ है यह व्यक्तिगत ऋण समझौता, जिसमें शर्तों की अनुसूची और यहां सभी अनुसूचियां शामिल हैं;

"संबद्ध" का अर्थ होगा, किसी भी पक्ष के संबंध में, एक व्यक्ति जो नियंत्रित करता है, नियंत्रित होता है या ऐसे पक्ष के साथ सामान्य नियंत्रण में होता है।

"लागू ब्याज दर" का अर्थ सुविधा समझौते में उल्लिखित ब्याज दर होगा।

"लागू कानून" का अर्थ किसी भी क़ानून से होगा, जिसमें शामिल हैं, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 और रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम, 2016, कानून, विनियमन, अध्यादेश, नियम, निर्णय, कानून का शासन, आदेश, डिक्री, मंजूरी, अनुमोदन, निर्देश, दिशानिर्देश, नीति, आवश्यकता, या अन्य सरकारी प्रतिबंध या किसी भी समान रूप के निर्णय, या किसी भी पूर्वगामी की व्याख्या या प्रशासन (जिस हद तक उनमें से किसी के पास कानून का बल है) द्वारा, किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा, चाहे किसी वित्त दस्तावेज की तारीख के अनुसार या उसके बाद और प्रत्येक मामले में संशोधित किया गया हो।

"वार्षिक प्रतिशत दर/(एपीआर) एन्युअल पर्सेन्टेज रेट" का अर्थ होगा सुविधा की वार्षिक लागत, जिसमें लागू ब्याज दर और सुविधा प्राप्त करने के लिए अन्य लागतें जैसे ऋण संसाधन शुल्क, प्रशासनिक शुल्क और बीमा प्रीमियम शामिल हैं।

"संपत्ति कवर" का अर्थ होगा इस खंड 16.7 में इस तरह के शब्द को दिया गया अर्थ।

"उपलब्धता अवधि" का अर्थ सुविधा समझौते की तारीख से शुरू होने वाली अवधि और स्वीकृति पत्र के अनुसार समाप्त होने वाली अवधि या ऋणदाता द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि होगी।

"उधारकर्ता" का अर्थ सुविधा समझौते में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) से होगा और अभिव्यक्ति "उधारकर्ता" जब तक कि यह विषय के प्रतिकूल न हो या जैसा कि संदर्भ अनुमति या आवश्यकता हो, शामिल होगा।

(i) किसी व्यक्ति के मामले में, उसके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत नियुक्ति। ऐसे मामले में जब उधारकर्ता एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुविधा समझौते में प्रवेश करने के लिए समझा जाता है और उन सभी को सुविधा समझौते के तहत देनदारियों के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से सहमत होने के लिए समझा जाता है और 'उधारकर्ता' शब्द में उसके/उसके/उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत नियुक्ति शामिल होंगे।

(ii) एकल स्वामित्व वाली फर्म के मामले में, मालिक/मालिक (अपनी व्यक्तिगत हैसियत में और फर्म के मालिक/मालिक के रूप में) और उसके/उसकी वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिती, फर्म के उत्तराधिकारी।

(iii) किसी साझेदारी फर्म के मामले में, कोई भी या प्रत्येक भागीदार और उनमें से उत्तरजीवी (ओं) और समय-समय पर भागीदार (दोनों अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और फर्म के भागीदारों के रूप में) और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत असाइनमेंट, फर्म के उत्तराधिकारी।

(iv) यदि कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत स्थापित है, तो कंपनी और इसकी उत्तराधिकारी एवं अनुमत अधिग्रहणकर्ता।

(v) यदि एक ट्रस्ट है, तो उस समय के लिए ट्रस्टी(यों), जिसमें किसी भी कार्यालय के उत्तराधिकारी और अनुमत अधिग्रहणकर्ता शामिल हैं।

(vi) यदि एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी और इसके उत्तराधिकारी एवं अनुमत अधिग्रहणकर्ता, जिसमें किसी भी विधिवत निर्वाचित या नियुक्त प्रतिनिधि या कार्यालयधारी शामिल हैं।

(vii) यदि व्यक्तियों का समूह है, तो प्रत्येक व्यक्ति उनके व्यक्तिगत क्षमता में और सभी लोग मिलकर, साथ ही उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत अधिग्रहणकर्ता।"

"अवधि उधारकर्ता" के किसी भी संदर्भ का अर्थ "सह-उधारकर्ता(ओं)" होगा और इसमें शामिल होगा, यदि कोई हो, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो।

"(पीआई) पेमेंट इंस्ट्रक्शन) (बीपीआई)ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट " या " खंडित अवधि ब्याज" का अर्थ है बकाया राशि पर दैनिक ब्याज जो वितरण की तारीख से पहली मासिक किस्त देय होने तक होती है।

"व्यावसायिक दिवस" का अर्थ एक दिन (रविवार के अलावा) होगा जिस दिन बैंक आमतौर पर मुंबई में नियमित बैंकिंग व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं।

"प्रारंभ तिथि" का अर्थ वह तारीख होगी जिस दिन खाते को कार्यकाल के दौरान पहली बार आहरण के लिए सक्रिय/परिचालन योग्य बनाया जाता है, सुविधा ("प्रारंभिक सीमा") के तहत प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट सीमा निर्धारित करके।

"क्रेडिट ब्यूरो" का अर्थ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां (रेगुलेशन) एक्ट, 2005 के तहत कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होगा, और/या किसी भी अन्य एजेंसी को किसी भी नियामक प्राधिकरण/सरकारी प्राधिकरण द्वारा समान प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

"क्लीयरेंस" का अर्थ किसी भी प्रकार की सहमति, अनुमति, लाइसेंस, अनुमोदन, पंजीकरण, छूट, अनापत्ति, परमिट या किसी अन्य प्रकृति के किसी भी प्राधिकरण से होगा जो किसी भी सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति (लेनदारों और शेयरधारकों सहित) द्वारा (क) किसी भी ओब्लिगर्स द्वारा वित्त दस्तावेजों की शर्तों के प्रदर्शन के संबंध में, (ख) किसी भी वित्त दस्तावेजों की प्रवर्तनीयता और उसके तहत किए गए किसी भी भुगतान के लिए, (ग) उधारकर्ता के व्यवसाय और संचालन के संबंध में, उधारकर्ता द्वारा सुरक्षा के रूप में प्रदान की जा रही संपत्तियों के स्वामित्व और/या विकास के लिए आवश्यक सभी मंजूरी सहित, और (घ) सुविधा का लाभ उठाने, सुरक्षा बनाने, पूर्ण करने और संरक्षित करने के लिए।

"डिफ़ॉल्ट" का अर्थ डिफ़ॉल्ट की घटना होगा।

"वितरण" का अर्थ सुविधा के तहत धन का भुगतान होगा।

"वितरण तिथि" का अर्थ वितरण की तारीख होगा जो उपलब्धता अवधि के भीतर आने वाला एक व्यावसायिक दिन होगा।

"देय तिथि" का अर्थ होगा, जैसा कि संदर्भ में ब्याज भुगतान तिथि, दुबारा भुगतान तिथि या वह तारीख हो सकती है जिस पर सुविधा समझौते के तहत देय कोई अन्य राशि इस सामान्य नियम और शर्तों के अनुसार देय हो जाती है।

"(ईएल) इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट " या "(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट " या "समान किस्त" का अर्थ होगा, यदि लागू हो, तो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को हर महीने/तिमाही/अर्ध-वर्ष/वर्ष में देय राशि जिसमें ब्याज शामिल है, या, जैसा भी मामला हो, मूलधन और ब्याज सुविधा की शर्तों के अनुसार।

"अंतिम उपयोग" का अर्थ होगा उधारकर्ता द्वारा उद्देश्य के लिए संवितरण का उपयोग, जैसा कि इस खंड 3 में उल्लिखित है।

"डिफ़ॉल्ट की घटना" का अर्थ इस समझौते के खंड 20 में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

"सुविधा" या "ऋण" का अर्थ होगा इस सुविधा समझौते ("सावधि ऋण") की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता को वितरित/वितरित करने के लिए सहमत सावधि ऋण सुविधा या ओवरड्राफ्ट सीमा (टीएल/ओडी) या सावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट सीमा, जैसा भी मामला हो (टीएल+ओडी)।

"अंतिम निपटान तिथि" का अर्थ वह तारीख होगी जिस पर उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय सभी दायित्वों का भुगतान, निर्वहन या पूर्ण रूप से ऋणदाता की संतुष्टि के लिए किया गया है, जिसमें पूर्व भुगतान शुल्क, दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क आदि का भुगतान शामिल है। जैसा भी मामला हो, वित्त दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार और कोई भी राशि नहीं है जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय या देय है, वित्त दस्तावेजों के तहत या उसके अनुसार।

"वित्तीय वर्ष" का अर्थ किसी कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल से शुरू होने वाली और उसके बाद के कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि होगी।

"वित्त दस्तावेज़" का अर्थ होगा सुविधा के अनुदान और/या किसी सुरक्षा हित और/या ऋणदाता के अन्य अधिकारों और विशेषाधिकारों के निर्माण के संबंध में दर्ज किए गए सभी दस्तावेज़, जिनमें शामिल हैं, लेकिन सुविधा की शर्तों तक सीमित नहीं हैं, सुरक्षा दस्तावेज़, कोई भी संवितरण अनुरोध और किसी भी अन्य दस्तावेज़ को किसी भी ऋणी द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित किया जाता है और ऋणदाता द्वारा इस तरह नामित किया जाता है।

"जीएएपी" का अर्थ भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत या ऐसे अन्य लेखांकन सिद्धांत होंगे, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

"सरकारी प्राधिकरण" का अर्थ भारत सरकार या भारत के किसी अन्य राज्य की सरकार या कोई मंत्रालय, विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण, उपकरण, एजेंसी, निगम (विधायी, न्यायिक या प्रशासनिक क्षमता में कार्य करने की सीमा तक और उधारकर्ता के साथ अनुबंधित पक्ष के रूप में नहीं) या भारत सरकार या भारत के किसी अन्य राज्य की सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आयोग होगा।

आईबीसी" का अर्थ है दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, उसके तहत नियम और विनियम, और समय-समय पर यथासंशोधित, पुनः अधिनियमित, प्रतिस्थापित, पुनः शीर्षकित।

"दिवाला कानून" का अर्थ होगा आईबीसी और/या ऐसा अन्य लागू कानून (चाहे अस्तित्व में हो/अब लागू हो या बाद में अस्तित्व में आए/लागू हो जाए) जो किसी भी समय किसी व्यक्ति के संबंध में किसी भी दिवाला, दिवालियापन, परिसमापन, समापन, स्थगन, विघटन, पुनर्गठन, पुनरुद्धार या किसी भी अनुरूप या समान कार्रवाई या कार्यवाही से संबंधित है, चाहे ऐसी कोई कार्रवाई या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति, निदेशक मंडल या ऐसे व्यक्ति के अन्य समान शासी निकाय, शेयरधारकों, भागीदारों, सदस्यों, किसी भी लेनदार, या ऐसे व्यक्ति के अन्य हितधारकों या किसी प्राधिकरण या लागू

AXIS FINANCE

कानून के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कार्रवाई या निर्णय या सिफारिश के अनुसार हो, और इसमें किसी भी प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति या उसके किसी भी व्यवसाय या उपक्रम या संपत्ति का अधिग्रहण या प्रबंधन में परिवर्तन शामिल होगा।

"क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता पक्ष" का वही अर्थ होगा जो इस समझौते के खंड 22 में दिया गया है।

"सूचना" का वही अर्थ होगा जो उसे खंड 39 (बी) में दिया गया है।

"(आईएनआर) इंडियन रुपया" या "रुपये" या "रु" का अर्थ होगा भारत गणराज्य की वैध मुद्रा।

"बीमा अनुबंध" का अर्थ इस संदर्भ में खंड 19 ए (V) में दिया गया है।

"ब्याज" का अर्थ वही होगा जो इस संदर्भ में खंड 10 में दिया गया है।

"ब्याज भुगतान तिथि" का अर्थ होगा प्रत्येक ब्याज अवधि के अंत के बाद पहला दिन और यदि ऐसा दिन व्यावसायिक दिन नहीं है, तो ऐसे पहले दिन से ठीक पहले का व्यावसायिक दिन। यदि ऐसा पूर्ववर्ती दिन व्यावसायिक दिन नहीं है, तो ब्याज तुरंत बाद के व्यावसायिक दिन पर देय होगा।

"ब्याज दर पुनर्निर्धारण तिथि" का अर्थ वह तारीख होगी जिस पर ऋणदाता इस समझौते के अनुसार ब्याज दर को पुनर्निर्धारित कर सकता है, जैसा कि इस के खंड 10 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

"ब्याज अवधि" का अर्थ सुविधा के संबंध में होगा: (i) प्रथम दृष्टया, संवितरण करने की तारीख से शुरू होने वाली और समावेशी अवधि, और कैलेंडर तिमाही/माह के अंतिम दिन (और इसमें शामिल) को समाप्त होने वाली अवधि (जैसा लागू हो) जिसमें ऐसा संवितरण किया जाता है, और (ii) बाद में, प्रत्येक कैलेंडर तिमाही/माह (जैसा लागू हो) जब तक कि ऐसी सुविधा का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है।

"ब्याज कर" का अर्थ होगा कोई भी कर, शुल्क या अन्य वैधानिक लेवी जो ऋणदाता द्वारा देय है जो ब्याज की प्रकृति में किसी भी भुगतान पर लगाया जाता है (चाहे वह किसी भी तरह से वर्णित हो, जिसमें दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क, दंड और हर्जाना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है)। या ब्याज कर अधिनियम, 1974 के अधीन कोई प्रभार, कर या लेवी और सभी ऐसे आरोपण, शुल्क और कर (किसी भी प्रकार का) सहित कोई अन्य वैधानिक लेवी।

"केएफएस" का अर्थ होगा सुविधा समझौते के अनुसूची V में संलग्न मुख्य तथ्य विवरण

"कानूनी कार्यवाही" का अर्थ किसी भी मुकदमेबाजी, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक, और प्रशासनिक या मध्यस्थता कार्यवाही या किसी भी जांच आयोग के संबंध में कार्यवाही से होगा।

"ऋणदाता" का अर्थ है एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400025, महाराष्ट्र और 01 वीं और 02 वीं मंजिल, ऋषमूक बिल्डिंग, पंचकुइयां रोड, आर के आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली - 110001 में एक कार्यालय है, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, तब तक इसका अर्थ माना जाएगा और इसके उत्तराधिकारियों, हस्तांतरियों और असाइनों को शामिल करें)।

"सीमा" / "ओवरड्राफ्ट सीमा" का अर्थ इस समझौते के संदर्भ में ऋणदाता द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट सीमा है जो उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण राशि के बराबर होगी।

"ऋण" या "ऋण राशि" का अर्थ होगा आवास ऋण/संपत्ति के विरुद्ध ऋण सुविधा जो उधारकर्ता को स्वीकृत की गई है, जैसा लागू हो, सुविधा की शर्तों के अनुसार।

AXIS FINANCE

“ऋण खाता(तों)” का अर्थ होगा उधारकर्ता द्वारा खोला गया ऐसा खाता(तें), चालू खाता(तें) या ऐसे बैंक की निर्दिष्ट शाखा में अन्य खाता(तें), जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या ऐसी अन्य शाखा, जैसा कि समय-समय पर ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया जा सकता है, सुविधा के संबंध में भुगतान/पुनर्भुगतान के लिए, जिसमें ऋणदाता द्वारा किए गए सभी लागत, शुल्क, व्यय का भुगतान और प्रतिपूर्ति शामिल है जो उधारकर्ता को सुविधा समझौते के प्रावधानों के तहत ऋणदाता को करनी आवश्यक है।

“ऋण प्रसंस्करण शुल्क” ऐसे शुल्क होंगे जो सुविधा समझौते से जुड़े शर्तों की अनुसूची के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं, साथ ही लागू जीएसटी भी।

”भौतिक प्रतिकूल प्रभाव” का अर्थ किसी घटना, तथ्य, परिस्थिति, घटना, विकास या स्थिति के किसी भी परिवर्तन या प्रभाव या परिणाम से होगा, जिसमें बाजार की स्थितियों में कोई प्रतिकूल परिवर्तन शामिल है। एक संभावित परिवर्तन, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक, वित्तीय, आर्थिक या राजनीतिक स्थितियों या मुद्रा नोटों में परिवर्तन जिसने ऋणदाता की एकमात्र राय में, प्रतिकूल प्रभाव डाला है या होने की संभावना है या इसके लिए पूर्वाग्रही है:

(a) उधारकर्ता या किसी अन्य ऋणी की वित्त दस्तावेजों के तहत अपने संबंधित दायित्वों को निभाने या उनका पालन करने की क्षमता, जिनके वे पक्षकार हैं; या
(b) उधारकर्ता या किसी अन्य ऋणी के लिए अपने संबंधित व्यवसायों, संचालन या वित्तीय स्थितियों को जारी रखने के लिए आवश्यक किसी भी भौतिक अनुबंध, सहमति या सरकारी अनुमोदन की स्थिति या वैधता।

भौतिक शर्तों” का अर्थ इस समझौते और वित्त दस्तावेजों में निर्धारित किसी भी और सभी नियमों और शर्तों से होगा, जिसमें सुविधा के मूलधन और/या ब्याज घटक के भुगतान से संबंधित शर्तें शामिल हैं, साथ ही सुरक्षा का निर्माण और पूर्णता और दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण / वित्त दस्तावेजों की मंजूरी की शर्तों और शर्तों के अनुसार जानकारी।

”ओब्लिगॉर(ओं)” का अर्थ होगा उधारकर्ता, गिरवीदार और/या कोई अन्य व्यक्ति जिसने ऋणदाता के प्रति कोई दायित्व निभाने/निभाने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें सुरक्षा का निर्माण/ पूर्णता और/या सुविधा के अनुसार ऋणदाता को कोई संविदात्मक सुविधा प्रदान करना शामिल है।

”दायित्वों” का अर्थ ऋणदाता को देय सभी राशियों से होगा, जिसमें सुविधा, ब्याज, चूक ब्याज, पूर्व भुगतान प्रीमियम, प्रसंस्करण शुल्क और वित्त दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार कोई अन्य धन, शुल्क, प्रभार आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

”बकाया” में किसी भी समय, वित्त दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय सभी राशियां शामिल होंगी, जिनमें वर्तमान और भविष्य की बाध्यताएं और उधारकर्ता की देनदारियां शामिल हैं, लेकिन बिना किसी सीमा के सुविधा की मूल राशि का भुगतान/भुगतान करने के लिए (टर्म लोन और/या ओवरड्राफ्ट), ब्याज और उस पर दंड शुल्क/दंडात्मक शुल्क और सभी स्टांप शुल्क, कर, व्यय, शुल्क, तरल क्षति, क्षतिपूर्ति, लागत, शुल्क और व्यय सहित बिना किसी सीमा के किसी भी वैधानिक या विधायी शुल्क, दंड, यदि कोई हो, सुविधा के संबंध में; और ऋणदाता द्वारा अपने अधिकारों के किसी भी अभ्यास के संबंध में किए गए ऐसे अन्य खर्च, कानूनी शुल्क और अदालती खर्चों के साथ।

”व्यक्ति” से अभिप्राय किसी व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, निगम, भागीदारी, संयुक्त उद्यम, निगमित या अनिगमित निकाय या संघ, कंपनी, सरकार या उसके किसी उपखंड से है।

”पूर्व भुगतान प्रीमियम” का अर्थ होगा, पूर्व भुगतान शुल्क देय, उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को, सुविधा राशि के अनुपात के रूप में पूर्व भुगतान करने का प्रस्ताव, जैसा कि शर्तों की अनुसूची में निर्धारित किया गया है।

”दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क” का अर्थ है उधारकर्ता(ओं) द्वारा इस समझौते और/या वित्त दस्तावेजों की किसी भी महत्वपूर्ण शर्तों के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति में ऋणदाता द्वारा लगाए गए शुल्क, जैसा कि यहां शुल्कों की अनुसूची के तहत अधिक विशेष रूप से वर्णित है।

“पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट ” का अर्थ होगा उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय राशि, जो उधारकर्ता को वितरित की गई ऋण राशि पर देय ब्याज के बराबर है, प्रत्येक वितरण की तारीख से ”(ईएल) इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट / (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट की शुरुआत की तारीख तक।

AXIS FINANCE

"पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट अवधि" का अर्थ उस अवधि से होगा जिससे पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट शुरू होती है जब तक कि उधारकर्ता को इस समझौते की शर्तों के अनुसूची के भाग बी में निहित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार "(ईएल) इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट / (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

"ऋण" के संबंध में "संपत्ति", (क) यदि ऋण गृह ऋण की प्रकृति में है, तो इसका अर्थ होगा, आवासीय अचल संपत्ति, जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, जिसे उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण पर खरीदने का प्रस्ताव है ऋणदाता द्वारा और किसी भी अचल संपत्ति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा, जिसकी सुरक्षा पर ऋणदाता ने ऋण को आगे बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है।

उपर्युक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 'संपत्ति' में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

(i) फ्लैट के मामले में, संपूर्ण निर्मित क्षेत्र (और उसमें कोई भी वृद्धि), उस भवन के सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा जिसमें ऐसा फ्लैट है/होगा और भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा, जिसमें ऐसे फ्लैट के लिए विशेष रूप से आवंटित कोई भी खुला/कवर गैरेज/पार्किंग स्थान शामिल है; और/या

(ii) एक व्यक्तिगत घर के मामले में, घर और पूरी जमीन का भूखंड जिस पर घर स्थित है या जिस पर घर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी सुखभोग अधिकार शामिल हैं; और/या

(iii) किसी भूखंड की दशा में, उससे संलग्न किसी Easement अधिकार के रद्दकरण/समाप्ति/विनिमय के बिना भूमि; और/या

(iv) सभी अचल फर्नीचर और फिक्स्चर जो स्थायी रूप से (iv) पृथ्वी या दीवारों से जुड़े हुए हैं और संपत्ति का हिस्सा हैं; और/या

(v) अनुसूची में वर्णित कोई अन्य अचल संपत्ति, जिसमें संपूर्ण निर्मित क्षेत्र, आनुपातिक भूमि और ऐसी संपत्ति से जुड़े सभी अन्य अधिकार शामिल हैं;

(ख) यदि संपत्ति के विरुद्ध ऋण की प्रकृति में ऋण, का अर्थ होगा और इसमें कोई भी वाणिज्यिक और/या खाली भूखंड या कोई अन्य संपत्ति शामिल होगी जिसे ऋणदाता द्वारा ऋणी (ओं) द्वारा गिरवी रखी जानी है, जैसा कि वित्त दस्तावेजों से जुड़े अनुसूचियों में अधिक विशेष रूप से विस्तृत है।

"आरबीआई" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक होगा।

"प्राप्य" का अर्थ होगा संपूर्ण बिक्री आय, अग्रिम, आवंटन राशि, किराया, पट्टा किराया, लाइसेंस शुल्क और/या अन्य प्राप्य जो, अन्य बातों के साथ, बिक्री, हस्तांतरण, आवंटन, असाइनमेंट, विकास, पट्टे, उप-पट्टे, किराए और/या के अनुसार प्राप्त होते हैं। संपत्तियों का लाइसेंस पूर्ण या उसके किसी भी हिस्से में या किसी अन्य संपत्ति के रूप में ऋणदाता और ऋणदाताओं के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है।

पुनर्भुगतान किस्त" का अर्थ खंड 13.1 में दिए गए अर्थ के अनुसार होगा।

"पुनर्भुगतान अनुसूची" का अर्थ होगा सुविधा के लिए समान आवधिक किस्त के तहत पुनर्भुगतान अनुसूची जिसे केएफएस (मुख्य तथ्य विवरण) में शामिल किया गया है और जैसा कि https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html पर उपलब्ध है।

"स्वीकृति पत्र" का अर्थ ऋणदाता द्वारा जारी किया गया पत्र होगा, जिसके द्वारा उधारकर्ता को सुविधा के स्वीकृति के बारे में सूचित किया जाता है, साथ ही उसमें उल्लिखित प्रासंगिक विवरण, नियम और शर्तें, जो समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।

"शर्तों की अनुसूची" का अर्थ है सुविधा समझौते से जुड़ी शर्तों की अनुसूची, जिसे समय-समय पर अनुसूची 1 में संशोधित किया गया है और इसमें अनुसूची II, अनुसूची III, अनुसूची IV, अनुसूची V और अनुसूची VI में क्रमशः शुल्क, परिभाषाएँ, सुविधा की शर्तें और केएफएस की अनुसूची शामिल होगी।

"सुरक्षा" का अर्थ इस समझौते के खंड 16.1 में दिए गए अर्थ के अनुसार होगा।

AXIS FINANCE

"सुरक्षा दस्तावेज" का अर्थ होगा इस सामान्य नियम और शर्तों के अनुसार सुरक्षा हित के निर्माण के संबंध में दर्ज किए गए सभी दस्तावेज, जिसमें कोई भी गिरवी दस्तावेज, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी और/या ऋणदाता द्वारा इस तरह नामित कोई अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

"सुरक्षा हित" का अर्थ किसी भी प्रकार या प्रकृति का कोई भी बंधक, दृष्टि बंधक प्रभार असाइनमेंट, जमा व्यवस्था, भार, ग्रहणाधिकार (वैधानिक या अन्य), वरीयता, प्राथमिकता, या अन्य सुरक्षा समझौता होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई भी सशर्त बिक्री या अन्य शीर्षक प्रतिधारण समझौता, किसी भी रिकॉर्डिंग या नोटिस क़ानून के तहत दायर कोई वित्तपोषण या समान विवरण या नोटिस, और कोई भी पट्टा जिसमें पूर्वगामी में से किसी के समान प्रभाव हो।

"करों" में किसी भी और सभी वर्तमान और भविष्य के करों, शुल्कों, आयातों, उपकरों, लेवी, अधिभार, सहित बिना किसी सीमा के, सकल प्राप्तियों, बिक्री, सेवाओं, टर्नओवर, मूल्य वर्धित, मूल्यवर्धन, उपयोग, खपत, संपत्ति, मताधिकार, पूंजी, व्यवसाय या पेरोल, लाइसेंस, उत्पाद शुल्क, दस्तावेजों (जैसे स्टांप शुल्क), मुनाफे, लाभ (पूंजीगत लाभ सहित), विच्छेद, उत्पादन, रोक, वैकल्पि क, या ऐड-ऑन न्यूनतम, हस्तांतरण या पर्यावरण और अन्य सीमा शुल्क और करों, आकलन, अधिभार, शुल्क और/या किसी भी प्रकार के fess, साथ में किसी भी ब्याज या दंड, कर या अतिरिक्त राशि के अलावा किसी भी प्राधिकारी द्वारा लगाए गए, रोके गए, लगाए गए या मूल्यांकन किए गए। करों में इस समझौते की अवधि के दौरान, या किसी भी नए या आगे के करों (माल और सेवा कर सहित) के लगाए जाने के दौरान, इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता या परिवर्तन, या इसकी दरें शामिल होंगी, लेकिन इसमें किसी भी पार्टी की आय पर कर शामिल नहीं होगा।

"(टीडीएस) टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स " का अर्थ स्रोत पर कर कटौती और विशेष रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के तहत परिभाषित किया जाएगा।

"सुविधा की अवधि" का अर्थ सुविधा समझौते में उल्लिखित अवधि होगा।

"सुविधा की शर्तें" का अर्थ है और इसमें यह अनुसूची IV में सामान्य नियम और शर्तें, सुविधा समझौता, इसके साथ संलग्न शर्तों की अनुसूची और स्वीकृति पत्र शामिल हैं।

"ट्रांच" या "ट्रांच संवितरण" का अर्थ है प्रत्येक संवितरण जो ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को इस सामान्य नियम और शर्तों के नियमों और शर्तों के अनुसार संवितरित किया जाता है।

अनुसूची IV

सामान्य नियम और शर्तें

कृपया निम्नलिखित सामान्य नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपके अधिकारों और दायित्वों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, साथ ही सीमाएँ और बहिष्करण भी हैं जो आप पर लागू हो सकते हैं। इस दस्तावेज़ में एक अनिवार्य विवाद समाधान खंड शामिल है।

इन सामान्य नियमों और शर्तों को स्वीकार और हस्ताक्षर करके, यह माना जाएगा कि आपने अपनी मातृभाषा में अपने अधिकारों और दायित्वों को पढ़, समझ लिया है और यदि आवश्यक हो, तो आपको समझाया गया है, और आप बिना किसी सीमा या योग्यता के, इन सामान्य नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जो आप पर बाध्यकारी होंगे।

उधारकर्ता इस समझौते के ठीक ढंग से पूरा करना या समझ से संबंधित किसी भी पूछताछ या चिंताओं को समर्पित ग्राहक सेवा ई-मेल: customer.support@axisfinance.in पर निर्देशित कर सकता है। यह प्रावधान यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के संबंध में उधारकर्ता की समय पर जानकारी और सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य करता है।

1. व्याख्या के नियम

AXIS FINANCE

1.1. ये सामान्य नियम और शर्तें सुविधा समझौते को नियंत्रित करती हैं जो ऋणदाता और उधारकर्ता (सुविधा समझौते की शर्तों की अनुसूची में पहचाने गए अनुसार) के बीच किया गया है, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्ष" या "पार्टियां" कहा जाएगा और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" या "पार्टी" कहा जाएगा, जहां संदर्भ की आवश्यकता हो। यहां उपयोग किए गए शब्दों की संबंधित परिभाषाएं नीचे उल्लिखित अनुसार होंगी।

1.2. यह सामान्य नियम और शर्तें, सुविधा(ओं) के लिए सुविधा की शर्तों का गठन करती हैं, जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता से प्राप्त या प्राप्त की जानी हैं और इसमें निहित नियम और शर्तें ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को या उसकी ओर से वितरित की गई सभी राशियों पर लागू होंगी। प्रत्येक किश्त वितरण इस सामान्य नियम और शर्तों के अतिरिक्त, विशिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन भी होगा, जो ऋणदाता द्वारा समय-समय पर सुविधा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, जो इस तरह की वित्तीय सहायता पर लागू होगा। उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच हस्ताक्षरित और निष्पादित प्रत्येक अनुसूची और उसके उप-अनुसूची(ओं) को सुविधा की शर्तों का एक अभिन्न अंग माना जाएगा, जिसके संबंध में यह सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि इसके नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से इस सामान्य नियम और शर्तों के मुख्य भाग में शामिल की गई थीं। प्रत्येक किश्त वितरण समय-समय पर वितरित किया जाएगा, हालांकि, इस तरह के सभी किश्त वितरण को उधारकर्ता के ऋणदाता के लिए एकल दायित्व माना जाएगा।

1.3. निर्माण के सिद्धांत

इन सामान्य नियमों और शर्तों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) इस सामान्य नियम और शर्तों में परिभाषित शब्दों का, किसी अन्य समझौते के दस्तावेज़ या लिखत के संदर्भ में, ऐसे समझौते, दस्तावेज़ या लिखत में उन्हें सौंपे गए अर्थ होंगे;

(ख) कोई दस्तावेज या कोई अन्य दस्तावेज उस दस्तावेज या अन्य दस्तावेज के संदर्भ में है, जिसे संशोधित, प्रतिस्थापित, नवीकृत या पूरक बनाया गया है;

(ग) किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी, वाचा या उपक्रम को अभिव्यक्ति द्वारा योग्य बनाया गया है, उधारकर्ता/ऋणी के ज्ञान, सूचना और विश्वास या किसी भी समान अभिव्यक्ति के अनुसार, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, को माना जाएगा:

(i) सुविधा समझौते की तारीख को संबंधित व्यक्तियों के वास्तविक ज्ञान या जागरूकता का संदर्भ लें; और

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो कोई व्यक्ति नहीं है, का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के ज्ञान से है, या ऐसे व्यक्तियों के प्रबंध निकाय में स्थान रखने वाल व्यक्तियों से है और यह ज्ञान कि ऐसे व्यक्तियों को सुविधा समझौते की तारीख में होता यदि वे उचित और सावधानीपूर्वक पूछताछ करते।

(घ) "**संशोधन**" के प्रति निर्देश में अनुपूरक, उपांतरण, नवीकरण, प्रतिस्थापन या पुनः अधिनियमन सम्मिलित है और "संशोधित" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(ङ) "**अनुज्ञापन**" के प्रति निर्देश का अर्थ है अनुज्ञापन, सहमति, मंजूरी, अनुमोदन, अनुज्ञा, संकल्प, अनुज्ञप्ति, छूट, अनापत्ति, फाइल करना और पंजीकरण;

(च) "**नियंत्रण**" के प्रति निर्देश का अर्थ है किसी इकाई के प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति, चाहे वह मतदान पूंजी के स्वामित्व के माध्यम से हो, अनुबंध द्वारा या अन्यथा;

(छ) सुविधा करार में लिखित अनुसूची में निहित प्रावधानों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो वे विशेष रूप से इसमें निर्धारित किए गए हों;

(ज) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, एकवचन में बहुवचन और इसके विपरीत भी सम्मिलित है;

(झ) "**यहाँ**", "**यहाँ**", और "**यहाँ**" और समान आयात के शब्द जब इस सामान्य नियम और शर्तों के किसी विशिष्ट खंड या अनुसूची के संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं, तो इस सामान्य नियम और शर्तों के ऐसे खंड या अनुसूची को संदर्भित करेंगे, और जब विशिष्ट अनुभागों या अनुसूचियों के संबंध में अन्यथा उपयोग किया जाता है, तो समझौते को समग्र रूप से संदर्भित करेगा;

(ञ) शब्द "**अन्य**", "**या अन्यथा**" और "**जो कुछ भी**" का अर्थ ईजुडेम जेनरिस नहीं लगाया जाएगा या किसी पूर्ववर्ती शब्दों या विशेष रूप से संदर्भित मामलों की व्यापकता पर किसी सीमा के रूप में नहीं लगाया जाएगा;

(ट) "**शामिल है**" या "**समेत**" शब्द के संदर्भों का अर्थ बिना किसी सीमा के लगाया जाएगा;

AXIS FINANCE

(ठ) शब्दों का संदर्भ **"ऋणग्रस्तता"या"वित्तीय ऋणग्रस्तता** ”इसमें धन के भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए कोई भी दायित्व (चाहे मूलधन या ज़मानत के रूप में वहन किया गया हो) सम्मिलित होगा;

(ड) किसी व्यक्ति के प्रति निर्देशों में ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती या अंतरिती सम्मिलित होंगे: (एन) **"निर्माण"** शब्द के संदर्भ का अर्थ होगा और इसमें विस्तार, सुधार, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण आदि शामिल होंगे।

(ढ) **"पार्टी"** के संदर्भ का अर्थ है इस सामान्य नियम और शर्तों के लिए एक पार्टी और **"पार्टियों"** के संदर्भों की तदनुसार व्याख्या की जाएगी;

(ण) किसी भी मामले की भौतिकता या तर्कसंगतता के संबंध में कोई भी निर्धारण, जिसमें किसी भी घटना, घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य, सूचना, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कार्य, चूक, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा शामिल हैं, ऋणदाता द्वारा अपने उचित विवेक पर किया जाएगा;

(त) ऋणदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सहमति या छूट का अर्थ ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति या छूट होगा; और

(थ) जहां ऋणदाता की कोई कार्रवाई इस सामान्य नियम और शर्तों या अन्य वित्त दस्तावेजों के तहत **"तर्कसंगतता"** के अधीन है, ऐसी **"तर्कसंगतता"** ऋणदाता द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(द) एकवचन में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ होगा और जहां कहीं अपेक्षित हो, उनका बहुवचन अर्थ भी होगा।

(ध) वे शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनकी कहीं परिभाषा नहीं दी गई है, जहां उनको साधारण खंड अधिनियम, 1897 के अनुसार अर्थ और व्याख्या दी गई है, उनका वही अर्थ और व्याख्या होगी।

2. सुविधा की शर्तें

(क) ऋणदाता इसके द्वारा ऋण देने के लिए सहमत है और उधारकर्ता, उपलब्धता अवधि के दौरान, सुविधा की शर्तों के अनुसार, शर्तों की अनुसूची में सूचीबद्ध सुविधा राशि/राशियों को उधार लेने के लिए सहमत है। उधारकर्ता ऋणदाता को संवितरण के लिए अनुरोध करके प्रत्येक सुविधा के अनुदान के लिए अनुरोध कर सकता है, जो अनुसूची VI में दिए गए प्रारूप में होगा, और ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर, उसमें उल्लिखित प्रासंगिक सुविधा राशि का पूरा या कुछ भाग ऋण खाते में वितरित कर सकता है।

(ख) ऋणी को स्वीकृत राशि और वितरित राशि पर कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही उसने ऋण राशि के लिए आवेदन किया हो जो उसे स्वीकृत की गई राशि से अधिक/कम हो और आगे ऋणदाता को स्वतंत्रता होगी सुविधा की वास्तविक राशि और वास्तव में वितरित की जाने वाली राशि (कुछ मामलों में स्वीकृत राशि वास्तव में वितरित राशि से अधिक हो सकती है) और ऐसी स्थिति में स्वीकृत राशि वास्तव में वितरित ऋण राशि होगी।

(ग) सुविधा का संवितरण एकल संवितरण या समय-समय पर किश्तों में किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और ऐसी प्रत्येक किश्त ऐसी राशि की होगी, और (सुविधा की शर्तों के अन्य प्रावधानों के अधीन) ऐसी समय पर और इस तरह से और ऐसी शर्तों और शर्तों के अधीन संवितरित किया जाएगा जैसा कि ऋणदाता उचित समझे। बशर्ते कि ऐसी प्रत्येक किश्त पर लागू होने वाली नियम और शर्तें अन्य किश्तों से भिन्न हो सकती हैं।

(घ) सुविधा की अवधि के दौरान सुविधा का कानूनी, तकनीकी और वित्तीय शर्तों पर पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। इस तरह के पुनर्मूल्यांकन पर, ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर, सुविधा के तहत संवितरण को रोक सकता है, निलंबित कर सकता है, आकार घटा सकता है, रद्द कर सकता है और/या वापस बुला सकता है।

(ङ) यह सुविधा उधारकर्ता(ओं) को सावधि ऋण के रूप में और/या ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में दी जा सकती है, और जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है। उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत है कि सुविधा सुविधा की अवधि के लिए और अनुसूची में उल्लिखित उद्देश्य ("उद्देश्य") के लिए होगी। उधारकर्ता एतद्द्वारा आगे सहमत है कि यदि सुविधा ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में प्राप्त की जाती है, तो सुविधा में अलग-अलग महीनों में लागू होने वाली अलग-अलग संचालन ओवरड्राफ्ट सीमाएं होंगी, जो नीचे खंड 4 में दिए गए तरीके से निर्धारित की जाएंगी (प्रत्येक एक " संचालन सीमा")। मासिक संचालन सीमा में गिरावट कुल स्वीकृत ओवरड्राफ्ट सीमा को सुविधा की अवधि से महीनों में विभाजित करने पर होगी।

(च) **पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट** - ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर उधारकर्ता को यहां बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार सुविधा के पुनर्भुगतान के संबंध में पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट विकल्प का लाभ उठाने की पेशकश करेगा। यह विकल्प उधारकर्ता को केवल उस घटना में उपलब्ध होगा, जिसके लिए सुविधा ली गई है, वह निर्माणाधीन है या बैलेंस ट्रांसफर मामलों में जहां कोई पोस्ट डिस्बर्समेंट दस्तावेज लंबित है या टॉप अप लोन राशि का वितरण नहीं किया गया है या उस घटना में कुछ दस्तावेज जो उधारकर्ता द्वारा सुविधा और/या सुरक्षा के संबंध में सुविधा के आंशिक वितरण के बाद यानी वितरण के बाद के दस्तावेजों के बाद जमा किए जाने हैं या उस घटना में जहां सुविधा की कोई मंजूरी शर्त उधारकर्ता द्वारा आंशिक रूप से वितरित किश्त के बाद पूरी नहीं की जाती है। इस घटना में उधारकर्ता ने पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट विकल्प का विकल्प चुना है, उधारकर्ता पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी और बाध्य होगा जो कि वितरित सुविधा की राशि के ब्याज घटक की अवधि के लिए होगा:

(क) 36 महीने की अवधि के लिए जहां गिरवी रखी गई संपत्ति निर्माणाधीन है;

(ख) 90 दिनों की अवधि के लिए पूर्ववर्ती ऋणदाता से (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को शेष राशि अंतरण मामलों के लिए जहां कोई भी संवितरण के बाद का दस्तावेज लंबित है या शीर्ष ऋण राशि संवितरित नहीं की गई है;

(ग) 90 दिनों की अवधि के लिए जहां सुविधा का आंशिक किश्त वितरित किया जाता है, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा स्वीकृति पत्र और/या वित्त दस्तावेजों में बताए गए वितरण के बाद के दस्तावेजों को जमा नहीं किया जाता है, जिसके बाद सुविधा की शेष किश्त वितरित की जाएगी।

(घ) 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी घटना में जहां सुविधा की कोई स्वीकृति शर्त उधारकर्ता द्वारा आंशिक रूप से संवितरित किश्त के बाद पूरी नहीं की जाती है

स्पष्टता के लिए, इस घटना में, पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट अवधि की गणना में एक विरोधाभास है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जो भी अवधि अधिक होगी, वह ((एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के एकमात्र विवेक के अनुसार प्रबल होगी। किसी भी घटना में, सभी वितरण के बाद के दस्तावेज स्वीकृति पत्र और/या वित्त दस्तावेजों में बताए गए समय के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट अवधि में पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट से अधिक और ऊपर उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि, इस समझौते के खंड 13.3 के अनुसार ऋणदाता के विवेकाधिकार पर प्रतिबंध की जा सकती है। पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट अवधि के पूरा होने पर, उधारकर्ता सुविधा पर ईआई का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी और बाध्य होगा, जैसा कि इस समझौते की शर्तों के अनुसूची के भाग बी में निहित पुनर्भुगतान अनुसूची में कहा गया है। सुविधा का पुनर्भुगतान केवल नीचे दिए गए खंड 13 में बताए गए अनुसार होगा। इस घटना में कि गिरवी रखी गई संपत्ति के निर्माण में कोई देरी हो और/या गिरवी रखी गई संपत्ति के कब्जे की तारीख और/या सुविधा के आंशिक संवितरण के बाद पोस्ट-डिस्बर्समेंट दस्तावेजों को जमा करने में उधारकर्ता की ओर से देरी या असमर्थता हो, उधारकर्ता पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट अवधि के पूरा होने के बाद (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट का भुगतान करने के लिए सहमत है, भले ही निर्माण और/या कब्जे में ऐसी देरी हो, जैसा भी मामला हो। इसके अलावा, उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि, एक उच्च पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट अवधि के बावजूद (बैलेंस ट्रांसफर और/या गिरवी रखी गई संपत्ति के निर्माण के मामलों में) इस घटना में कि सुविधा के आंशिक संवितरण के बाद पोस्ट-डिस्बर्समेंट दस्तावेजों को जमा करने में उधारकर्ता की ओर से देरी या असमर्थता हो, ऋणदाता उधारकर्ता को स्वीकृत सुविधा को उस सीमा तक कम करेगा/कम करेगा, जो पहले से ही वितरित की गई सुविधा की राशि है और उधारकर्ता ऐसी डाउनसाइज़्ड/कम की गई सुविधा पर (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी और बाध्य होगा।

स्पष्टता के लिए, पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट की ओर किए गए भुगतान को सुविधा के पुनर्भुगतान / पूर्व भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट का भुगतान सुविधा की मूल राशि को कम नहीं करता है।

AXIS FINANCE

3. उद्देश्य

ऋणी सुविधा की आय का उपयोग किसी भी अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणी की किसी भी अन्य मौजूदा सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए नहीं करेगा, सभी लागू कानूनों (मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों सहित) और/या ऋणदाता द्वारा अनुमत और स्वीकृति पत्र में उल्लिखित ऐसे उद्देश्य के अनुपालन में ऋणी सुविधा से प्राप्त आय का उपयोग आरबीआई (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया)/ एफ़ईएमए(विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) /सेबी(भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा निषिद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं करेगा। उधारकर्ता सुविधा का उपयोग केवल स्वीकृति पत्र में उल्लिखित उद्देश्य के लिए करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए या पूंजी बाजार/शेयरों/डिबेंचरों/म्यूचुअल फंडों/किसी भी रूप में सोने की खरीद, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयां या कोई भी अवैध/सट्टा गतिविधि शामिल है, में निवेश के लिए नहीं करेगा। ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना, ऋणदाता सुविधा के उपयोग/अंतिम उपयोग की निगरानी करने का हकदार होगा, जिसमें किसी भी लेखा परीक्षक(कों) या सलाहकार(कों) के माध्यम से उधारकर्ता की पुस्तकों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण/जांच करना शामिल है, उनसे आवश्यक प्रमाणन के साथ, जैसा कि ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार पर और उधारकर्ता के एकमात्र लागत और व्यय पर नियुक्त किया गया है। जब भी ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो, उधारकर्ता सुविधा के अंतिम उपयोग/उपयोग का ऋणदाता को संतोषजनक प्रमाण, दस्तावेजी या अन्यथा, प्राप्त करेगा। उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत है कि वह ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर अनुसूची VII में निर्दिष्ट प्रारूप में अंतिम उपयोग घोषणा ऋणदाता को तुरंत प्रस्तुत करेगा।

4. ओवरड्राफ्ट मासिक कटौती चक्र

[illegible], [illegible] "[illegible]" [illegible] 28[illegible] / 29[illegible] / 30[illegible] 31[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible] 5 [illegible]

[illegible] 20[illegible], [illegible], [illegible] 21[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ("[illegible]") [illegible] ([illegible]) [illegible] L/N [illegible], [illegible] L [illegible] N [illegible], [illegible]

[illegible]: [illegible] 20 [illegible], [illegible] 10 [illegible] 10,00,000/- [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] 10,00,000/10 = 1,00,000/- [illegible] ([illegible]) [illegible] (10,00,000 - 1,00,000) = 9,00,000/- [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible] 1,00,000/- [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] 8,00,000/- [illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible]/[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible]

5. शुल्क, प्रभार, लागत और दावे

(i) सुविधा, जिसमें ब्याज और दंड शुल्क शामिल हैं, माल और सेवा कर, शुल्क और कोई अन्य शुल्क, यदि कोई हो, अनुसूची में उल्लिखित अनुसार, और कोई अन्य कर, उपकर, शुल्क या दंड जो इस पर देय हैं, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, जो उधारकर्ता(ओं) अलग से वहन करने और ऋणदाता को भुगतान करने के लिए सहमत हैं, वहन करेगी।

(ii) इसके अलावा, पक्षों द्वारा यह सहमति दी जाती है कि विभिन्न लेनदेन के लिए लागू होने वाले अन्य सभी शुल्क, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, स्टॉप पेमेंट शुल्क आदि, एक सामान्य चालू खाते के लिए सुविधा से संबंधित खाते के लिए वास्तविक रूप से लागू होंगे।

(iii) ऋणदाता को उधारकर्ता (ओं) से सीमा के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी शुल्क या लागत या दावों को वसूलने का हकदार होगा, जिसमें इस समझौते के निष्पादन और मुद्रांकन और इस समझौते के अनुसार किसी अन्य दस्तावेज या सुरक्षा निर्माण के कारण शामिल हैं।

(iv) सभी शुल्कों और फीसों पर लागू दरों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) अतिरिक्त रूप से लिया जाएगा (जहां कहीं भी (जीएसटी) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो) ।

6. खाते के संचालन का पद्धति

(i) जब तक उधारकर्ता(ओं) और ऋणदाता के बीच अन्यथा सहमति न हो, ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से किए गए अनुरोध के अनुसार उधारकर्ता के खाते में एकमुश्त राशि में सुविधा जमा करेगा।

(ii) उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि उधारकर्ता, उधारकर्ता के अनुरोध के अनुसार वितरित सुविधा की सीमा तक, उधारकर्ता के खाते में निकासी करके सुविधा को वापस ले सकता है।

(iii). उधारकर्ता द्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि संवितरण से संबंधित प्रभार (इस तरह के भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ्ट पर लाभार्थी द्वारा आय के संग्रह के लिए या जारी करने के लिए शुल्क सहित) पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) ऋणदाता किसी भी समय सुविधा के लिए किसी भी राशि का वितरण नहीं कर सकता है, जब तक कि ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर उधारकर्ता द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है:

(क). ऋण दस्तावेज उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को विधिवत निष्पादित और वितरित किए जाते हैं;

(ख). उधारकर्ता (ओं) ने ऋणदाता को प्रतिभूति के लिए अपने स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक से संतुष्ट किया;

(ग). ऋणदाता को पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता (ओं) द्वारा पोस्टडेटेड चेक जमा करना या (ईएनएसीएच) इलेक्ट्रॉनिक नैशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस मैंडेट/ (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम);

(घ). कोई अन्य दस्तावेज या लेखन जैसा कि ऋणदाता अपने विवेकाधिकार में आवश्यकता हो सकता है।

(ङ). सभी आवश्यक अनुमोदन और उपयुक्त अधिकारियों से अनुमति का प्रस्तुतिकरण, जिसमें निगमों से अनुमोदन और प्रमाणपत्र शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(v) ऋणदाता सुविधा के तहत किसी भी आगे की राशि के वितरण को रोकने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जब तक कि इस तरह के आगे के वितरण से पहले ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है:

क. सुविधा के संबंध में चूक की कोई घटना नहीं हुई होगी;

ख. उधारकर्ता(ओं) ने सुविधा के पूर्व संवितरण के उपयोग का प्रमाण प्रस्तुत किया होगा;

(ग). उधारकर्ता (ओं) ने ऋणदाता के पक्ष में बीमा पॉलिसी (ओं) को सौंपा होगा, जैसा कि ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो सकता है;

(घ). धारकर्ता ने अपने आवधिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए होंगे; और

(ङ). उधारकर्ता (ओं) ने ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार में आवश्यक सभी या किसी अन्य दस्तावेज या लेखन का उत्पादन किया होगा, जो उधारकर्ता (ओं) पर बाध्यकारी होगा।

AXIS FINANCE

vi) सुविधा समझौते या किसी भी वित्त दस्तावेज में निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, सुविधा की निरंतरता ऋणदाता के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर होगी और ऋणदाता के पास उधारकर्ता से ऋणदाता के एकमात्र विवेक पर और कोई कारण बताए बिना, बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहने और मांगने का अधिकार सुरक्षित है और ऋणदाता द्वारा ऐसी मांग पर, उधारकर्ता, ऐसा कहे जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, बिना किसी कटौती, रोक, सेट-ऑफ, काउंटर-दावे, किसी भी देरी या आपत्ति के ऋणदाता को बकाया राशि का पूरा भुगतान करेगा।

vii. इस घटना में कि उधारकर्ता के पास खाते में अतिरिक्त धनराशि जमा है

viii. उपलब्ध सीमा के अतिरिक्त, ऋणदाता ऐसी अतिरिक्त धनराशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी या बाध्य नहीं होगा।

ix. खाते में जमा अतिरिक्त धनराशि के कारण ब्याज बचत केवल उधारदाता को धन की प्राप्ति की तारीख से ही उपलब्ध होगी, न कि उधारकर्ता द्वारा शुरू की गई लेन-देन की तारीख से।

7. ओवरड्राफ्ट सीमा में वृद्धि / कमी और सीमा की गणना

i. उधारकर्ता द्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि ऋणदाता प्रारंभिक सीमा और/या किसी भी परिचालन सीमा को अलग-अलग/पुनः निर्धारित करने (बढ़ाने/घटाने/रद्द करने सहित) का हकदार होगा, जो अतिरिक्त नियमों और शर्तों के अधीन है, जैसा कि ऋणदाता उधारकर्ता को आगे निर्धारित करने के लिए उचित समझ सकता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, उधारकर्ता के क्रेडिट का पुनर्मूल्यांकन और उधारकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना शामिल है, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।

ii. सुविधा/ परिचालन सीमा में परिवर्तन होने पर, जैसा भी मामला हो, इस दस्तावेज़ और सभी प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, को इस तरह के परिवर्तित और/ या संवर्धित सुविधा/ परिचालन सीमा को सुरक्षित रखने के लिए समझा जाएगा, बिना किसी और दस्तावेज़ को निष्पादित करने की आवश्यकता के।

iii. उधारकर्ता यह दर्शाता है और वारंट करता है कि उधारकर्ता ने ऋणदाता की परिचालन सीमा की गणना करने की कार्यप्रणाली पर सहमति व्यक्त की है, समझा है, स्वीकार किया है और उसे समय-समय पर लागू परिचालन सीमाओं के बारे में समय पर सूचित रखेगा।

iv. उधारकर्ता कार्यकाल के दौरान हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा के तहत कुल बकाया उपयोग (चाहे ड्राइंग, चेक जारी करने या किसी अन्य उपकरण/निर्देशों के द्वारा) किसी भी समय लागू परिचालन सीमा से अधिक नहीं होगा।

v. ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर किसी भी अनुरोध या चेक या भुगतान निर्देश/साधन को अस्वीकार/अस्वीकार/प्रक्रिया नहीं करने का हकदार होगा जो लागू परिचालन सीमा (उपयोग और डेबिट शेष राशि को घटाकर) से अधिक है और उधारकर्ता इसके परिणामों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा और ऋणदाता किसी भी समय किसी भी तरह से उधारकर्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

8. संवितरण

ऋणकर्ता, ऋणदाता को विधिवत भरा हुआ संवितरण अनुरोध प्रपत्र, जो अनुसूची VI में दिए गए प्रारूप में है, ऋणदाता द्वारा सहमत तरीके से और तारीख पर देकर सुविधा का उपयोग कर सकता है। सुविधा का संवितरण या तो 100% अग्रिम रूप से या चरणों/किश्तों में, निम्नानुसार किया जाएगा: (क) निर्माणाधीन संपत्ति के लिए, संवितरण निर्माण के चरण के अनुसार किया जाएगा; (ख) बैलेंस ट्रांसफर लेनदेन के लिए, संवितरण चरणों/किश्तों में किया जाएगा जब और जैसे ऋणकर्ता द्वारा आवश्यक हो; और (ग) किसी भी अन्य लेनदेन के लिए, संवितरण ऋणकर्ता के अनुरोध के अनुसार किया जाएगा। ऊपर बताए गए तरीके से सुविधा का संवितरण, ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता द्वारा इस समझौते की शर्तों का पालन करने या ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार पर अनुमति दिए जाने के अधीन होगा।

9. पूर्ववर्ती/अनुवर्ती शर्तें

ऋणदाता प्रस्तावित संवितरण तिथि पर संवितरण अनुरोध के अनुसार धनराशि संवितरित करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जब तक कि ऋणदाता यहाँ सूचीबद्ध लागू पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति से संतुष्ट न हो।

9.1 संवितरण के पूर्व की शर्तें

AXIS FINANCE

(क) किसी भी मौजूदा ऋणदाता (ऋणदाताओं) से ऋणदाता/उधारकर्ता को लिखित में बकाया राशि और खाते की स्थिति की पुष्टि करने वाला पत्र, संपत्ति पर उधारकर्ता को ऐसे मौजूदा ऋणदाता (ऋणदाताओं) द्वारा प्रदान की गई सुविधा के संबंध में और इसकी पूरी चुकौती प्राप्त होने पर ऋणदाता के पक्ष में ऐसी सुरक्षा संपत्तियों की तत्काल रिहाई की पुष्टि करता है। इसकी मौजूदा सुविधा, यदि कोई हो।

(ख) उधारकर्ता ने ऋणदाता द्वारा अपेक्षित सभी केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा किया होगा।

(ग) उधारकर्ता द्वारा खंड 16 के तहत बनाई जाने वाली सभी सुरक्षाओं को निष्पादित और निर्मित किया जाएगा, जैसा कि शर्तों की अनुसूची में निर्धारित समयसीमा के अनुसार है।

(घ) प्रतिभूति के सृजन और पूर्णता के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी प्रपत्रों और फाइलिंग को पूरा किया जाएगा।

(ङ) उधारकर्ता ने हाल की तारीख (1 (एक) महीने से अधिक पुरानी नहीं) के रूप में उधारकर्ता के बकाया सुरक्षित ऋण को प्रमाणित करने वाले अभ्यास-चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया होगा।

(च) ऋणदाता को ऋणदाता द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता से संपत्ति के स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक पर एक कानूनी राय प्राप्त होगी।

(छ) ऋणदाता को ऋणदाता के पैनल में शामिल मूल्यांकनकर्ताओं से संपत्ति का मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होगी।

(ज) उधारकर्ता संपत्ति के संबंध में एक व्यापक और समग्र बीमा पॉलिसी प्राप्त करेगा और/या कोई अन्य बीमा पॉलिसी जो उधारकर्ता के खर्च पर ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो सकती है।

(झ) कोई अन्य शर्तें जो ऋणदाता अपने निर्णय/विवेक में आवश्यक समझे।

9.2 संवितरण के बाद की शर्तें

(क) उधारदाता, यदि प्रदाता द्वारा आवश्यकता हो, तो प्रत्येक वित्त प्रवाह या अंतिम वित्त प्रवाह की तारीख से 30 दिन के भीतर, स्वीकृति पत्र के अनुसार, एक 'एंड-यूज सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करेगा, जिसमें एक प्रैक्टिसिंग-चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट हो।

(ख) ऋणदाता द्वारा अपेक्षित होने पर, ऋणदाता के पक्ष में प्रतिभूति सृजन पर विधिक राय, प्रतिभूति सृजन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुसार।

(ग) कोई अन्य शर्तें जो ऋणदाता अपने विवेक से आवश्यक समझे।

10. ब्याज

(क) ऋणदाता, उधारकर्ता से सुविधा की प्रत्येक किश्त, बकाया राशि, अतिदेय राशि, अवैतनिक देय ब्याज, प्रतिपूर्ति योग्य करों, लागतों, खर्चों और अन्य सभी बकाया शुल्कों और राशियों (दंड प्रभारों को छोड़कर) पर लागू ब्याज दर पर प्रत्येक किश्त ('ब्याज') के तहत ब्याज लेगा, साथ ही लागू करों और सुविधा समझौते में उल्लिखित किसी भी अन्य शुल्क के साथ, जो ऋणदाता के विकल्प पर, मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुसार, अग्रिम या समय-समय पर या संवितरण के समय देय हो सकता है। ब्याज सुविधा के तहत प्रत्येक किश्त के संवितरण की तारीख से लगाया जाएगा और प्रत्येक ब्याज भुगतान तिथि पर, अंतिम निपटान तिथि तक देय होगा।

(ख) सुविधा की अवधि के दौरान जोखिम भार में परिवर्तन के मामले में, किसी भी बाहरी या आंतरिक कारकों के कारण, लेकिन सुविधा की अवधि के दौरान लागू ब्याज दर में किसी भी संशोधन/रीसेट तक सीमित नहीं है, वाचाओं का उल्लंघन और/या कोई अन्य नियम और शर्तें, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है, ऋणदाता लागू ब्याज दर और शुल्क की अनुसूची को भविष्य में बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, अपने विवेकाधिकार पर और उधारकर्ता को पूर्व लिखित संचार के साथ, और ऋणदाता का निर्णय अंतिम और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(ग) सुविधा के तहत बकाया राशि पर लगने वाला समस्त ब्याज प्रतिदिन के आधार पर लगेगा और इसकी गणना तीन सौ पैंसठ (365) दिनों के एक वर्ष में बीते हुए वास्तविक दिनों के आधार पर की जाएगी या किसी अन्य वर्ष के लिए प्रथागत दिनों के आधार पर की जाएगी।

AXIS FINANCE

(घ) इसके अलावा, उधारकर्ता के अनुरोध पर और स्वीकृति पत्र और/या उधारकर्ता द्वारा प्रभारों की अनुसूची में बताए गए सेवा शुल्क, प्रशासनिक शुल्क (उस पर लागू (जीएसटी) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सहित) जैसे लागू शुल्कों/शुल्कों के भुगतान के अधीन, ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर, उधारकर्ता के ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर सकता है और ब्याज दर तंत्र को निश्चित से अस्थायी या इसके विपरीत में बदल सकता है, इसके अलावा, यदि लागू आई में कोई संशोधन/रीसेट होता है सुविधा की अवधि के दौरान ब्याज दर में परिवर्तन की स्थिति में, ऋणदाता उधारकर्ता को फ्लोटिंग ब्याज दर से निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान करेगा, केवल एक बार सुविधा की पूरी अवधि के दौरान, लागू शुल्क/शुल्क के भुगतान के अधीन, जिसमें सेवा शुल्क, प्रशासनिक शुल्क (साथ ही उस पर लागू (जीएसटी) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) शामिल हैं, लेकिन अनुमोदन पत्र और/या उधारकर्ता द्वारा शर्तों की अनुसूची में उल्लिखित तक सीमित नहीं है। तत्पश्चात, यदि उधारकर्ता सुविधा की अवधि के दौरान ऋणदाता को निश्चित ब्याज दर से अस्थायी ब्याज दर पर स्विच करने का अनुरोध करता है, तो ऋणदाता उधारकर्ता के ऐसे अनुरोध को अपने विवेक पर ऐसे परिवर्तित नियमों और शर्तों पर स्वीकार कर सकता है जैसा कि ऋणदाता उचित और उचित समझे। हालांकि, ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता को फिर से निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने से रोक दिया जाएगा। लागू निश्चित/फ्लोटिंग ब्याज दर ऋणदाता की वेबसाइट पर प्रत्येक रीसेट के समय प्रदर्शित की जाएगी। इसके मद्देनजर, ब्याज दर के रीसेट के आधार पर, उधारकर्ता को (i) (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट में वृद्धि या कार्यकाल के विस्तार या दोनों विकल्पों के संयोजन के लिए एक विकल्प प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि किसी भी घटना में कार्यकाल का विस्तार नकारात्मक परिशोधन (यानी) की ओर न ले जाए। , एक परिदृश्य जहां (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट राशि ब्याज घटक को पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है); और, (ii) ऋण की अवधि के दौरान किसी भी बिंदु पर, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करने के लिए। ऐसे मामलों में जहां सुविधा की अवधि के रीसेट के परिणामस्वरूप ऋणदाता की आंतरिक उत्पाद नीति के अनुसार ऋणात्मक परिशोधन या अधिकतम अवधि / आयु का उल्लंघन हो रहा है, तो संशोधन का प्रभाव केवल (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट राशि में दिया जाएगा और उधारकर्ता को सुविधा की अवधि बढ़ाने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। उधारकर्ता को उस विकल्प के संबंध में जवाब देना होगा जिसे उधारकर्ता लागू ब्याज दर के रीसेट के संबंध में ऋणदाता द्वारा भेजे गए इस तरह के इंटिमेशन की तारीख से 5 (पांच) दिनों के भीतर चयन करना चाहता है, जो नीचे दिए गए उप-खंड (ई) में प्रदर्शित किसी भी माध्यम से है। यदि इस खंड के अनुसार उधारकर्ता द्वारा चयनित कोई भी विकल्प ऋणदाता की आंतरिक नीति के अनुसार आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो ऋणदाता को अपने विवेकाधिकार के अनुसार उधारकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने और शर्तों को बदलने का अधिकार होगा। सुविधा के रूप में यह उचित और उचित समझ सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ऋणदाता की आंतरिक उत्पाद नीति के अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए निश्चित दर ऋण और फ्लोटिंग दर ऋण के मामले में पूर्व भुगतान दंड लागू होगा। हालांकि, सुविधा के पूर्व भुगतान पर फोरक्लोजर (पूर्ण पूर्व-भुगतान) शुल्क / पूर्व भुगतान शुल्क, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उस संबंध में मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे। उधारकर्ता द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि ऋणदाता सुविधा से संबंधित (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट चुकौती का त्रैमासिक विवरण उधारकर्ता के साथ साझा करेगा।

विवरणों को उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। ऋणदाता को ब्याज दर रीसेट तिथि पर सुविधा पर फ्लोटिंग/निश्चित ब्याज दर वाले ऋणों के संबंध में लागू ब्याज दर (जैसा कि यहां बताया गया है) को रीसेट करने का अधिकार होगा। लागू ब्याज दर को सुविधा पर रीसेट किया जाएगा, लागू ब्याज दर में परिवर्तन की प्रभावी तिथि से अगली (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट चक्र तिथि से।

उधारकर्ता को इस तरह के परिवर्तन की सूचना तब मानी जाएगी जब ऋणदाता द्वारा अपनी वेबसाइट या अन्य माध्यम से इसकी घोषणा/सूचना/प्रदर्शन किया जाएगा।

e)उधारकर्ता ऋणदाता की वेबसाइट / पोर्टल से ऋण खाते का विवरण डाउनलोड कर सकता है जो मूलधन और ब्याज की वसूली की तारीख, (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट राशि, शेष (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट की संख्या, लागू ब्याज दर, वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) एन्युअल पर्सेन्टेज रेट) सुविधा की पूरी अवधि के लिए दिखाता है।

(च) ऋणदाता को किसी भी विनियामक परिवर्तन/बेंचमार्क उधार दर की आंतरिक समीक्षा, उधारकर्ता (ओं) की साख में गिरावट की स्थिति में किसी भी शुल्क को संभावित रूप से संशोधित करने का भी अधिकार होगा।

(छ) ओवरड्राफ्ट सीमा के मामले में, सीमा पर ब्याज उधारकर्ता द्वारा हर महीने अलग से देय होगा। इसके अलावा, फ्लोटिंग से फिक्स्ड या इसके विपरीत लागू ब्याज दर के रीसेट/संशोधन के मामले में, उधारकर्ता का मौजूदा ऋण खाता बंद कर दिया जाएगा और एक नया ऋण खाता बनाया और पंजीकृत किया जाएगा। हालांकि, जब तक नया ऋण खाता बनाया और पंजीकृत नहीं हो जाता है, तब तक लागू ब्याज दर के रीसेट/संशोधन के संबंध में ऋणदाता के एकमात्र विवेक के अनुसार डिफ़ॉल्ट परिवर्तन उधारकर्ता के मौजूदा ऋण खाते पर प्रभावी होंगे।

(ज) उधारकर्ता सीमा पर ब्याज, अतिदेय राशि, अवैतनिक देय ब्याज और अन्य सभी बकाया शुल्क और धन (अवैतनिक दंडात्मक शुल्क को छोड़कर), अनुसूची में निर्दिष्ट ब्याज दर पर, बकाया दैनिक शेष पर, मासिक चक्रवृद्धि पर ब्याज का भुगतान करेगा।

i)उधारकर्ता ने ऋणदाता की ब्याज की गणना करने की विधि को स्वीकार, समझा, स्वीकार किया है और उसके बारे में जानता है।

j) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाते को (एनपीए) नॉन परफॉर्मिंग एसेट (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए नीचे उल्लिखित 3 (तीन) शर्तों का हर समय पालन किया जाए।

i. i. उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक न रहे।
ii. **उधारकर्ता प्रत्येक 90 दिनों में ओडी खाते में सीमा का उपयोग सुनिश्चित करेगा। यदि उधारकर्ता की ओर से कोई सीमा उपयोग या सुविधा का उपयोग नहीं होता है, तो ऋणदाता अपने विवेक पर ऋण खाता बंद करने या सुविधा वापस लेने का हकदार होगा।**
iii. उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले 3 (तीन) महीनों में क्रेडिट पिछले तीन महीनों के लिए अवैतनिक ब्याज की सेवा के लिए पर्याप्त है। बिलिंग चक्र: उधारकर्ता अनुसूची में अधिक विशेष रूप से वर्णित बिलिंग चक्र की शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करेगा।

11. दंड शुल्क/ दंडात्मक शुल्क

सुविधा दस्तावेजों के तहत ऋणदाता को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी महत्वपूर्ण शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर दंड शुल्क उधारकर्ता पर लगाया जाएगा और अतिरिक्त शुल्क के रूप में देय होगा। ऋणदाता ऐसी चूक/उल्लंघन होने पर उधारकर्ता को ऐसी चूक/उल्लंघन के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा, साथ ही उस संबंध में लगाए गए दंड शुल्क की मात्रा और कारण भी बताएगा, जिसे ऋणदाता की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। दंड शुल्क की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को चूक/उल्लंघन हुआ है, जब तक कि ऐसी चूक/उल्लंघन ऋणदाता की संतुष्टि के लिए ठीक नहीं हो जाता। यह स्पष्ट किया जाता है कि दंड शुल्क की पिछली बकाया राशि पर अतिरिक्त दंड शुल्क नहीं लगाया जाएगा यदि ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, दंड शुल्क की बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा यदि ऐसे शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। स्पष्टता के लिए, यदि उधारकर्ता द्वारा सुविधा समझौते के तहत ऋणदाता को देय तिथि (तिथियों) पर किसी भी राशि का पूर्ण रूप से भुगतान करने में कोई चूक होती है, तो उधारकर्ता अनुसूची में उल्लिखित अतिदेय राशि पर दंड शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी गणना देय तिथि से उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को पूर्ण भुगतान किए जाने तक की जाएगी, ऋणदाता की संतुष्टि के लिए। बशर्ते कि, यदि सुविधा एक ओवरड्राफ्ट सीमा है, तो ऋणदाता उधारकर्ता को देय तिथि के अनुसार सुविधा के तहत देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए एक अनुग्रह अवधि प्रदान कर सकता है, जो ऋणदाता को उचित लगे ("अनुग्रह अवधि") जिसके दौरान अनुग्रह अवधि में ऋणदाता उधारकर्ता पर दंड शुल्क नहीं लगा सकता है और यदि उक्त पुनर्भुगतान उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को ऐसी अनुग्रह अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो दंड शुल्क उधारकर्ता द्वारा देय तिथि से देय होगा।

12. ऋण संसाधन शुल्क

उधारकर्ता ऋणदाता को एक गैर-वापसी योग्य और गैर-समायोज्य ऋण प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करेगा, जैसा कि सुविधा समझौते से जुड़ी शर्तों की अनुसूची में निर्दिष्ट है और आगे स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार।

13. पुनर्भुगतान

13.1. सुविधा का पुनर्भुगतान

(क). उधारकर्ता टर्म लोन सुविधा का भुगतान (i) समान किस्त या (ii) मासिक किस्त/त्रैमासिक किस्त/संरचित किस्त/बुलेट पुनर्भुगतान ("पुनर्भुगतान किस्त (ओं)") के माध्यम से करेगा (जैसा कि अनुसूची में अधिक विशेष रूप से वर्णित है) सुविधा समझौते से संलग्न शर्तें) मूल अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होती हैं (जैसा कि सुविधा समझौते की शर्तों की अनुसूची के तहत निर्दिष्ट है, यदि कोई हो), मंजूरी पत्र ("पुनर्भुगतान तिथि") के अनुसार।

(ख) उधारकर्ता ऋण खाते में संवितरण किए जाने की तारीख से सुविधा पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करेगा और तदनुसार पहली ईएमआई (बीपीआई) की गणना केवल पहली किस्त की नियत तारीख के लिए शेष दिनों की वास्तविक संख्या के लिए की जाएगी और इसका भुगतान संवितरण की तारीख को अग्रिम रूप से किया जाएगा।

(ग). सुविधा (मूलधन, उस पर ब्याज और उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को सुविधा समझौते के अनुसार देय कोई अन्य प्रभार, प्रीमियम, शुल्क, कर लेवी या अन्य बकाया सहित) उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को चुकाने योग्य हो –

(i) ऋणदाता के स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर, जैसा कि ऋणदाता द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

(ii) सुविधा समझौते में उल्लिखित पुनर्भुगतान किस्त के माध्यम से, आगे स्वीकृति पत्र के अनुसार, मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए; या

(iii) अलग-अलग पुनर्भुगतानों द्वारा, उस स्थिति में जहाँ (क) सुविधा को पुनर्भुगतान किस्त की शुरुआत से पहले भुगतान करने का प्रस्ताव है या (ख) पुनर्भुगतान किस्त की शुरुआत से पहले ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए या (ग) दंड शुल्क, फीस, शुल्क, करों, दावों, लागतों और ऋण पर लगाए गए खर्चों के पुनर्भुगतान के लिए।

(घ). चुकौती किस्त इस प्रकार तय की जाएगी कि उसमें मूलधन की चुकौती और ब्याज दर के आधार पर गणना की गई ब्याज की अदायगी शामिल हो, सुविधा के अंतर्गत संपूर्ण देयता की चुकौती की आवधिकता उसकी अवधि के अंत में हो और उधारकर्ता तब तक चुकौती किस्त(यों) का भुगतान करता रहेगा जब तक कि सुविधा के अंतर्गत देय सभी राशियाँ ऋणदाता को पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती हैं। बशर्ते, तथापि, निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर चुकौती किस्त को बदला जा सकता है: (i) ग्राहक के अनुरोध पर, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अधीन; और (ii) फ्लोटिंग दर के मामले में ।

(ङ). उधारकर्ता को प्रत्येक देय तिथि पर नियमित रूप से चुकौती किस्त का भुगतान करने के अपने दायित्व के संबंध में कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी। ऋणदाता को शीघ्र और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी होगी। किसी भी चुकौती किस्त के भुगतान में कोई देरी या चूक उधारकर्ता को ऋणदाता को दंड शुल्क/दंडात्मक शुल्क (इस तरह के डिफ़ॉल्ट की अवधि के लिए) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाएगी, इसके अलावा डिफ़ॉल्ट की घटना का गठन करेगी जिससे सुविधा समझौते के तहत सभी रकम देय होंगी और ऋणदाता को तुरंत देय होंगी।

(च). बकाया / (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट बाउंस होने की स्थिति में किस्त का प्रतिनिधित्व।

(छ). सुविधा के तहत चुकाई गई किसी भी राशि को फिर से उधार नहीं लिया जा सकता है, हालांकि, यदि सुविधा ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में है, तो यह एक रिवॉल्विंग आधार पर होगी।

13.2. सीमा का पुनर्भुगतान

i. i. उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत है और वचन देता है कि वह प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन को या उससे पहले ऋण खाते में विधिवत रूप से ऐसी राशि जमा करेगा जो उधारकर्ता द्वारा उपयोग की गई सीमा के लिए उस महीने की पूरी अवधि के लिए ऋणदाता को ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगी। स्पष्टता के लिए, ब्याज के लिए जमा की जाने वाली राशि, ऊपर उल्लिखित संचालन सीमा से अधिक मूल राशि (यदि कोई हो) के लिए उधारकर्ता द्वारा किए गए भुगतान/जमा के अतिरिक्त (और बदले में नहीं) होगी।

ii. ii. उधारकर्ता एतद्द्वारा ऋणदाता को संबंधित नियत तिथियों पर या उससे पहले या अन्यथा ऋणदाता के विवेक के अनुसार उक्त राशि के भुगतान के लिए ऋण खाते को डेबिट करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है। ब्याज की गणना तीन सौ पैंसठ दिनों के एक वर्ष के आधार पर की जाएगी। ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर वर्ष के आधार और ब्याज की अवधि को संशोधित करेगा। ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर समय-समय पर ब्याज की उक्त दर को बदलने का भी हकदार होगा, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण भी शामिल है, जिसकी सूचना उधारकर्ता (ओं) को दी जाएगी और उधारकर्ता (ओं) पर बाध्यकारी होगी। उधारकर्ता समय-समय पर लागू होने वाले सभी ब्याज करों का भी भुगतान करेगा और वहन करेगा, यदि कोई हो।

iii. iii. जहां सुविधा ओवरड्राफ्ट सीमा के रूप में है, उधारकर्ता (ओं) प्रत्येक लिमिट चेंज डेट पर ऋणदाता को ऐसी राशि (राशि) चुकाएगा जो उस महीने के लिए लागू संचालन सीमा से अधिक है ("कमी राशि")। इसके अलावा, उधारकर्ता (ओं) ओवरड्राफ्ट सीमा से संबंधित संपूर्ण बकाया राशि का

पुनर्भुगतान सुनिश्चित करेगा, साथ ही सुविधा की अवधि के अंत में या ऋणदाता द्वारा मांग किए जाने पर कोई अन्य बकाया राशि, जो भी पहले हो।

13.3. सुविधा का विनियोजन

(i) विनियोग का क्रम

जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए या लागू कानून द्वारा आवश्यकता न हो, उधारकर्ता से प्राप्त कोई भी भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

क. बकाया ब्याज, यदि हो;

ख. बकाया मूलधन;

ग. बकाया दंडात्मक शुल्क;

घ. बकाया बाउंसिंग शुल्क;

ङ. अन्य शुल्क, जिसमें प्रसंस्करण शुल्क, कानूनी लागत, या बीमा प्रीमियम शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं;

च. भविष्य का मूलधन राशि।

(ii) मानक और बकाया ऋणों के लिए विनियोग (0-90 डीपीडी खाते)

मानक संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत या ऋण जिनमें बकाया ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) हैं लेकिन 90 दिनों से अधिक की देयता (डीपीडी) नहीं है, के लिए भुगतान बकाया किश्तों के कालानुक्रमिक क्रम में लागू किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि माह 1 (एम 1) और माह 2 (एम 2) की ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) बकाया हैं, तो भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

क. एम 1 ब्याज;

ख. एम 1 मूलधन;

ग. एम 2 ब्याज;

घ. एम 2 मूलधन;

ङ. एम 1 दंडात्मक शुल्क;

च. एम 1 बाउंसिंग शुल्क;

छ. एम 1 अन्य;

ज. एम 2 दंडात्मक शुल्क;

झ. एम 2 बाउंसिंग शुल्क;

ञ. एम 2 अन्य;

(iii) गैर-निष्पादित संपत्तियों के लिए विनियोग (90 + डीपीडी खाते)

यदि सुविधा को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

क. बकाया मूलधन;

ख. बकाया ब्याज;

ग. बकाया दंडात्मक शुल्क;

घ. बकाया बाउंसिंग शुल्क;

ङ. अन्य शुल्क

गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत ऋणों या 90 दिनों से अधिक की देयता (डीपीडी) वाले बकाया ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) वाले ऋणों के लिए, भुगतान बकाया किस्तों के कालानुक्रमिक क्रम में लागू किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि माह 1 (एम 1) और माह 2 (एम 2) की ईएमआई (मासिक किस्त भुगतान) बकाया हैं, तो भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

क. एम 1 मूलधन

ख. एम 1 ब्याज

ग. एम 2 मूलधन

घ. एम 2 ब्याज

ङ. एम 1 दंडात्मक शुल्क

च. एम 1 बाउंसिंग शुल्क

छ. एम 1 अन्य

ज. एम 2 दंडात्मक शुल्क

झ. एम 2 बाउंसिंग शुल्क

ञ. एम 2 अन्य

(iv) धोखाधड़ी या लिखित संपत्तियाँ

धोखाधड़ी या लिखित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए, कोई भी भुगतान पहले कुल (भविष्य) मूलधन की बकाया राशि पर लागू किया जाएगा, फिर बकाया ब्याज, बकाया दंडात्मक ब्याज, बकाया बाउंसिंग शुल्क, और अन्य सभी बकाया शुल्कों पर लागू किया जाएगा।

(v) ऋणदाता की विवेकाधीन शक्ति

उपरोक्त के बावजूद, ऋणदाता यह अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि वे विनियोग के क्रम को बिना पूर्व सूचना के अपनी पूर्ण विवेकाधिकार पर संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी संशोधन ऋणी पर बाध्यकारी होगा।

(vi) अधिशेष भुगतान

ऋणी द्वारा सुविधा के तहत देय राशि से अधिक किया गया कोई भी अधिशेष भुगतान ऋणदाता की मानक नीति के अनुसार संपत्ति की शेष राशि के रूप में व्यवहार किया जाएगा, जिसके विवरण अनुरोध पर उपलब्ध होंगे

13.4. उधारकर्ता का दायित्व

सुविधा की शर्तों में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि सुविधा एक से अधिक उधारकर्ता को प्रदान की जाती है, तो सुविधा को ब्याज के साथ चुकाने के लिए उधारकर्ता की देयता और सुविधा की शर्तों के तहत देय होने वाली सभी अन्य राशियाँ और/या उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निष्पादित कोई अन्य दस्तावेज, संयुक्त और कई होंगे।

13.5 पारस्परिक दायित्व/ऋण उगाही में चूक/हक/समायोजन

उधारकर्ता द्वारा किसी भी समझौते, व्यवस्था और/या उसके किसी भी ऋण (चाहे वास्तविक या आकस्मिक, या प्राथमिक या संपार्श्विक, या संयुक्त और/या कई) के तहत उधारकर्ता द्वारा भौतिक शर्तों के किसी भी चूक और/या चूक को ऋणदाता या उसकी सहायक कंपनियों/साथी सहायक कंपनियों/सहबद्धों/ऋणदाता के हिस्से के रूप में किसी अन्य इकाई के साथ, सुविधा के तहत चूक की घटना का गठन करेगा और इसके विपरीत। ऋणदाता, उसके सहयोगी और ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के पास अन्य सभी, वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के धन, प्रतिभूतियों, किसी भी प्रकार और प्रकृति की जमाओं, उधारकर्ता के क्रेडिट से संबंधित सभी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों पर/के खिलाफ एक सर्वोपरि ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ का अधिकार होगा (चाहे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अकेले या संयुक्त रूप से आयोजित किया गया हो) जो जमा किए गए हैं: ऋणदाता के नियंत्रण में/उसके सहयोगियों और/या ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के साथ किसी भी अनुबंध के तहत उधारकर्ता द्वारा किसी भी क्षमता में प्रवेश किया जाना है, भले ही ऐसी जमाओं को ऋण के समान मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऋणदाता, उसके सहयोगी और ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को बकाया के निपटान के लिए उधारकर्ता को किसी भी और नोटिस के साथ या उसके बिना ऐसी सभी राशियों/संपत्तियों/संपत्तियों के खिलाफ ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ के ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का हकदार और अधिकृत किया जाएगा। इस संबंध में, ऋणदाता द्वारा अपने सहयोगियों और/या ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को दिया गया कोई भी निर्वहन उधारकर्ता पर वैध और बाध्यकारी होगा। इसके अलावा, उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता को ऋणदाता के सहयोगियों और/या ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए अधिकृत करता है, उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के ऐसे सहयोगियों और/या ऋणदाता से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को देय किसी भी राशि के लिए, ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता से प्राप्त/वसूल की गई किसी भी अतिरिक्त धनराशि से।

13.6. बहु-ऋण:

(क) इसके द्वारा उधारकर्ता / ऋणी द्वारा यह घोषित और सहमति व्यक्त की जाती है कि उधारकर्ता / ऋणी ने (i) न तो किसी अन्य ऋणदाताओं / बैंकों / वित्तीय संस्थानों से किसी भी ऋण की मंजूरी या संवितरण प्राप्त किया है और न ही योजना बनाई है, सिवाय इसके कि ऋणदाता के साथ ऋण के लिए आवेदन करने के समय पहले से ही प्राप्त और प्रकट किए गए ऋण ((एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) और (ii) ऋणदाता से प्राप्त सुविधा के संवितरण की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर कोई और ऋण नहीं लेंगे, जो उनके मासिक (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट दायित्वों को मासिक शुद्ध आय से अधिक कर देगा, बिना ऋणदाता की उस संबंध में पूर्व लिखित सहमति।

(ख) उधारकर्ता/ऋणी को ऋणदाता को लिखित रूप में किसी भी और सभी ऋणों/वित्तीय सहायता की खरीद या किसी भी वित्तीय सहायता क अनुरोध (स्वीकृत और साथ ही अभी तक स्वीकृत नहीं) के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य, जिम्मेदार और कर्तव्य-बद्ध होना चाहिए उधारकर्ता/ऋणी किसी अन्य ऋणदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान/तृतीय-पक्ष/और/या किसी गारंटी (व्यक्तिगत और/या कॉर्पोरेट) द्वारा प्रदान या प्रस्तावित किसी भी तीसरे पक्ष/ies को प्रदान की जाने वाली सुविधा के वितरण से पहले 30 दिनों की अवधि के लिए उधारकर्ता/ऋणी द्वार प्रदान की जाने वाली सुविधा या यहां दी गई सुविधा की पहली किश्त का वितरण, जैसा भी मामला हो। ऋण सुविधा के कार्यकाल के दौरान किसी भी बाद के समय में, ऋणदाता को पता चलता है कि उधारकर्ता/ऋणी ने किसी अन्य ऋणदाता/बैंक/वित्तीय संस्थानों से कई फंडिंग का लाभ उठाया है, बिना ऋणदाता को लिखित रूप में अग्रिम रूप से सूचित किए और/या उधारकर्ता/ऋणी इस खंड की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है। मल्टी लेंडिंग पर, यह उधारकर्ता/ऋणी की ओर से वित्त दस्तावेजों के एक डिफ़ॉल्ट/उल्लंघन की घटना को ट्रिगर करेगा और ऋणदाता को ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता/ऋणी को दी गई पूरी ऋण सुविधा को वापस बुलाने का हकदार होगा।

किसी भी समझौते (समझौतों) में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और सहमत होता है कि (क) उधारकर्ता और/या उधारकर्ता की कोई भी समूह इकाई और (ख) ऋणदाता और/या ऋणदाता के कोई अन्य सहयोगी के बीच ऐसे किसी भी समझौते के तहत किसी भी उल्लंघन/चूक/चूक की घटना होने पर, ऐसे समझौते/दस्तावेज़ के तहत ऐसा उल्लंघन/चूक/चूक की घटना सुविधा की शर्तों के तहत भी चूक की घटना होगी, और ऋणदाता और/या ऋणदाता के कोई भी सहयोगी (जैसा लागू हो) उनके पास उपलब्ध किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकाधिकार पर ऐसे समझौतों के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

14. पूर्वभुगतान

(क) सुविधा का पूर्व भुगतान

उधारकर्ता को सुविधा की अवधि के दौरान, पूर्व भुगतान प्रीमियम का भुगतान करके, शर्तों और शर्तों के अनुसूची और मंजूरी पत्र के तहत प्रदान की गई शर्तों और शर्तों के अनुसार, सुविधा को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा। बशर्ते, हालांकि, ऋणदाता द्वारा निर्धारित अनिवार्य पूर्व भुगतान प्रावधानों के अनुसार किए गए पूर्व भुगतान पर कोई पूर्व भुगतान जुर्माना लागू नहीं होगा। बशर्ते, हालांकि, सुविधा होम लोन सुविधा की प्रकृति में है, सुविधा का पूर्व भुगतान ऋणदाता की नीतियों और नियमों के अनुसार और किसी भी वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जो समय-समय पर लागू हो सकता है। यदि कोई नीति, नियम या दिशानिर्देश नहीं है, तो शर्तों के अनुसूची में उल्लिखित पूर्व भुगतान शुल्क लागू होंगे। पूर्व भुगतान की स्थिति में, उधारकर्ता सहमत है कि पूर्व भुगतान शुल्क इस समझौते की शर्तों के अनुसार और उधारकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और सहमति से बिना किसी जबरदस्ती के उधारकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि एक बार पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है और ऋणदाता द्वारा नो-ड्यूस प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है, तो उधारकर्ता किसी भी कारण से किसी भी समय ऋणदाता से किसी भी राशि को वापस नहीं लेगा।

उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता उधारकर्ता के निम्नलिखित बैंक खातों से ही फोरक्लोज़र, आंशिक-पूर्व भुगतान और पूर्व भुगतान शुल्क की अनुमति देगा: (i) वेतनभोगी उधारकर्ता(ओं) के लिए उधारकर्ता का वेतन खाता; या (ii) सुविधा के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से ऋणदाता के साथ पंजीकृत पुनर्भुगतान खाता।

(ख) प्रतिबंध

इस खंड 14 के तहत किसी भी पक्ष द्वारा दी गई पूर्व भुगतान की कोई भी सूचना अपरिवर्तनीय होगी और जब तक कि इस सामान्य नियम और शर्तों में कोई विपरीत संकेत नहीं दिया जाता है, उस तारीख को निर्दिष्ट करेगा जिस पर संबंधित पूर्व भुगतान किया जाना है और उस पूर्व भुगतान की राशि।

(ग) इस समझौते की किसी अन्य शर्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को भुगतान की गई कोई भी पूर्व-भुगतान/अधिशेष राशि; उधारकर्ता से किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में नीचे दी गई मानदंड/ कार्यप्रणाली के आधार पर ऋण खाते में विनियोजित की जाएगी:

(i) (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट से अधिक (>) अतिरिक्त राशि: यदि धनराशि प्राप्त होने के 2 कार्य दिवसों के भीतर आंशिक भुगतान (आंशिक पूर्व-भुगतान) / फौजदारी (पूर्ण पूर्व-भुगतान) के लिए सेवा अनुरोध ((एसआर) सर्विस रिक्वेस्ट) नहीं बनाया/प्राप्त किया जाता है, तो अतिरिक्त धनराशि को ऋण अवधि पर आंशिक भुगतान (आंशिक पूर्व-भुगतान) / फौजदारी (पूर्ण पूर्व-भुगतान) के रूप में प्रभाव देकर बकाया मूलधन की ओर समायोजित किया जाएगा। यदि कोई बकाया है, तो उसे पहले समायोजित किया जाएगा और शेष राशि को आंशिक पूर्व भुगतान के लिए माना जाएगा। फौजदारी (पूर्ण पूर्व-भुगतान) अनुरोध के मामले में अतिरिक्त राशि कुल फौजदारी (पूर्ण पूर्व-भुगतान) देय राशि के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

(ii) (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट के बराबर अतिरिक्त राशि: यदि सेवा अनुरोध ((एसआर) सर्विस रिक्वेस्ट)/आंशिक भुगतान (आंशिक पूर्व-भुगतान) के लिए निर्देश धन की प्राप्ति के उसी दिन नहीं बनाए/प्राप्त किए जाते हैं, तो अतिरिक्त राशि उधारकर्ता के ऋण चुकौती परिचालन खाते में वापस कर दी जाएगी। अग्रिम मामलों में भुगतान की गई (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट को धनवापसी प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।

(iii) (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट से कम (<) अतिरिक्त राशि: अतिरिक्त राशि को ऋण खाते में 3 कार्य दिवसों तक के लिए अप्रयुक्त रखा जाएगा; 3 कार्य के बाद अतिरिक्त धनराशि उधारकर्ता के ऋण चुकौती परिचालन खाते में वापस कर दी जाएगी।

15. भुगतान का तरीका

(क) उधारकर्ता ऋणदाता को सुविधा के उचित पुनर्भुगतान के लिए ऋणदाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पोस्ट-डेटेड चेक/एस और/या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए हस्ताक्षरित मैंडेट (**"(ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट"**) और/या हस्ताक्षरित राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) डेबिट मैंडेट (**"एनएसीएच मैंडेट"**) और/या डायरेक्ट डेबिट के लिए हस्ताक्षरित मैंडेट (**"डायरेक्ट डेबिट मैंडेट"**) वितरित करेगा। इस तरह के चेक/एस और/या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को उधारकर्ता द्वारा पहले से प्राप्त पर्याप्त विचार के लिए दिया गया माना जाएगा और चेक/एस के विधिवत प्राप्त होने तक उधारकर्ता को बकाया सुविधा का भुगतान करने

के लिए उसकी देयता से मुक्त नहीं किया जाएगा। और/या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट पर विधिवत कार्रवाई की जाती है। यह स्पष्ट रूप से सहमत और समझा जाता है कि उधारकर्ता भुगतान के लिए उनकी नियत तारीखों पर चेक और/या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की प्राप्ति के लिए पर्याप्त शेष राशि बनाए रखेगा और किसी भी समय बैंक खाते को बंद नहीं करेगा/एस जिसके संबंध में इस तरह के (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या चेक और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट जारी किए गए हैं या ऋणदाता को उक्त चेक और/या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की प्रस्तुति को रोकने या स्थगित करने के लिए कोई संचार जारी किया गया है और ऋणदाता किसी भी ऐसे संचार को नोटिस करने के लिए बाध्य नहीं है और जो, यदि जारी किया जाता है, तो चेक ड्रा और/या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट के अनादर के रूप में माना जाएगा। बशर्ते कि ऋणदाता के पास सुविधा के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय, उधारकर्ता को नए चेक और/या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट जमा करने के लिए बुलाने का बिना शर्त अधिकार होगा यदि ऋणदाता की राय में इस तरह के नए चेक और/या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट ब्याज के भुगतान और/या सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए आवश्यक नहीं हैं।

(ख) उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है कि यदि उधारकर्ता द्वारा भुगतान के लिए कोई अन्य राशि बकाया है (सुविधा या उस पर ब्याज नहीं है) जिसमें किसी अन्य ऋण या अग्रिम के तहत वितरित राशियों के कारण या उधारकर्ता की अन्य ऋणग्रस्तता के कारण, ऋणदाता को उसके पास जमा किए गए पोस्ट-डेटेड चेक को भुनाने और/या प्रासंगिक (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को लागू करने का अधिकार होगा, भले ही पोस्ट-डेटेड चेक जमा किए गए हों और/या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट प्रदान किया गया हो, सुविधा और उस पर ब्याज की चुकौती के लिए और उधारकर्ता सुविधा या ब्याज के लिए ऋणदाता का ऋणी बना रहेगा, जैसा भी मामला हो।

(ग) सभी चेक ऋणदाता के पक्ष में जारी किए जाएंगे और/या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट और/या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट जारी किए जाएंगे और चेक या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट/डायरेक्ट डेबिट मैंडेट पर देय राशि को चेक या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट/डायरेक्ट डेबिट मैंडेट के प्राप्त होने पर प्राप्त माना जाएगा।

(घ) उक्त चेक या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट/डायरेक्ट डेबिट मैंडेट का अनादर/गैर-बोध उधारकर्ता और चेक/(ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट और/या एनएसीएच मैंडेट/डायरेक्ट डेबिट मैंडेट के हस्ताक्षरकर्ताओं को धारा 138 के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और/या भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अलावा अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध किसी अन्य कार्रवाई कानूनी कार्रवाई/उपायों के अलावा। उधारकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता यह दलील देने के हकदार नहीं होंगे कि उक्त चेक या (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट या एनएसीएच मैंडेट या डायरेक्ट डेबिट मैंडेट वैध रूप से जारी नहीं किया गया था।

(ङ) उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को भुगतान लिखतों के विवरणों को भरने के लिए दिया गया प्राधिकार, जिसमें देय राशियां शामिल हैं, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 20 के प्रावधानों के तहत अनुमत है और यह ऋणदाता द्वारा उक्त भुगतान लिखतों में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं करता है। वित्त दस्तावेजों के निष्पादन से, उधारकर्ता ने सहमति व्यक्त की है और पुष्टि की है कि इस घटना में ऋणदाता के भुगतान लिखतों को भरने के कार्यों को किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति या मंच, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक, गैर-न्यायिक, सरकारी, अर्ध-सरकारी या गैर-सरकारी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अर्थ के भीतर एक परिवर्तन माना जाता है:

(i) उधारकर्ता ने इस तरह के परिवर्तन के लिए उधारकर्ता की सहमति प्रदान की है और इस तरह के परिवर्तन के कारण, भुगतान लिखतों को शून्य या अन्यथा अप्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा और उधारकर्ता ने भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने पर ऐसी भुगतान लिखतों का सम्मान करने के लिए सहमति व्यक्त की है और स्वीकार किया है।

AXIS FINANCE

(ii) उधारकर्ता ने पुष्टि की है कि इस तरह का परिवर्तन ऋणदाता और उधारकर्ता के सामान्य इरादे को दर्ज करने के लिए किया गया है, जो सामान्य इरादा भुगतान उपकरणों को उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय राशियों से भरना है और भुगतान के लिए उसी को प्रस्तुत करना है। ऐसी तारीखों पर जैसा कि ऋणदाता अपने पूर्ण और एकमात्र विवेक से तय कर सकता है।

(च) इस संबंध में उधारकर्ता ने ऋणदाता को अपने किसी भी अधिकारी, एजेंट के माध्यम से कार्य करने के लिए ऋणदाता के लिए सच्चे और वैध वकील के रूप में अपरिवर्तनीय रूप से नामांकित, गठित और नियुक्त करने के लिए सहमति व्यक्त की है और इसकी लागत और जोखिम को करने, निष्पादित करने और प्रदर्शन करने के लिए सभी या कोई भी निम्नलिखित कार्यों, कर्मों, मामलों और बातों के बारे में, अर्थात्:-

(i) भुगतान लिखतों को सुरक्षित रखने और उधारकर्ता के जोखिमों और लागतों पर उन्हें उठाने, संसाधित करने और निकासी के लिए किसी भी एजेंट, कूरियर एजेंसियों, संवाददाता बैंकों को नियुक्त या संलग्न करना;

(ii) सामान्यतः, सुविधा के पुनर्भुगतान से संबंधित या उसके संबंध में या उससे संबंधित सभी कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करना, निष्पादित करना और निष्पादित करना;

(iii) उपर्युक्त सभी मामलों और कार्यों को बेहतर ढंग से करने, निष्पादित करने और निष्पादित करने के लिए, उधारकर्ता इसके द्वारा उक्त ऋणदाता को अपनी जगह और स्थान पर प्रतिस्थापित करने और नियुक्त करने की पूरी शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, जैसा कि वह उचित समझे, एक या अधिक वकील (एस) उधारकर्ता के लिए उधारकर्ता के वकील (एस) के रूप में यहां दी गई किसी भी या सभी शक्तियों और अधिकारियों का प्रयोग करने के लिए, इस तरह की किसी भी नियुक्ति को रद्द करने और किसी अन्य व्यक्ति (एस) को ऐसे वकील (एस) के स्थान पर प्रतिस्थापित या नियुक्त करने के लिए जैसा कि ऋणदाता समय-समय पर उचित समझे;

(iv) उधारकर्ता ने यह भी सहमति दी है कि ऋणदाता द्वारा इस दस्तावेज़ में दी गई शक्तियों के आधार पर परिसर में या उसके आसपास जो कुछ भी किया जाएगा या करवाया जाएगा, उसे वह अनुमोदित और पुष्ट करेगा;

(छ) वित्त दस्तावेजों के तहत ऋणदाता को दिया गया प्राधिकार और शक्तियां एक विचार के लिए है और भारतीय संविदा अधिनियम, 1882 की धारा 202 के तहत अपरिवर्तनीय है और इस तरह के प्राधिकार/शक्ति उधारकर्ता की मृत्यु/घुमावदार/विघटन से बच जाएगी (जैसा कि मामला-दर-मामला आधार पर लागू हो सकता है)। इसके अलावा, उधारकर्ता को सभी भुगतान उपकरणों का सम्मान करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि ऋणदाता द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया है और कोई भी कदम नहीं उठाना है, जो किसी भी तरह से ऋणदाता को भुगतान को प्रभावित करने की संभावना है।

(ज) यदि ऋणदाता किसी भी कारण से किस्त की राशि में संशोधन करता है, तो उधारकर्ता उधारकर्ता के बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए नए भुगतान लिखत/निर्देश जारी करेगा कि संशोधित किस्त की राशि (पीआई) पेमेंट इंस्ट्रक्शन (एस) के तहत ऋणदाता को हस्तांतरित की जाए और उधारकर्ता ऋणदाता को इन निर्देशों का प्रमाण और उधारकर्ता के बैंक द्वारा उनकी स्वीकृति प्रदान करेगा। इस तरह के नए निर्देश प्रदान करने में विफलता को उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना माना जाएगा, जिससे ऋणदाता को उधारकर्ता के साथ समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, ऋणदाता कानून और/या इक्विटी के तहत ऋणदाता को उपलब्ध उपचारों का हकदार होगा।

(झ) ऋणदाता किसी भी तरह से विलंब, चूक या उपेक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, किसी भी कारण से किसी भी भुगतान लिखत की क्षति या हानि, और इस संबंध में उधारकर्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

(ञ) उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा पूर्व अनुमोदन के अधीन, वित्त दस्तावेजों में निर्दिष्ट शुल्कों के भुगतान के अधीन वैकल्पिक (पीआई) पेमेंट इंस्ट्रक्शन (एस) के साथ ऋणदाता को जारी किए गए (पीआई) पेमेंट इंस्ट्रक्शन (एस) को स्वैप/विनिमय करने की अनुमति दी जाएगी।

(ट) किसी भी भुगतान लिखत का कोई भी अनादर, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 या भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 के तहत अपराध होगा, जैसा भी मामला हो।

(ठ) उधारकर्ता के पास देय तिथि (तिथियों) को या उसके ठीक पहले उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए (पीआई) पेमेंट इंस्ट्रक्शन के भुगतान के लिए आहर्ता बैंक के खाते में पर्याप्त शेष राशि होगी और उसे बनाए रखेगा, जब संबंधित (पीआई) पेमेंट इंस्ट्रक्शन परिपक्व और देय हो जाते हैं और उसके बाद ऐसे किसी भी (पीआई) पेमेंट इंस्ट्रक्शन का सम्मान करने के लिए।

16. प्रतिभूति और संविदात्मक सुविधाएं

AXIS FINANCE

16.1 सुविधा के साथ-साथ सभी ब्याज, दंड शुल्क/दंडात्मक शुल्क, पूर्व भुगतान प्रीमियम, सभी अन्य लागतें, शुल्क, व्यय, शुल्क या अन्य राशियाँ जो ऋणदाता को सुविधा की शर्तों के तहत देय हैं, पहली रैंकिंग चार्ज के निर्माण द्वारा सुरक्षित की जाएंगी पंजीकृत/न्यायसंगत बंधक संपत्ति पर (**"सुरक्षा"**) **।**

उपर्युक्त प्रतिभूति ऋणदाता के पक्ष में ऋणदाता को स्वीकार्य रूप और ढंग से सृजित की जाएगी।

16.2 मांग वचन पत्र

उधारकर्ता सुविधा और उस पर ब्याज के लिए ऋणदाता के पक्ष में एक मांग वचन पत्र (डीपीएन) निष्पादित करेगा, साथ ही उसी राशि के लिए निरंतरता पत्र (एलओसी), उचित रूप से हस्ताक्षरित और ऋणदाता को दायित्वों के भुगतान/पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में वितरित किया जाएगा। उधारकर्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि डीपीएन और एलओसी वैध और निर्वाह योग्य बने रहें, इसके लिए समय-समय पर ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित और वितरित करेगा।

16.3 प्रतिभूति के सृजन के लिए समय सीमा

उपर्युक्त खंड 16.1 में उल्लिखित प्रतिभूति, ऋणदाता द्वारा लिखित रूप में अनुमत समय के भीतर, शर्तों की अनुसूची के अनुसार बनाई और पूर्ण की जाएगी, और यदि संवितरण एकल किश्त में किया जाता है, तो उपर्युक्त सभी प्रतिभूति ऐसी संवितरण से पहले बनाई जाएगी, जब तक कि स्वीकृति पत्र में अन्यथा न कहा गया हो।

16.4 विपणन योग्य शीर्षक

ऋणी अपनी संपत्ति का एक अच्छा और विपणन योग्य शीर्षक बनाएंगे, जो ऋणदाता के पक्ष में ऋणदाता की संतुष्टि के लिए सुरक्षित किया जाएगा और उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक या आवश्यक सभी औपचारिकताओं का पालन करेगा।

16.5 अनुमतियाँ

उधारकर्ता वित्त दस्तावेजों के अनुसार सृजित की जाने वाली प्रतिभूति के सृजन, पूर्णता और रखरखाव के लिए सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करेगा, जैसा और जब आवश्यक हो, और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सभी मंजूरी हर समय पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी हों।

16.6 लागत

उधारकर्ता, ऋणदाता द्वारा प्रलेखीकरण, सुरक्षा के निर्माण और पूर्णता, खोज/स्थिति रिपोर्टों के संकलन या अन्य समान मामलों के संबंध में उपयोग किए गए किसी भी वकील/अधिवक्ता/कंपनी सचिवों द्वारा वास्तविक लागत का भुगतान ऋणदाता को मांग पर करेगा।

16.7 परिसंपत्ति आवरण

उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा समझौते ("एसेट कवर") की शर्तों की अनुसूची में उल्लिखित न्यूनतम सुरक्षा कवर अंतिम निपटान तिथि तक हर समय बनाए रखा जाए। इसके अलावा, उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है और यह वचन देता है कि यदि एसेट कवर को बनाए नहीं रखा जाता है, तो उधारकर्ता या तो आनुपातिक सुविधा राशि का तुरंत भुगतान करेगा, जिसमें यदि सुरक्षा कवर को बनाए नहीं रखा जाता है और ऋण का पूर्व भुगतान किया जाता है, तो पूर्व भुगतान राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसमें किसी भी पूर्व भुगतान शुल्क को शामिल किया जाएगा। इस तरह की कमी की सीमा तक और __ की सीमा तक जुर्माना भी शामिल है या ऋणदाता को स्वीकार्य नकद मार्जिन या अतिरिक्त सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षा को शीर्ष पर रखें, इस तरह के उल्लंघन से 30 दिनों के भीतर ((एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) को अपने विवेकाधिकार पर समझौते को समाप्त करने और संपूर्ण ऋण राशि को वापस बुलाने का अधिकार होगा। .. उधारकर्ता सुविधा के वितरण से पहले इस संबंध में एक उपक्रम प्रदान करेगा।

16.8 सतत सुरक्षा

सुविधा के अनुसार, उधारकर्ता और/या अन्य ऋणी द्वारा दी गई सभी प्रतिभूतियों को सतत प्रतिभूति माना जाएगा और अंतिम निपटान तिथि तक उन्हें निर्वहन नहीं किया जाएगा।

16.9 उधारकर्ता अब या भविष्य में किसी भी कानूनी कार्यवाही के स्थान को [दिल्ली/मुंबई में स्थित शाखा के अधिकार क्षेत्र में स्थित न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में रखने पर किसी भी आपत्ति को अस्वीकार्य रूप से माफ करता है, और कोई भी दावा करता है कि ऐसी कोई कानूनी कार्यवाही एक असुविधाजनक मंच में लाया गया है और आगे अपरिवर्तनीय रूप से सहमत है कि [दिल्ली/मुंबई में स्थित शाखा के अधिकार क्षेत्र में स्थित न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लाई गई किसी भी कानूनी कार्यवाही में एक निर्णय उस पर निर्णायक और बाध्यकारी होगा और किसी अन्य क्षेत्राधिकार के न्यायालयों में लागू किया जा सकता है, (ऐसे क्षेत्राधिकार के कानूनों के अधीन) ऐसे निर्णय पर एक मुकदमा जिसकी एक प्रमाणित प्रति ऐसे निर्णय का निर्णायक सबूत होगी, या कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य तरीके से।" उधारकर्ता और सुरक्षा प्रदाता द्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में किसी भी कानूनी कार्यवाही का स्थान

जहां बंधक सुरक्षा स्थित है, ऋणदाता द्वारा बंधक को लागू करने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकार होगा और न तो उधारकर्ता और न ही सुरक्षा प्रदाता को उस संबंध में कोई आपत्ति होगी।

16.10. मूल शीर्षक दस्तावेजों का हस्तांतरण:

i. ऋण सुविधा की पूर्ण चुकौती या पूर्ण पूर्व-भुगतान पर, जैसा भी मामला हो, सभी लागू शुल्कों, फीस आदि के भुगतान के साथ, ऋणदाता सभी मूल सुरक्षा दस्तावेजों को जारी करेगा।

ii. ऋणदाता ऋण सुविधा की पूर्ण चुकौती/निपटान के 30 दिनों की अवधि के भीतर ऋणदाता के पास गिरवी रखी गई सुरक्षा से संबंधित किसी भी रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत शुल्क को हटा देगा।

iii. सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मूल शीर्षक दस्तावेज सुरक्षा प्रदाता को सौंप दिए जाएंगे, जो ऋण सुविधा के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद सुरक्षा प्रदाता से प्राप्त होंगे।

iv. ऋण आवेदन जहां से किया गया था उस शाखा से या सुरक्षा प्रदाता द्वारा लिखित रूप में ऋणदाता को सूचित करके चुनी गई किसी अन्य शाखा से मूल शीर्षक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। यदि वह शाखा जहां ऋण आवेदन किया गया था, उसे स्थानांतरित/बंद कर दिया जाता है, तो सुरक्षा प्रदाता निकटतम शाखा से मूल शीर्षक दस्तावेज एकत्र कर सकता है।

v. सुरक्षा प्रदाता के निधन की स्थिति में, ऋणदाता ऐसे मृतक सुरक्षा प्रदाता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/संपत्ति स्वामी(ओं) के वैधानिक उत्तराधिकारी(यों) को मूल शीर्षक दस्तावेज वापस करने की व्यवस्था करेगा, जिस प्रकार ऋणदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

vi. मूल शीर्षक दस्तावेजों की वापसी में किसी भी देरी और/या ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के 30 दिनों के बाद प्रासंगिक रजिस्ट्री के साथ शुल्क संतुष्टि फॉर्म दाखिल करने में ऋणदाता की ओर से देरी या विफलता की स्थिति में, ऐसी देरी/विफलता ऋणी या सुरक्षा प्रदाता(ओं) के लिए जिम्मेदार होगी।

vii. यदि संपत्ति मालिक(ओं) द्वारा पूर्ण पुनर्भुगतान/समापन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्धारित एएफएल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) शाखा से मूल शीर्षक दस्तावेज़ एकत्र नहीं किए जाते हैं, तो दस्तावेज़ों को पुनः भंडारण के लिए भेज दिया जाएगा, और संपत्ति दस्तावेज़ों की बाद में पुनः प्राप्ति पर लागू पुनः प्राप्ति शुल्क हो सकता है।

17. प्रतिनिधित्व और वारंटी

बाध्यकर्ता एतद्द्वारा निम्नानुसार अभ्यावेदन और वारंट करता है:

(क). स्थिति

यदि उधारकर्ता कोई व्यक्ति है या उधारकर्ता का कर्ता, यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार है, भारत का निवासी है, नाबालिग नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और कानूनी उम्र का है और उसके पास प्रत्येक वित्त दस्तावेज़ के प्रावधानों में प्रवेश करने और उनसे बाध्य होने की आवश्यक क्षमता है, जिसका वह एक पक्ष है।

(या) उधारकर्ता, जैसा लागू हो, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932/सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008/या किसी अन्य लागू कानून के तहत विधिवत संगठित/गठित और वैध रूप से विद्यमान है।

(ख). प्राधिकरण, प्रवर्तनीयता आदि।

(i) प्रत्येक ऋणी के पास वित्त दस्तावेजों में प्रवेश करने, प्रदर्शन करने और वितरित करने की शक्ति है, और उन्होंने सभी आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाई की है ताकि उन्हें प्रवेश करने, प्रदर्शन करने और वित्त दस्तावेजों को वितरित करने के लिए अधिकृत किया जा सके, जिसमें वह एक पक्ष है और उसमें विचाराधीन लेनदेन।

(ii) सुविधा प्राप्त करने के लिए आवश्यक या वांछनीय सभी प्राधिकरण, लाइसेंस, अनुमोदन, छूट या छूट, सहमति और मंजूरी ऋणी द्वारा प्राप्त या प्रभावित की गई हैं और पूरी तरह से लागू हैं।

(iii) वित्त दस्तावेजों के ऋणी द्वारा निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन और उसमें विचाराधीन लेनदेन की समाप्ति, मौजूदा समझौतों के तहत या लागू कानून के तहत उल्लंघन या उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप संघर्ष नहीं करेगी और न ही करेगी।

(iv) उधारकर्ता द्वारा या उसकी ओर से ऋणदाता को प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज जो प्रमाणित प्रति होने का दावा करता है, मूल दस्तावेज की एक सच्ची, पूर्ण और सटीक प्रति है जिसे किसी दस्तावेज द्वारा संशोधित नहीं किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है यह।

(v) ऋणदाता को वित्त दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक सच्ची, पूर्ण और सही प्रति प्राप्त हुई है जो इस प्रतिनिधित्व की तारीख के अनुसार प्रभावी है या प्रभावी होने के लिए आवश्यक है या इसे बनाया गया माना जाता है।

(ग). जानकारी

(i) ऋणदाता और उसके प्रतिनिधियों और एजेंटों को सुविधा की शर्तों की तैयारी और बातचीत के दौरान प्रदान की गई जानकारी उधारकर्ता और उसके प्रतिनिधियों द्वारा सद्भाव में प्रदान की गई थी और जब दी गई थी, और आज की तारीख तक, सत्य, सटीक, पूर्ण और भ्रामक नहीं है।

(ii) सुविधा की शर्तों में निहित सभी जानकारी सत्य, सटीक और पूर्ण है। संपत्ति का शीर्षक मुक्त, स्पष्ट, विपणन योग्य है और भारमुक्त है।

AXIS FINANCE

(घ). प्रतिभूति का भाग बनने वाली संपत्तियां

(i) ऋणदाता के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में ऋणदाता को दी गई संपत्ति में ऋणदाताओं के अधिकार, शीर्षक और हित पर प्रतिभूति हित सृजित करने के लिए उन पर बाध्यकारी किसी भी दस्तावेज के तहत ऋणदाताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो सुविधा की शर्तों के अनुसार है।

(ii) संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य सुरक्षा हित द्वारा कोई बकाया भार, बंधक/प्रभार, ग्रहणाधिकार/नोटिस, अधिग्रहण के लिए नोटिस, आवश्यकताएं, सुखभोग अधिकार या बकाया ब्याज, ग्रहणाधिकार या दावा नहीं है। संपत्ति किसी भी लंबित मुकदमे या कुर्की का विषय नहीं है, चाहे वह निर्णय से पहले हो या बाद में।

(iii) संपत्ति या उसके उपयोग के संबंध में या उसके संबंध में कोई वर्तमान या आकस्मिक नोटिस, कार्यवाही, विवाद, शिकायतें, देयताएं, दावे या मांगें नहीं हैं, और न ही ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जो उपरोक्त में से किसी को भी संभव बनाती हैं।

(iv) ऋणी या उसके पूर्ववर्तियों को ऋणदाता को या उसके किसी भाग या हिस्से को ऋणी द्वारा प्रतिभूति के रूप में पेश की गई संपत्ति के संबंध में अधिग्रहण या अपेक्षाओं की कोई सूचना नहीं दी गई है और/या प्राप्त नहीं की गई है।

(v) सभी वित्त दस्तावेजों पर यथा लागू, विधिवत स्टांप लगा हुआ है और पंजीकरण किया गया है, राजस्व प्राधिकरण से आज की तारीख तक कोई नोटिस (यदि आवश्यक हो) प्राप्त नहीं हुआ है।

(vi) ऋणदाता को लिखित रूप में प्रकट किए गए के अलावा, प्रत्येक ऋणी के पास अपने कब्जे या नियंत्रण में सभी कर्म, दस्तावेज और लेखन हैं जो ऋणदाता को सुरक्षा के हिस्से के रूप में संपत्तियों में उनके शीर्षक और अधिकारों को साबित करने के लिए आवश्यक हैं।

(vii) यदि ऋण गृह ऋण की प्रकृति में है, तो उधारकर्ता इसके द्वारा आगे प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि:

1. उधारकर्ता(ओं) के पास इस ऋण को लेने और सुविधा की शर्तों के अनुसार इसकी चुकौती करने की पर्याप्त क्षमता है।
2. उधारकर्ता ने बिल्डर/डेवलपर/सुरक्षा/एसोसिएशन/कंपनी के कार्यालय में मूल शीर्षक कर्मों को सत्यापित किया है और ऋण द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति के संबंध में संबंधित सरकारी कार्यालयों में आवश्यक पूछताछ/खोज की है। उधारकर्ता ने ऋण द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति से संबंधित सभी तथ्यों को ऋणदाता को बताया है।
3. ऋण द्वारा खरीदी गई संपत्ति किसी भी सक्षम प्राधिकारी की किसी भी योजना में शामिल नहीं है या किसी भी सक्षम प्राधिकारी की किसी भी योजना के तहत सड़क के किसी भी संरेखण, चौड़ीकरण या निर्माण से प्रभावित नहीं है।
4. उधारकर्ता और बिल्डर/डेवलपर या जैसा भी मामला हो, विक्रेता के बीच संपत्ति की बिक्री/बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख वैध और निर्वाह है और निर्माण के लिए योजना और आवश्यक अनुमति समय पर ले ली गई है।

(ङ). कोई डिफ़ॉल्ट नहीं

(i) कोई भी डिफ़ॉल्ट घटना जारी नहीं है या सुविधा के तहत किसी भी संवितरण के परिणामस्वरूप होने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

(ii) कोई अन्य घटना या परिस्थिति बकाया नहीं है जो किसी अन्य समझौते या लिखत के तहत चूक या समाप्ति घटना का गठन करती है (या गठित करेगी) जो उधारकर्ता पर बाध्यकारी है या जिसकी संपत्तियां अधीन हैं।

(च). वित्तीय विवरण

(i) उधारकर्ता के वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित और उधारकर्ता द्वारा लगातार लागू किए गए GAAP के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

(ii) उधारकर्ता के वित्तीय विवरण प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंत में और उसके लिए उसकी वित्तीय स्थिति और संचालन का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

(छ). कराधान

किसी भी प्रकार का सभी कराधान जिसके लिए उधारकर्ता उत्तरदायी है, या जिसके लिए उधारकर्ता खाते के लिए उत्तरदायी है और जो भुगतान के लिए देय हो गया है, का विधिवत भुगतान किया गया है (जहां तक ऐसे कराधान का भुगतान किया जाना चाहिए था)। उधारकर्ता ने किसी भी कर रिटर्न या कराधान से संबंधित अन्य दस्तावेजों को दाखिल करने या किसी भी राशि के कराधान के भुगतान के लिए समय के किसी भी विस्तार के लिए नहीं कहा है।

इसके अलावा, आयकर, 1961 की धारा 281 के तहत संबंधित कर प्राधिकरण से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और सुरक्षा का निर्माण।

(ज). कोई कार्यवाही लंबित या धमकी नहीं

(i) उधारकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है या उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी अदालत, मध्यस्थ या अन्य निकाय द्वारा दिया गया पुरस्कार, जिस पर उधारकर्ता या उनकी कोई संपत्ति है या हो सकती है, या जो किसी भी तरह से सुविधा की शर्तों या इसके द्वारा विचार किए गए लेनदेन से संबंधित है या जो सुविधा की शर्तों और अन्य वित्त दस्तावेजों को करने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसके लिए वे एक पक्ष हैं।

(ii) उधारकर्ता को ऐसी किसी भी परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं है जो उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट किसी भी ऐसी कानूनी कार्यवाही को जन्म देने की संभावना है।

(झ). दिवाला

उधारकर्ता ने किसी भी कार्यवाही के लिए विघटन, प्रशासन या दिवालियापन के लिए या रिसीवर, ट्रस्टी या उधारकर्ता के किसी भी या सभी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए या किसी भी या सभी के लिए पार्टी नहीं बनाया है या पार्टी नहीं बनाया है। उनकी संपत्ति। उधारकर्ता को न तो कोई नोटिस मिला है और न ही स्वेच्छा से दायर किया गया है, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई आवेदन।

AXIS FINANCE

(ञ). सुरक्षा

ऋणी के पास संपत्ति का पूर्ण अधिकार, शीर्षक और हित है और उसके पास एक स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक है।

(ञ). चूककर्ता सूची; ईसीजीसी सावधानी सूची

उधारकर्ता, उसके गारंटर, भागीदार सदस्य, ट्रस्टी या सहयोगी चिंताएं, जैसा भी मामला हो, आरबीआई द्वारा प्रसारित जानबूझकर चूककर्ताओं की किसी भी सूची में या निर्यात ऋण गारंटी निगम की सावधानी सूची में या विशिष्ट अनुमोदन सूची में या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) चूककर्ता(ओं की सूची में या ऋणदाता की चूककर्ताओं की सूची में शामिल नहीं हैं।

(ठ). कोई प्रतिरक्षा नहीं

ऋणदाताओं द्वारा वित्त दस्तावेजों का निष्पादन या उनमें प्रवेश करना, और वित्त दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं द्वारा अधिकारों के प्रयोग और दायित्वों के निष्पादन का गठन, निजी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और निष्पादित निजी और वाणिज्यिक कार्यों का गठन करेगा और यह कि ऋणदाता किसी भी कानूनी कार्यवाही के दावों के तहत या अन्यथा, संप्रभु या अन्य प्रतिरक्षा का दावा करने के हकदार नहीं हैं।

(ड). संबद्धों के साथ लेनदेन

उधारकर्ता किसी भी अनुबंध या समझौते का पक्षकार नहीं है, न ही उसके किसी भी सहयोगी के लिए कोई अन्य प्रतिबद्धता है, सिवाय उन अनुबंधों और समझौतों और प्रतिबद्धताओं के, जो ऋणदाता को बताए गए हैं।

(ढ). शेष राशि अंतरण घोषणा

(शेष राशि अंतरण के मामले में लागू) उधारकर्ता एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उसने ऋण प्राप्त करने के लिए एएफएल से संपर्क किया है और शेष अंतरण आवेदन की प्रसंस्करण के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करेगा। इसके अलावा, बंधक ऋण (पूर्ण पूर्व-भुगतान) राशि में किसी भी कमी के मामले में; कमी की राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा मौजूदा ऋण को बंद करने के लिए किया जाएगा।

(ण). **सूचना का प्रकटीकरण**

क. उधारकर्ता सहमत है कि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दी गई सुविधा की पूर्व-शर्त के रूप में कि यदि उधारकर्ता देय तिथि/तिथियों पर बकाया राशि के भुगतान/पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो ऋणदाता और/या भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उधारकर्ता चूककर्ता/चुककर्ताओं के नामों का खुलासा करने या प्रकाशित करने का एक अयोग्य अधिकार होगा, इस तरह से और इस तरह के माध्यम से जैसा कि ऋणदाता या भारतीय रिज़र्व बैंक अपने पूर्ण विवेक से उधारकर्ता की तस्वीरों सहित उचित समझ सकते हैं।

ख. उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता को अपना इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रमाणीकरण करने और आधार डेटाबेस से और/या लागू कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी डेटा प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

ग. उधारकर्ता ऋणदाता, उसके विभिन्न सेवा प्रदाताओं या एजेंटों, जिनमें विपणन, संग्रह और वसूली एजेंट शामिल हैं, को उधारकर्ता को टेलीफोन पर, पंजीकृत संपर्क विवरण के माध्यम से टेलीकॉल, संदेश, (एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट स, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से पंजीकृत ईमेल आईडी या अन्य अनुप्रयोगों के माध्यम से या अन्यथा संपर्क करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत/सहमति देता है, भले ही उधारकर्ता का नाम डोंट कॉल या डोंट डिस्टर्ब रजिस्टर में दिखाई दे, ताकि उधारकर्ता को विपणन योजनाओं, विभिन्न वित्तीय और/या निवेश उत्पादों और/या अन्य सेवाओं की पेशकश, वित्त दस्तावेजों के तहत बकाया या उधारकर्ता द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली किसी भी सुविधा से संबंधित किसी अन्य पहलू के बारे में सूचित किया जा सके। उधारकर्ता यह भी स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि टेली-कॉलर, एजेंटों और/या ऋणदाता के सेवा प्रदाता और उसके सहयोगियों, सहयोगियों और/या समूह कंपनियों से इस तरह के पंजीकृत ई-मेल, टेलीफोन कॉल, संदेश, (एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट स, व्हाट्सएप संदेश आदि से उसे और/या उसके परिवार के सदस्यों को कोई असुविधा नहीं होगी। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि सेवा प्रदाताओं के खिलाफ किसी भी दावे के लिए, ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा और इस खाते पर उधारकर्ता का दावा सेवा प्रदाताओं और/या टेली-कॉलर के खिलाफ होगा। उधारकर्ता संदेशों, (एसएमए) स्पेशल मेंशन अकाउंट स, व्हाट्सएप और/या अन्य अनुप्रयोगों के लिए संचार या सूचना या दस्तावेजों को साझा करने के लिए पंजीकृत ई-मेल और पंजीकृत संपर्क विवरण के उपयोग के लिए सहमत है, ऐसे अनुप्रयोगों के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है और ऐसे अनुप्रयोगों या उनके माध्यम से जानकारी साझा करने से जुड़े जोखिमों से सहमत है।

उधारकर्ता और ऋणदाताओं द्वारा किए गए प्रत्येक प्रतिनिधित्व और वारंटी, (किसी निर्दिष्ट तिथि के अनुसार किए गए प्रतिनिधित्व और वारंटी के अलावा) सुविधा समझौते की तारीख से लेकर अंतिम निपटान तिथि तक प्रत्येक दिन दोहराया जाएगा। ये प्रतिनिधित्व और वारंटी सुविधा समझौते के निष्पादन और अंतिम निपटान तिथि तक सुविधा की शर्तों के तहत किसी भी वितरण को जीवित रखेंगे।

18. ऋणदाता के अधिकार

ऋणदाता, सुविधा के संबंध में:

(1) सुविधा समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय पुनर्भुगतान किस्तों/बकाया किसी अन्य राशि की पुनर्भुगतान शर्तों/राशि को संशोधित/पुनर्निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार होगा और उधारकर्ता इस तरह के संशोधन या पुनर्निर्धारण की सूचना ऋणदाता द्वारा दिए जाने पर ऋणदाता को ऐसे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी भावी पुनर्भुगतान करेगा; इसके अलावा, फ्लोटिंग ब्याज दर केकारण, सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी समय ऋणदाता के पास अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर सुविधा की अवधि को बढ़ाने/संशोधित करने या पुनर्भुगतान किस्त की राशि को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार होगा। हालाँकि, इस घटना में उधारकर्ता अन्य शर्त (अर्थात, ऋणदाता द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अलावा) का विकल्प चुनने का इरादा

रखता है, तो उधारकर्ता लिखित रूप में ऋणदाता से अनुरोध करेगा और ऋणदाता, उधारकर्ता से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, उधारकर्ता के ऐसे अनुरोध पर सहमत हो सकता है, ऐसे आगे की शर्तों को निर्धारित करके जैसा कि ऋणदाता उस संबंध में उचित और उचित समझे।

(2) संपत्ति के संबंध में और उधारकर्ता के जीवन पर बीमा के एक असाइनमेंट के रूप में प्राप्त होने वाले किसी भी भुगतान / समायोजन को प्राप्त करने और समायोजित करने का अधिकार है, जो सुविधा समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय और / या देय राशियों के लिए है;

(3) सुविधा करार की किसी भी शर्तों और शर्तों को संशोधित करने का एकमात्र अधिकार है, जिसमें ब्याज दर में संशोधन (दंड शुल्क/दंडात्मक शुल्क सहित), चक्रवृद्धि ब्याज की आवधिकता, बिना किसी कारण बताए या उधारकर्ता को सूचित किए बिना पुनर्भुगतान का श्रेय देने की विधि शामिल है और उधारकर्ता सहमत है कि इस तरह का संशोधन ऋणदाता के रिकॉर्ड में इस तरह के संशोधन की तारीख से लागू होगा;

(4) सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी समय, बिना किसी और नोटिस के, किसी भी कारण से (चाहे नियामक या अन्य कारणों से) सुविधा के अव्यवहृत/अनुपलब्ध/अप्रयुक्त भाग को रद्द करने का बिना शर्त अधिकार होगा। ऐसी किसी भी रद्दीकरण की स्थिति में, सुविधा समझौते के सभी प्रावधान और अन्य सभी संबंधित दस्तावेज प्रभावी और मान्य बने रहेंगे और उधारकर्ता सुविधा समझौते में दिए गए अनुसार सुविधा के तहत बकाया राशि का विधिवत और समय पर भुगतान करेगा;

(5) संपत्ति में प्रवेश करने, उसका निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने और उधारकर्ता द्वारा रखे गए खातों और अन्य अभिलेखों की पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(6) उधारकर्ता की लागत पर, संपत्ति का बीमा करने या संपत्ति के रखरखाव और संरक्षण के लिए कोई उपाय करने का अधिकार है;

(7) संपत्ति पर अपने स्वयं के पक्ष में या किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में सुरक्षा के रूप में प्रभार या बंधक बनाने का अधिकार है;

(8) सुविधा के विरुद्ध पुनर्वित्त प्राप्त करने का अधिकार होगा, जैसा कि वह उचित समझे;

(9) उधारकर्ता के बारे में कोई भी जानकारी, ऋणदाता के साथ उसके खाते के संबंध और/या उसके द्वारा की गई किसी भी चूक (चाहे ऐसी जानकारी उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई हो या ऋणदाता द्वारा स्वयं प्राप्त की गई हो और चाहे वह पुनर्भुगतान आचरण, रेटिंग या चूक, संबद्ध संस्थाओं, भारतीय रिजर्व बैंक, किसी पुनर्वित्त एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और ऐसे तीसरे पक्ष के रूप में हो, जिसे ऋणदाता अपने एकमात्र और अनन्य विवेक में उचित और उचित समझे। ऋणदाता किसी तीसरे पक्ष से सुविधा और/या उधारकर्ता के संबंध में किसी भी जानकारी को प्राप्त करने और प्राप्त करने का भी हकदार होगा;

(10) किसी भी ऋणी में किसी भी विलय/पुनर्गठन/विलय/अलगाव की स्थिति में, ऋणदाता को वित्तपोषण दस्तावेजों और सुरक्षा की प्रवर्तनीयता को सत्यापित करने के लिए एक कानूनी विशेषज्ञ प्राप्त करने का अधिकार होगा, किसी भी ऋणी में किसी भी विलय/पुनर्गठन/विलय/अलगाव की स्थिति में, और यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा की वैधता और प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी संशोधन दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना। इस संबंध में किए गए सभी खर्च उधारकर्ता द्वारा देय होंगे;

(11) यदि उधारकर्ता, यदि कोई व्यक्ति, सेवानिवृत्ति की आयु से पहले रोजगार से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है या किसी भी कारण से ऐसी तारीख से पहले सेवा से छुट्टी दे दी जाती है या हटा दिया जाता है, तो उधारकर्ता को उसके नियोक्ता को संपूर्ण बकाया राशि (भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और मुआवजा सहित) का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए उधारकर्ता की आवश्यकता होगी, जो उसके ऐसे रोजगार की समाप्ति के कारण उसके नियोक्ता से उधारकर्ता द्वारा देय हो रहा है और ऋण के तहत उधारकर्ता के दायित्व के लिए उसी को प्राप्त करने और उपयुक्त करने के लिए; और

(12) उधारकर्ता को बुलाने का हकदार होगा और उधारकर्ता ऋणदाता को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऋणदाता यह निर्धारित करता है कि उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा का मूल्य कम हो गया है या वही अपर्याप्त है। ऋणदाता आगे ऋण को तुरंत वापस बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति उधारकर्ता द्वारा घोषित की तुलना में कम मूल्य की है।

(13) यदि संवितरण चेक अप्राप्य/अस्पष्ट है, तो संवितरण की तारीख से 60 दिन या उससे अधिक पुराना है, उसी को आपके ऋण खाते में ऋण रद्दीकरण/आंशिक पूर्व भुगतान समायोजन के लिए माना जाएगा, जो कि अतिदेय समायोजन के बाद (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट में कमी के साथ प्रभावी होगा, यदि कोई हो। ऋण रद्दीकरण के मामले में, वित्त पोषित बीमा कवर को भी रद्दीकरण के लिए माना जाएगा।

(14) उधारकर्ता, इसके द्वारा अपरिवर्तनीय और बिना शर्त के ऋणदाता को ऋण खाते या उधारकर्ता के किसी अन्य खाते से राशि डेबिट करने और उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा देय बकाया राशि के भुगतान/पुनर्भुगतान के लिए, उधारकर्ता को बिना किसी सूचना या सहमति के, उसमें से किसी भी राशि को विनियोजित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें कमी राशि, ब्याज, शुल्क, अन्य धन आदि शामिल हैं, जब और जैसे ही उसका कोई भी भाग देय हो जाता है।

(15) उधारकर्ता को दी जा रही सुविधा इस समझ पर आधारित है कि संपत्ति भारत में स्थित है और ऐसे स्थानों के भीतर है जो ऋणदाता द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। भले ही संपत्ति निर्दिष्ट स्थानों के भीतर हो, ऋणदाता सुविधा का वितरण करने से इनकार कर सकता है यदि संपत्ति ऋणदाता की क्रेडिट नीतियों, दिशानिर्देशों और मानदंडों को पूरा नहीं करती है, जैसा कि वह अपने विवेक से उचित समझता है।

19. लेनदार का ऑडिट करने का अधिकार

उधारकर्ता सहमत होता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता के पास उधारकर्ता के खातों और गतिविधियों का किसी भी समय, ऋणदाता के विवेक पर ऑडिट करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता ऐसे ऑडिट में पूर्ण सहयोग करेगा और ऋणदाता या नियुक्त ऑडिटर द्वारा अनुरोधित सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करेगा। ऐसे मामलों में जहां ऑडिट रिपोर्ट अनिर्णायक रहती है या उधारकर्ता द्वारा सहयोग न करने के कारण देरी हो जाती है, ऋणदाता खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या अन्यथा उनके रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और उनकी अपनी आंतरिक जांच/मूल्यांकन के आधार पर समाप्त करेगा। ऐसे ऑडिट से संबंधित सभी लागत और खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। यह खंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक)/डीओएस (निगरानी विभाग)/2024-25/120, डीओएस.सीओ.एफएमजी.एसईसी.नं.7/23.04.001/2024-25 दिनांक 15 जुलाई, 2024 सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुपालन में है।

20. वाचाएं और प्रतिबद्धताएं

ऋणी अनुबंध करता है और बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से वचन देता है कि, अंतिम निपटान तिथि तक, उधारकर्ता इस सामान्य नियम और शर्तों के तहत और अन्य वित्त दस्तावेजों के तहत निर्धारित दायित्वों का पालन करेगा। पूर्वोक्त के पूर्वाग्रह के बिना, उधारकर्ता अनुबंध करता है और बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से नीचे दिए गए सभी अनुबंधों का पालन करता है:

(क) **- सकारात्मक वचन**

(i). सुरक्षा

(क) उधारकर्ता ऋणदाता को संपत्ति के सभी मूल दस्तावेज, विशेष रूप से ऋणदाता के पक्ष में, ऋणदाता को तुरंत प्रस्तुत करने का कारण बनेगा (यदि ऋणदाता द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया है)। उधारकर्ता और/या संबंधित ऋणदाता ऋणदाता द्वारा निर्धारित खाते में प्राप्य जमा करेंगे या जमा करने का कारण बनेंगे।

(ख) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, संपत्ति पर सुरक्षा हित अंतिम निपटान तिथि तक जारी नहीं किया जाएगा।

(ii). निरीक्षण और अनुपालन

उधारकर्ता और ऋणीगण इसके द्वारा वचन देते हैं:

(1) कि यह उधारदाता के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान संपत्ति का दौरा करने और निरीक्षण करने और रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और इसके अधिकारियों द्वारा इसके बारे में सलाह दी जाएगी। इस तरह की किसी भी यात्रा की लागत उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

(2) कि वह सभी भौतिक मामलों में लागू कानून का अनुपालन करेगा।

(3) कि वह समयबद्ध तरीके से, वित्त दस्तावेजों द्वारा विचाराधीन लेनदेन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी मंजूरी प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा, या प्राप्त करने और बनाए रखने का कारण होगा, और उधारकर्ता के व्यवसाय के संचालन के लिए सभी भौतिक मंजूरी (या जहां उपयुक्त हो, नवीनीकृत)।

(4) कि वह वित्त दस्तावेजों के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन करेगा, जिसका वह एक पक्ष है और प्रत्येक वित्त दस्तावेज को पूर्ण बल और प्रभाव में बनाए रखेगा, जिसका वह एक पक्ष है।

(iii). लेखा की पुस्तकें

उधारकर्ता वचन देता है: -

(1) लागू कानून के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक लेखांकन और नियंत्रण प्रणाली, प्रबंधन सूचना प्रणाली, खातों की पुस्तकें, और अन्य रिकॉर्ड रखने के लिए और ऐसे खाते जो वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं और जिनमें पूर्ण, सही और सही प्रविष्टियाँ होंगी जो लगातार लागू जीएएपी और लागू कानून की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उधारकर्ता के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लागू कानून द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर तैयार किए जाते हैं और ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी में सभी लेखांकन नीतियों को पिछले प्रथाओं के अनुसार और किसी भी मामले में जीएएपी के अनुसार सुसंगत तरीके से लागू किया जाता है।

(iv). कर

उधारकर्ता वचन देता है कि वह भुगतान करेगा या भुगतान का कारण बनेगा:

(1) सभी कर (स्टाम्प कर सहित), शुल्क, फीस, या अन्य प्रभार जो निष्पादन, जारी करने, वितरण, पंजीकरण, या नोटरी के संबंध में या किसी भी वित्त दस्तावेज की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता के लिए देय हैं और उससे संबंधित कोई अन्य दस्तावेज;

(2) लागू कानून के तहत उधारकर्ता द्वारा देय सभी कर, शुल्क और फीस, जिसमें शामिल हैं, लेकिन (i) उस पर लगाए गए सभी वर्तमान और भविष्य के करों के भुगतान तक सीमित नहीं है, जो देय होने की तारीख से पहले या उस पर लगाए गए हैं और (ii) सभी वर्तमान और भविष्य के दावे, लेवी या देनदारियां जो देय और देय हो गई हैं; और

(3) उधारकर्ता के ऐसे विवादित कर या अन्य दावे, लेवी या देयताएं किसी भी निर्णय या आदेश, अंतरिम या अन्यथा के वितरण पर, जब तक कि सद्भाव में, वैध रूप से और सद्भाव में और जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जाएगा, किसी भी ऐसे कर को लागू करना।

(v). बीमा पॉलिसी

प्रत्येक ऋणी वचन देता है कि:

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि ऋणदाता की प्रतिभूति का भाग बनने वाली उसकी सभी परिसंपत्तियां बीमा अनुबंध ("बीमा अनुबंध") प्राप्त करके पूरी तरह से बीमित (यदि बीमा योग्य हो) रखी जाएंगी ताकि आग और ऐसे अन्य जोखिमों के खिलाफ बीमा किया जा सके जो अच्छे उद्योग प्रथाओं के अनुसार बीमाकृत होनी चाहिए ऋणदाता द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली शर्तों और शर्तों पर;

(ख) कि संपत्ति के संबंध में ऋणी के सभी बीमा अनुबंधों में ऋणदाता को एकमात्र हानि भुगतानकर्ता और एक अतिरिक्त बीमित व्यक्ति के रूप में नामित किया जाएगा।

(vi). उपक्रम

उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है कि: -

AXIS FINANCE

(1) उधारकर्ता हर समय सुविधा की शर्तों में निर्धारित न्यूनतम परिसंपत्ति कवर बनाए रखेगा और यदि परिसंपत्ति कवर सुविधा की शर्तों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित स्तर से नीचे आता है, तो उधारकर्ता या तो आनुपातिक सुविधा का तुरंत भुगतान करेगा या ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा बनाएगा जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उधारकर्ता संपत्ति स्थल पर साइन बोर्ड को बनाए रखेगा जिसमें कहा गया है कि उक्त संपत्ति ऋणदाता को गिरवी रखी गई है।

(3) **ऋणदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उधारकर्ता की संपत्ति, स्थिति और संचालन की जांच करने या पूर्ण समवर्ती/वैधानिक लेखा परीक्षा करने के लिए अपनी पसंद के योग्य इंजीनियरों/लेखाकारों/तकनीकी विशेषज्ञों/प्रबंधन सलाहकारों को नियुक्त कर सकता है। ऐसी निरीक्षण/रिपोर्ट का खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। उधारकर्ता एतद्द्वारा पुष्टि करता है कि उधारकर्ता के किसी भी निदेशक/भागीदार/नामित भागीदार का संबंध ऋणदाता के किसी निदेशक/निदेशकों या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के उप-खंड 77 के तहत परिभाषित ऐसे निदेशकों के रिश्तेदारों से नहीं है। इसके अलावा, ऋणदाता के किसी भी निदेशक या उसके/उसके रिश्तेदारों या वरिष्ठ अधिकारियों या किसी अन्य ऋणदाता के निदेशकों की उधारकर्ता(ओं) में कोई हिस्सेदारी नहीं है। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि उधारकर्ता के किसी भी निदेशक/भागीदार का संबंध ऋणदाता के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से नहीं है। इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'वरिष्ठ अधिकारी' शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत 'वरिष्ठ प्रबंधन' शब्द को सौंपा गया है।**

(4) उधारकर्ता समय-समय पर नियामक, सरकारी और अन्य एजेंसियों से सभी आवश्यक वैधानिक अनुमति प्राप्त करेगा।

(5) उधारकर्ता, जैसा लागू हो, यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति के किसी भी बिल्डर, डेवलपर, प्रमोटर या विक्रेता ("बिल्डर भुगतान") से किसी भी कारण से (ब्याज का भुगतान, उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई धनराशि का पूर्ण या आंशिक वापसी या बिल्डर, डेवलपर, प्रमोटर या विक्रेता द्वारा कोई क्षतिपूर्ति) जो उधारकर्ता के कारण है, संपत्ति के ऐसे बिल्डर, डेवलपर, प्रमोटर या विक्रेता द्वारा ऋणदाता को सीधे दायित्वों के पुनर्भुगतान के लिए भुगतान किया जाएगा। इस घटना में कि उधारकर्ता को कोई बिल्डर भुगतान प्राप्त होता है, तो उधारकर्ता तुरंत, और किसी भी घटना में उधारकर्ता द्वारा किसी भी तरह के धन की प्राप्ति के तीन (3) दिनों के भीतर, बिल्डर भुगतान की पूरी राशि ऋणदाता को दायित्वों के पूर्व भुगतान के रूप में भुगतान करेगा। ऋणदाता को बिल्डर भुगतान के भुगतान के साथ, उधारकर्ता ऋणदाता को बिल्डर भुगतान के बारे में सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करेगा जिसमें उधारकर्ता द्वारा धन की प्राप्ति की तारीख, प्राप्त राशि और धन के ऐसे भुगतान का कारण शामिल है।

(6) उधारकर्ता (टीडीएस) टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स प्रमाणपत्र जारी करेगा और (टीडीएस) टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से 30 दिनों के भीतर ऋणदाता को जमा करेगा।

(7) उधारकर्ता वैधानिक देय राशि/संपत्ति कर आदि का भुगतान लागू कानूनों के अनुसार नियमित रूप से सुनिश्चित करेगा।

(8) उधारकर्ता पर्याप्त बही-खाते और अभिलेख रखेगा जो उनकी वित्तीय स्थिति और कार्यों को सही ढंग से दर्शाते हों और उसे ऋणदाता को नियमित अंतराल पर ऐसे विवरण प्रस्तुत करने चाहिए जो ऋणदाता द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(9) उधारकर्ता ऋणदाता को किसी भी घटना के घटित होने की जानकारी देगा, जिसका उनके लाभ या व्यवसाय पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। उधारकर्ता तदनुसार कारणों और प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों के साथ सूचित करेगा।

(10) उधारकर्ता ऋणदाता को (ए) उधारकर्ता और किसी अन्य व्यक्ति या सरकारी प्राधिकरण के बीच संपत्ति के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, (बी) संपत्ति के खिलाफ लगाए जा रहे किसी भी संकट या निष्पादन, (सी) किसी भी भौतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने की लिखित सूचना देगा। उधारकर्ता की सुविधा को उस तरीके से चुकाने की क्षमता जो उसके तहत निर्धारित है।

(11) उधारकर्ता आरईआरए अधिनियम के तहत नियमों और विनियमों का पालन करेगा और उसी के अनुपालन में निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्य करेगा।

(12) ऋणदाता को गिरवी रखी गई संपत्ति का निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार या अधिक बार किया जाएगा, जैसा कि ऋणदाता द्वारा अपने स्वयं के अधिकारियों द्वारा या ऋणदाता द्वारा नियुक्त व्यक्तियों/फर्म के माध्यम से तय किया जा सकता है। निरीक्षण की लागत (यदि कोई हो) उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

(13) उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि ऋणदाता को लेखा परीक्षक या किसी स्वतंत्र लेखा परीक्षक को एक अलग जनादेश देने का अधिकार है, जैसा कि ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा धन के डायवर्जन/सिफनिंग के संबंध में एक विशिष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उचित समझ सकता है। उधारकर्ता सहमत है और ऐसे लेखा परीक्षक के साथ सहयोग करने और आवश्यक जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है जैसा कि ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो सकता है।

(14) उधारकर्ता सहमत है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि कोई घटना या परिस्थिति नहीं हुई है या होने की संभावना नहीं है जिसका उधारकर्ता पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या होने की संभावना है।

(15) उधारकर्ता सहमत है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि उधारकर्ता के सभी प्रतिनिधित्व और वारंटी सही और सही हैं और उधारकर्ता की ओर से कोई उल्लंघन या चूक बकाया नहीं है।

(vii). बिक्री का निरस्तीकरण

यदि संपत्ति के किसी भी हिस्से की बिक्री, जो ऋणदाता को गिरवी रखी गई थी, रद्द हो जाती है, तो ऋणदाता को संपत्ति के ऐसे हिस्से पर सुरक्षा हित का अधिकार होगा और उधारकर्ता ऋणदाता की संतुष्टि के लिए ऐसी सुरक्षा की पूर्णता के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(ख) - नकारात्मक प्रतिज्ञाएं

उधारकर्ता वचन देता है और सहमत होता है कि, अंतिम निपटान तिथि तक, वित्त दस्तावेजों के तहत अन्यथा अनुमति नहीं दी गई है और ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उधारकर्ता नहीं करेगा:

(1) उधारकर्ता के परिसमापन या विघटन की अनुमति देना, यदि लागू हो, किसी भी तरीके से या उधारकर्ता की सभी या अधिकांश संपत्तियों के हस्तांतरण या उस संबंध में कोई भी कदम उठाना;

AXIS FINANCE

(2) उधारकर्ता की लेखांकन नीतियों या उसके लेखांकन संदर्भ तिथि/वर्ष को बदलना;
(3) रोजगार या व्यवसाय के लिए भारत छोड़ देता है, या विदेश में लंबे समय तक रहने के लिए या अपना कर निवास स्थान बदलने के लिए या पीईपी में बदल जाता है;
(4) संपत्ति की प्रकृति और/या उपयोग को बदलना;
(5) संपत्ति में कोई परिवर्धन या परिवर्तन करना;
(6) उधारकर्ता से लाभांश, पूंजी की वापसी के अलावा सुविधा की आय से, मुनाफे के वितरण या अन्यथा किसी भी धन को हस्तांतरित करना;
(7) उधारकर्ता के संवैधानिक दस्तावेजों में संशोधन या परिवर्तन करना ताकि ऋणदाता के अधिकारों को पूर्वाग्रह से प्रभावित किया जा सके;
(8) किसी व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति पर सुविधा के लिए प्रतिभूति के अलावा किसी भी सुरक्षा हित का सृजन करना;
(9) उधारकर्ता द्वारा वर्तमान में संपत्ति के संबंध में धनराशि से अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझेदारी या संयुक्त उद्यम में संलग्न किसी भी व्यवसाय या गतिविधियों के अलावा किसी अन्य व्यवसाय या गतिविधियों में संलग्न होना, न ही किसी अन्य इकाई या व्यक्ति में कोई स्वामित्व हित प्राप्त करना या किसी लाभ साझाकरण या रॉयल्टी समझौते या अन्य समान व्यवस्था में प्रवेश करना;
(10) संपत्ति के संबंध में या उसके विरुद्ध उधारकर्ता में कोई और ऋण या ऋण जुटाना।

(ग). सूचना वाचाएं

उधारकर्ता वचन देता है और सहमत होता है कि, अंतिम निपटान तिथि तक, उधारकर्ता निम्नलिखित के संबंध में तुरंत जानकारी प्रदान करेगा:

(1) कोई भी घटना जो चूक की घटना का गठन करती है, ऐसी चूक की घटना की प्रकृति और उधारकर्ता द्वारा उठाए जा रहे किसी भी कदम और उसी को दूर करने के लिए प्रस्तावित कदमों को निर्दिष्ट करना;
(2) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या किसी अन्य समाधान योजना या परिसमापन को शुरू करने के लिए कोई भी नोटिस या कोई भी आवेदन और ऐसी सूचना नोटिस या आवेदन प्राप्त होने पर ऋणदाता को तुरंत प्रस्तुत की जाएगी।
(3) कोई भी एक या अधिक घटनाएं, स्थितियां या परिस्थितियां जो मौजूद हैं या हुई हैं जिनका कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, पड़ा है या पड़ने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है;
(4) कोई भी कानूनी कार्यवाही लंबित या धमकी दी गई, नियामक नोटिस या उधारकर्ता के खिलाफ न्यायिक आदेश, या किसी भी सरकारी प्राधिकरण के साथ ओब्लिगर्स के बीच कोई विवाद, जिसका भौतिक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है;किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा उधारकर्ता को इस प्रकार प्रदान की गई प्रतिभूति के किसी भी भाग को अनिवार्य रूप से अर्जित करने का कोई प्रस्ताव;
(5) प्रतिभूति के भाग के रूप में किसी भी संपत्ति/परिसंपत्तियों पर कोई प्रतिभूति हित प्रदान किया जाना या स्थापित किया जाना या प्रवर्तनीय होना;
(6) किसी भी व्यक्ति से संपत्ति ख़रीदने के लिए कोई प्रस्ताव, प्रस्ताव या रुचि का विवरण या किसी भी व्यक्ति के साथ चर्चा और ऐसी संपत्ति की बिक्री;
(7) किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी से उधारकर्ता द्वारा कोई अतिरिक्त ऋण (चाहे सुरक्षित या असुरक्षित) ऋण समझौते की तारीख से पहले उधार लिए गए ऋणों के अलावा और जिसके विवरण ऋणदाता को बताए गए हैं;
(8) किसी अन्य घटना, परिस्थिति या शर्त का घटित होना जो किसी प्रतिनिधित्व, वारंटी, वाचा का गठन या परिणाम देता है या वित्त दस्तावेजों के तहत किसी भी भौतिक संबंध में असत्य या गलत होने या बनने की स्थिति;
(9) ऋणदाता द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधा की समीक्षा/नवीनीकरण के लिए आवश्यक त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय लेखा सहित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करना;
(10) बकाया वैधानिक दायित्वों जैसे आयकर, भविष्य निधि का भुगतान, अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा), ग्रेच्युटी, बिजली बकाया आदि के संबंध में ऋणदाता को स्थिति प्रस्तुत करना। ऋणदाता द्वारा मांग किए जाने पर, यदि कोई हो, तो पिछले महीने से वृद्धि के कारणों और उसके भुगतान की प्रस्तावित योजना के साथ।

(घ) – अतिरिक्त अनुबंध

(क) बाध्यकारी सभी मामलों में लागू कानून का पालन करेंगे और लागू कानून में परिवर्तन को प्रभावी करने के उद्देश्य से आवश्यक संशोधन (यदि कोई हो) करेंगे, जो लागू कानून में ऐसे परिवर्तन के बारे में पता चलने के 45 (पैंतालीस) व्यावसायिक दिनों के भीतर होगा।

(ख). यदि उप-खंड (a) में उल्लिखित लागू कानून में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नए वित्तपोषण दस्तावेजों के निष्पादन की आवश्यकता होती है, तो वित्त दस्तावेज लेनदेन के कामकाज को तब तक नियंत्रित करेंगे जब तक कि ऐसे नए वित्तपोषण दस्तावेजों को निष्पादित नहीं किया जाता है, जिसके बाद लेनदेन दस्तावेजों का नया सेट सुविधा के उद्देश्य से पक्षों के बीच वित्त दस्तावेज होगा।

21. चूक की घटनाएं

ऋणदाता निम्नलिखित में से किसी भी डिफ़ॉल्ट(डिफ़ॉल्ट्स), घटना(घटनाओं) और/या उल्लंघन(उल्लंघनों) को डिफ़ॉल्ट की घटना के रूप में मानने का हकदार होगा (प्रत्येक एक "डिफ़ॉल्ट की घटना"):

(क). उधारकर्ता द्वारा ब्याज या पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट या पुनर्भुगतान किस्त या उसके किसी भी हिस्से (किसी भी अनिवार्य पूर्व भुगतान सहित) को सुविधा की शर्तों और अन्य वित्त दस्तावेजों के तहत देय तिथि या मांग पर भुगतान करने में विफलता, जैसा भी मामला हो; या इस घटना में कि उधारकर्ता पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट अवधि के समापन के बाद (ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट के बजाय पूर्व-(ईएमआई) इक्वेटेड मासिक इंस्टॉलमेंट का भुगतान करना जारी रखता है;

(ख). उधारकर्ता या अन्य ऋणदाताओं द्वारा वित्तीय अनुबंधों या उपक्रमों या वित्त दस्तावेजों के किसी अन्य भौतिक प्रावधानों का पालन करने में विफलता या उल्लंघन को भौतिक शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके मद्देनजर दंड शुल्क/दंडात्मक शुल्क लागू होगा; इसके अलावा, इस घटना में कि सुविधा के कार्यकाल के दौरान लागू ब्याज दर में कोई संशोधन/रीसेट होता है, ऋणदाता लागू ब्याज दर के संशोधन के परिणामस्वरूप उधारकर्ता को उपलब्ध विकल्प प्रदान करेगा। हालांकि, यदि उधारकर्ता द्वारा चुने गए विकल्पों में से कोई भी ऋणदाता की आंतरिक नीति के अनुसार आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो ऋणदाता के पास अपने विवेकाधिकार के अनुसार उधारकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने और सुविधा के नियमों और शर्तों को बदलने का अधिकार होगा जैसा कि वह उचित और उचित समझे। इसके अलावा, यदि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता द्वारा चुने गए विकल्प को अस्वीकार करने के कारण, उधारकर्ता इस समझौते की किसी भी शर्त के उल्लंघन/डिफ़ॉल्ट में पाया जाता है, तो वही डिफ़ॉल्ट की घटना के बराबर होगा।

(ग) न्यूनतम परिसंपत्ति कवर में उल्लंघन या ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति का मूल्य इस हद तक कम हो जाता है कि उधारकर्ता द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत की जानी चाहिए और उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर ऐसी प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है;

(घ) सुविधा की शर्तों के तहत किसी अन्य दायित्व का भौतिक उल्लंघन, जब तक कि इस तरह के उल्लंघन का उपाय संभव न हो और ऋणदाता द्वारा निर्धारित की गई सहमत उपचार अवधि के भीतर इसका समाधान किया जाता है;

(ङ) उधारकर्ता के किसी अन्य वित्तीय ऋण या गारंटी दायित्वों, यदि कोई हों, के साथ क्रॉस डिफ़ॉल्ट और क्रॉस त्वरण।

(च) उधारकर्ता और/या अन्य ऋणी (किसी भी हैसियत में) द्वारा वित्त दस्तावेजों में से किसी के तहत किया गया कोई भी भौतिक गलत बयानी या कथन, जिसमें यहां गठित किसी भी सुरक्षा के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या कथन शामिल है, या उनके द्वारा दिया गया कोई प्रमाण पत्र या कथन किसी भी संबंध में गलत या भ्रामक पाया गया है;

(छ) किसी भी प्राधिकारी से विनियामक या दिशानिर्देश या निर्णय में कोई प्रतिकूल परिवर्तन जो संपत्ति के स्वामित्व को खतरे में डाल देगा;
(ज) सुविधा या उसके किसी भाग का किसी ऐसे उद्देश्य के लिए उपयोग करना जिसे लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार गैरकानूनी, अवैध या उल्लंघन माना जाता है;

(झ) ऋणी और/या अन्य ऋणी, जैसा भी मामला हो, वित्त दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी ऋणी के मंजूरी को निरस्त या रद्द या समाप्त कर दिया गया है;

(ञ) किसी भी वित्त दस्तावेज को एक बार निष्पादित और वितरित करने में विफल होने पर सुरक्षा हित, अधिकार, शीर्षक, उपचार, शक्तियां या विशेषाधिकार प्रदान करने का इरादा है (इसके द्वारा बनाई गई प्राथमिकता सहित), या इस तरह की सुरक्षा ब्याज विफल हो रही है वित्त दस्तावेजों के तहत या किसी भी ऐसे वित्त दस्तावेजों के तहत प्राथमिकता पर विचार किया जाना है जो पूर्ण बल और प्रभाव में होना बंद हो रहा है, या सुरक्षा हित को किसी भी तरह से खतरे में डाला जा रहा है या खतरे में डाला जा रहा है, या किसी अन्य दायित्वों को सुरक्षित किया जा रहा है जिससे या उसके किसी भी हिस्से को ऋणदाताओं या किसी अन्य पक्ष द्वारा या उसके द्वारा अस्वीकार किया जाएगा;

(ट) उधारकर्ता द्वारा अपनी समाप्ति/विघटन/दिवालियापन के लिए स्वैच्छिक प्रक्रिया शुरू करने या कदम उठाने, या किसी भी कानून के तहत अपनी समाप्ति/विघटन/दिवालियापन के लिए एक अनैच्छिक कार्यवाही में राहत के आदेश के प्रवेश के लिए सहमति या रिसीवर, परिसमापक, असाइनी (या इसी तरह के अधिकारी) की नियुक्ति या किसी भी हिस्से के लिए कब्जा करने के लिए सहमति उसकी संपत्ति;

(ठ) उधारकर्ता और/या ऋणदाताओं के विरुद्ध, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन, कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की संरचना के लिए आवेदन किया गया है;

(ड) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत उधारकर्ता और/या बाध्यकर्ताओं के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है और/या किसी भी आईबीसी कार्यवाही, फास्ट ट्रैक समाधान प्रक्रिया या स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया या नई शुरुआत प्रक्रिया या दिवालियापन दाखिल करने के लिए निदेशकों या शेयरधारकों का कोई भी संकल्प पारित किया गया है;

(ढ) किसी भी वित्तीय ऋणग्रस्तता से संबंधित किसी भी समझौते या दस्तावेज के तहत, किसी भी तरह से वर्णित, चूक की घटना घटित होती है और कायम रहती है;
(ण) उधारकर्ता और/या अन्य ऋणी की मृत्यु/पागलपन या अन्य अक्षमता;

(त) सह-उधारकर्ता के पति या पत्नी होने की स्थिति में, उनके बीच किसी भी तलाक की कार्यवाही की शुरुआत पर;

(थ) उधारकर्ता का अपना व्यवसाय बंद करना या बंद करने की धमकी देना;

(द) किसी भी सरकारी प्राधिकरण ने ऋणदाताओं की सभी या किसी भी संपत्ति (सुरक्षा का हिस्सा बनाने वाली किसी भी संपत्ति या संपत्ति सहित) की निंदा, राष्ट्रीयकरण, जब्त या अन्यथा ज़ब्त कर लिया है या ऋणदाताओं के व्यवसाय या संचालन की हिरासत या नियंत्रण ग्रहण कर लिया है या ऋणदाताओं के विघटन के लिए कोई कार्रवाई की है या कोई ऐसी कार्रवाई जो ऋणदाताओं या उसके अधिकारियों को उसके व्यवसाय या संचालन या उसके किसी महत्वपूर्ण हिस्से को ले जाने से रोकेगी, जैसा लागू हो;

(ध) ऋणी की सभी या किसी भी भौतिक भाग की संपत्तियों पर निष्पादन, कुर्की या रोक लगा दी गई है, जिसमें प्रतिभूति का एक हिस्सा बनाने वाली संपत्तियां शामिल हैं;

(न) ऋणी या किसी व्यक्ति (ऋणदाता सहित) के लिए वित्त दस्तावेजों में से किसी के तहत अपने संबंधित दायित्वों को निभाना गैरकानूनी है या हो जाता है;

(प) उधारकर्ता के किसी भी कार्य के संबंध में अधिस्थगन की घोषणा की जाती है;

AXIS FINANCE

(फ) उधारकर्ता द्वारा किसी अंतिम निर्णय या न्यायालय के आदेश के तहत देय किसी भी राशि का अनुपालन करने या भुगतान करने में विफलता;

(ब) वित्त दस्तावेजों के तहत अपने किसी भी दायित्व का ऋणी द्वारा अस्वीकार;

(भ) उधारकर्ता के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही जिसका उधारकर्ता पर भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(म) उधारकर्ता या उसकी किसी भी संपत्ति के विरुद्ध किसी भी लेनदार की प्रक्रिया की शुरुआत;

(य) एक्सिस समूह से उनके द्वारा प्राप्त किसी भी सुविधा के संबंध में उधारकर्ता या उसके किसी भी सहयोगी/समूह की चिंताओं/संस्थाओं द्वारा कोई चूक;

(य) उधारकर्ता या उसके किसी सहयोगी/समूह संबंधी/इकाई द्वारा ऋणदाता के किसी सहयोगी से प्राप्त किसी भी सुविधा के संबंध में कोई भी चूक;

(□□) किसी प्रतिभूति का अप्रवर्तनीय या निष्फल हो जाना या किसी ऋणी द्वारा उसे चुनौती दी जाना;

(□□) उधारकर्ता या ऋणी, ऋणदाता द्वारा अपेक्षित रीति से, सुविधा की शेष राशि की पुष्टि पर हस्ताक्षर करने और उसे ऋणदाता को सौंपने में विफल रहता है, बशर्ते कि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता से शेष राशि की पुष्टि विवरण की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर विवरण में किसी भी प्रकट त्रुटि को इंगित न किया गया हो;

(□□) यदि उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा मांग किए जाने पर चेक/ (ईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम मैंडेट/डायरेक्ट डेबिट मैंडेट या एनएसीएच मैंडेट देने में विफल रहता है।

(□□) ऋणदाता के अलावा कोई भी व्यक्ति उधारकर्ता को दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही शुरू करता है या यदि उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या दिवालियापन का कार्य करता है;

(□□) उधारकर्ता द्वारा किसी भी धोखाधड़ी का किया जाना;

(□□) उधारकर्ता का कोई भी ऋण (किसी तृतीय-पक्ष ऋण तक सीमित नहीं है) देय होने पर या किसी मूल रूप से लागू अनुग्रह अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है;

(□□) किसी भी ऋण (किसी भी तृतीय-पक्ष ऋण सहित लेकिन उस तक सीमित नहीं) से संबंधित कोई भी चूक (चाहे उसका वर्णन किसी भी प्रकार से किया गया हो);

(□□) किसी ऋण के लिए उधारकर्ता की कोई प्रतिबद्धता किसी चूक (चाहे किसी भी प्रकार से वर्णित हो) के परिणामस्वरूप ऋणदाता/ऋणदाता द्वारा रद्द या निलंबित कर दी जाती है;

(□□) उधारकर्ता का कोई भी लेनदार किसी चूक (चाहे किसी भी तरह वर्णित हो) के परिणामस्वरूप किसी भी ऋण को उसकी निर्दिष्ट परिपक्वता से पहले देय और देय घोषित करने का हकदार हो जाता है;

(□□) उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति पर किसी अन्य ऋण को सुरक्षित करने के लिए कोई भी भार लागू हो जाता है; या

(□□) यदि ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच एक या अधिक समझौतों या लिखतों के तहत कोई चूक होती है;

(डड) चेक या किसी भुगतान लिखत/लिखतों का अनादर;

(□□) उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता की उस संबंध में पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुदेशों का निरसन या रद्द करना या परिवर्तन करना या भुगतान-रोक आदेशों/अनुदेशों को रद्द करना या जारी करना;

(□□) वित्त दस्तावेजों के अधीन विहित किसी अन्य शर्त का अनुपालन न किया जाना;

(□□) अनुसूची 3 के खंड 6 (सी) के तहत गलत वचन/घोषणा देना और/या इस समझौते के खंड 19 (डी) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करना, जो कंपनियों अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नियामक प्रतिबंधों से संबंधित है।

(तत) ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के स्वामित्व, नियंत्रण, संविधान, समामेलन, विलय या पुनर्निर्माण में कोई भी परिवर्तन;

(थथ) प्रतिभूति का गठन करने वाली संपत्तियों या उसके मूल्य में कोई भी गिरावट या क्षरण या उसका कोई भी हिस्सा जो ऋणदाता के निर्णय में प्रतिभूति को असंतोषजनक या अपर्याप्त बना देता है, जिसमें संपत्तियों के मूल्य या बाजार मूल्य में मूल्यह्रास शामिल है, चाहे वह वास्तविक हो या उचित रूप से प्रत्याशित);

(दद) जहां उधारकर्ता सुरक्षा के रूप में चार्ज उत्पन्न करने में विफल रहता है, जो लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत और रजिस्ट्री में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रार, केंद्रीय रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रीकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सर्साई) आदि शामिल हैं।

(धध) यदि कोई ऐसी परिस्थिति या घटना घटित होती है जो प्रतिभूति और/या संपत्ति और/या बकाया राशि या उसके किसी भाग का भुगतान करने की उधारकर्ता की क्षमता को पूर्वाग्रहित, क्षीण, खतरे में डालती है, मूल्यह्रास करती है या खतरे में डालती है।

डिफ़ॉल्ट की घटना के परिणाम

(i) किसी भी महत्वपूर्ण शर्तों में डिफ़ॉल्ट की घटना या डिफ़ॉल्ट होने पर, या तो अपने आप या ऋणदाता द्वारा निर्देशित होने पर, डिफ़ॉल्ट को उस दिन से ऐसे दिनों के भीतर ठीक करें जिस दिन डिफ़ॉल्ट पहली बार हुआ था जैसा कि स्वीकृति पत्र में प्रदान किया जा सकता है या जैसा कि ऋणदाता द्वारा अनुमति दी जा सकती है, यदि डिफ़ॉल्ट उपचार में सक्षम है, जो निर्धारण ऋणदाता अपने विवेक से करेगा। बशर्ते कि वित्त दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार किसी भी भुगतान में देरी के कारण डिफ़ॉल्ट की घटना के लिए ऐसी कोई इलाज अवधि उपलब्ध नहीं होगी, ब्याज, पुनर्भुगतान किश्तों या उनके संबंधित देय तिथियों पर देय अन्य राशियाँ।

(ii) ऋणदाता, चूक की घटना के घटित होने पर, उधारकर्ता को लिखित सूचना देकर, सुविधा के अंतर्गत बकाया सभी राशियों (मूलधन, ब्याज, प्रभार, व्यय सहित) को तुरंत देय और देय घोषित कर सकता है और किसी भी या सभी का प्रयोग कर सकता है। समय-समय पर ऋणदाता को उपलब्ध वैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकार।

(iii) ऋणदाता, संपत्ति के संबंध में कब्जा करेगा, बेचने, किराए पर देने या अन्यथा सार्वजनिक कार्रवाई या निजी अनुबंध या निजी संधि द्वारा उसी में शामिल संपत्तियों से निपटने का हकदार होगा, बिना किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा, और लागू करने के लिए बकाया सुविधा और सुविधा की शर्तों के तहत बकाया की वसूली के लिए इसकी शुद्ध आय। उधारकर्ता इस तरह की बिक्री, किराया या निपटने के संबंध में ऋणदाता के खातों को निर्णायक मानने के लिए सहमत है।

(iv) उधारकर्ता सहमत है और ऋणदाता या उसके एजेंटों को संपत्ति पर कब्जा करने से रोकने या बाधित नहीं करने का कार्य करता है।

(v) ऋणदाता उधारकर्ता के जोखिम और लागत पर उधारकर्ता की बकाया राशि को एकत्र करने और/या किसी भी सुरक्षा को लागू करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को संलग्न कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को सभी कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और निष्पादित करने का अधिकार और अधिकार प्रदान कर सकता है। ऋणदाता उचित समझे, उससे जुड़े या उसके लिए आकस्मिक।

(vi) ऋणदाता को निम्नलिखित का अधिकार होगा:

(क) ऋणदाताओं के लिए मुकदमा करना और/या वित्त दस्तावेजों और/या लागू कानून के तहत ऋणदाता को उपलब्ध अधिकारों का प्रयोग करना, जिसमें सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए शामिल हैं;

(ख) सुविधा की अप्रयुक्त राशियों (या उसके किसी भाग) को रद्द करने और/या उधारकर्ता की पहुंच को निलंबित करने की घोषणा करना किसी भी संवितरण के लिए चूक की घटना के जारी रहने तक;

(ग) दंड शुल्क/दंडात्मक शुल्क लगाने के लिए;

(घ) किसी बीमा या प्रतिकर की रकम के संदाय के संबंध में सूचना जारी करना;

(ङ) गारंटी प्रदाताओं से उधारकर्ता के दायित्वों को चुकाने का आह्वान करना;

(च) ऋणदाता के पास उपलब्ध ग्रहणाधिकार के अधिकार के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करना;

(छ) सुविधाओं का पुनः मूल्य निर्धारण करना;

(ज) ऋण खाते में किसी भी राशि का उपयोग दायित्वों की सर्विसिंग और पुनर्भुगतान के लिए करना;

(झ) उधारकर्ता और/या उधारकर्ता के बोर्ड में निदेशकों के नामों को जानबूझकर चूक करने वालों के रूप में इस तरह से और इस माध्यम में प्रकट या प्रकाशित करना, जैसा कि ऋणदाता और/या आरबीआई और/या क्रेडिट ब्यूरो, अपने पूर्ण विवेक में उचित समझें;

ञ) प्रबंधन संरचना और बोर्ड की समीक्षा करना और प्रबंध निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शर्तों की समीक्षा करना, जो प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियां रखता है, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाता है;

(ट) ऋणदाता द्वारा अपेक्षित बोर्ड पर एक नामिती और/या पर्यवेक्षक नियुक्त करना;

(ठ) उधारकर्ता के बोर्ड में एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना;

(ड) किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करना जो तकनीकी, प्रबंधन या किसी अन्य परामर्श व्यवसाय में लगा हुआ है, ताकि उधारकर्ता और/या परिसंपत्तियों के कामकाज का निरीक्षण और जांच कर सके, जिसमें उसके परिसर, कारखाने, संयंत्र और इकाइयां शामिल हैं, और ऋणदाता को रिपोर्ट करना;

(ढ) किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार को, लेखा परीक्षकों के रूप में, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए या उधारकर्ता द्वारा अपने कामकाज के लिए या समवर्ती या आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में अपनाई गई वित्तीय या लागत लेखांकन प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए, या उधारकर्ता का विशेष ऑडिट करने के लिए नियुक्त करना;

(ण) बकाया दायित्वों को इक्विटी या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना। उधारकर्ता शेयरधारक संकल्प/ प्राधिकरण प्रदान करेगा जो ऋणदाता को इस तरह के रूपांतरण की सुविधा प्रदान करने का अधिकार देता है; और

(त) उधारकर्ता के खर्च पर, उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, आपराधिक, दीवानी या अन्यथा प्रकृति की ऐसी कानूनी और अन्य कार्यवाही/कार्रवाई शुरू करना, जारी रखना, बचाव करना, जो ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझा जाए, अंतर आलिया बकाया राशि की वसूली और/या सुरक्षा या उसके किसी भाग को लागू करने के लिए;

(थ) न्यायालय या प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, सुरक्षा को लागू करने के लिए, जिसमें संपत्ति या उसके किसी भाग को किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) को, निजी संधि या सार्वजनिक नीलामी या अन्यथा के माध्यम से, और किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के साथ या बिना, ऋणदाता के विवेकाधिकार पर किसी भी तरीके से बेचने, स्थानांतरित करने, पट्टे पर देने, लाइसेंस देने, निपटाने, अलग करने का अधिकार शामिल है, और बकाया राशि के मुकाबले उससे प्राप्त आय को विनियोजित करना;

(द) पूर्वोक्त को प्रभावी करने और/या इस समझौते के तहत ऋणदाता के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक या आवश्यक चीजें, कार्य, विलेख, लेखन करना, निष्पादित करना, हस्ताक्षर करना, वितरित करना; और

(s) वित्त दस्तावेजों और लागू कानून के तहत ऋणदाता को उपलब्ध अन्य अधिकारों का प्रयोग करें।

22. व्यय

उधारकर्ता, चाहे इसमे परिकल्पित लेनदेन पूरे हुए हों या नहीं, सभी जेब खर्च और उचित खर्चों का भुगतान करेगा (सभी करों (स्टाम्प शुल्क सहित), कानूनी सलाहकार की फीस और संवितरण, शुल्क या अन्य शुल्क जो ऋणदाता और अन्य ऋणदाता को देय हैं (i) तैयारी, नोटरी, निष्पादन, जारी करने और वितरण और, जहां उपयुक्त हो, पंजीकरण, या कानूनी शर्तों, वैधता, प्रवर्तनीयता, सुविधा की शर्तों, अन्य वित्त दस्तावेजों और किसी भी अन्य दस्तावेजों और उपकरणों से संबंधित या उससे संबंधित (कानूनी राय सहित); (ii) वित्त दस्तावेजों या इस तरह के किसी अन्य दस्तावेज या उपकरण में कोई संशोधन या संशोधन; (iii) पंजीकरण (जहां उपयुक्त हो) और सुविधा से संबंधित ऋणग्रस्तता के साक्ष्य का वितरण, और उसके संवितरण; और (iv) सुविधा की शर्तों, अन्य वित्त दस्तावेजों और इसमे और उसमे संदर्भित किसी भी अन्य दस्तावेजों और उपकरणों का प्रवर्तन।

23. क्षतिपूर्ति

23.1 उधारकर्ता क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति रखेगा, ऋणदाता और उसके नामांकित व्यक्ति या उनमें से कोई भी (प्रत्येक "क्षतिपूर्ति पक्ष") किसी भी और सभी नुकसानों, देनदारियों, दायित्वों, क्षतियों, कार्यों, कार्यवाही और निर्णयों के खिलाफ (बिना किसी सीमा के उचित कानूनी और अन्य शुल्क सहित) क्षतिपूर्ति के आधार पर) किसी भी क्षतिपूर्ति पक्ष द्वारा किए गए, परिणामस्वरूप, या किसी भी तरह से संबंधित, या मुकदमेबाजी या अन्य कार्यवाही के कारण (चाहे ऋणदाता उसमें एक पक्ष है या नहीं) (i) किसी भी वित्त दस्तावेज़ में प्रवेश करने और/या प्रदर्शन करने से संबंधित, (ii) सुविधा की आय का संवितरण और/या उपयोग और/या (iii) उधारकर्ता की ओर से यहां निहित या किसी अन्य वित्त दस्तावेज़ के तहत किसी भी संबंधित उपक्रमों, अनुबंधों, अभ्यावेदनों और वारंटी और समझौतों के भौतिक गैर-प्रदर्शन या गैर-पालन या अशुद्धि इस खंड के तहत निहित क्षतिपूर्ति को प्रभावित करने के लिए आवश्यक सभी रकम सुविधा के तहत दायित्वों का हिस्सा बनेगी और सुरक्षा दस्तावेजों द्वारा सुरक्षित की जाएगी।

23.2 ईमेल क्षतिपूर्ति

उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है कि ई-मेल द्वारा जानकारी भेजना जानकारी भेजने का एक सुरक्षित साधन नहीं है। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि उधारकर्ता ई-मेल निर्देश भेजने में शामिल जोखिमों से अवगत है, जिसमें यह जोखिम भी शामिल है कि ई-मेल निर्देश हो सकते हैं:

(i) कपटपूर्ण या गलती से लिखा, परिवर्तित या भेजा गया हो; और

(ii) पूर्णतः या अंशतः आशयित प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा;

और ऋणदाता को ई-मेल निर्देशों को स्वीकार करने और उन पर कार्य करने का अनुरोध केवल उधारकर्ता की सुविधा और लाभ के लिए है। इसमें या अन्यत्र निहित किसी भी बात के बावजूद, ऋणदाता किसी भी ई-मेल में निहित निर्देशों या निर्देशों के पूरे या किसी भी हिस्से के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा और अपने विवेकाधिकार और अनन्य निर्धारण में, किसी भी निर्देश के अनुसार कार्य करने से इनकार या चूक कर सकता है, या किसी भी निर्देश के अनुसार कार्य करने को स्थगित कर सकता है, और वही उधारकर्ता के जोखिम पर होगा और ऋणदाता इस तरह के किसी भी इनकार या चूक या कार्रवाई के स्थगन के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

24. रद्दीकरण

ऋणदाता को बिना किसी पूर्व सूचना के पूर्णतः या आंशिक रूप से बकाया सुविधा को वापस बुलाने और सीमा को रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

(i) यदि सीमाएं/सीमाओं का भाग उपयोग नहीं किया जाता है, और/या

(ii) ऋण खातों में किसी भी प्रकार से गिरावट होने पर, और/या

(iii) सुविधा की शर्तों और किसी अन्य वित्त दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में।

(iv) यदि परिसंपत्ति आवरण पर्याप्त रूप से नहीं रखा गया है या परिसंपत्ति आवरण कम है।

उधारकर्ता आगे बिना शर्त सहमत है, वचन देता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता के पास समझौते के तहत बकाया अवांछित प्रतिबद्धताओं को रद्द करने और सुविधा की मुद्रा के दौरान किसी भी समय संवितरण को रोकने का बिना शर्त अधिकार है और ऋणदाता उधारकर्ता को उसी की पूर्व सूचना प्रदान करने का प्रयास करेगा;

उधारकर्ता बिना शर्त सहमत है, वचन देता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता को उधारकर्ता की साख में गिरावट की स्थिति में अपनी बकाया अ-आहरित प्रतिबद्धता को बिना शर्त रद्द करने का अधिकार होगा। उपरोक्त खंडों के प्रयोजन के लिए, उधारकर्ता की साख में गिरावट में बिना किसी सीमा के शामिल होंगे:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक की जानबूझकर चूककर्ता सूचियों में उधारकर्ता को शामिल करना;

(ii) उधारकर्ता और/या अन्य ऋणदाताओं द्वारा वित्त दस्तावेजों की शर्तों और शर्तों का पालन करने में विफलता।

25. कर सकल और सेट ऑफ

(i) वित्त दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को किए जाने वाले सभी भुगतान सकल होंगे, और करों के लिए या उसके बिना कटौती के बिना मुफ्त और स्पष्ट किए जाएंगे, जब तक कि उधारकर्ता को इस तरह के भुगतान को कटौती या रोक के अधीन करने की आवश्यकता न हो लागू कानून के अनुसार करों का, बशर्ते कि उधारकर्ता ऋणदाता को इस तरह की रोक या कटौती के संबंध में कर रोक या कर कटौती प्रमाणपत्र वितरित करता है, इस तरह की रोक और/या कटौती के 30 (तीस) दिनों के भीतर यह दर्शाता है कि काटी गई और/या रोकी गई राशि का भुगतान किया गया है और/या प्रासंगिक सरकारी प्राधिकरण के पास जमा किया गया है।

(ii) वित्त दस्तावेजों के तहत ऋणदाता को किए गए सभी भुगतान, उधारकर्ता और/या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, बिना सेट-ऑफ, प्रतिदावे के किए जाएंगे।

26. देय धन का भुगतान

AXIS FINANCE

यदि वित्त दस्तावेजों के तहत किसी भी पक्ष के किसी भी भुगतान दायित्व को किसी ऐसे दिन निष्पादित किया जाना है जो व्यावसायिक दिवस नहीं है, तो उक्त भुगतान तुरंत बाद वाले व्यावसायिक दिवस पर किया जाएगा।

27. सूचनाएं

(क) जैसा कि इसमें या किसी वित्त दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, इसके तहत या उसके तहत प्रदान किए गए सभी नोटिस और अन्य संचार

(i) लिखित रूप में होंगे (टेलीक्स और टेलीकॉपियर सहित, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है); और

(ii) टेलेक्स, फैक्स, टेलीकॉपी या किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया, ओवरनाइट कूरियर (यदि अंतर्देशीय डिलीवरी के लिए) या अंतर्राष्ट्रीय कूरियर (यदि विदेशी डिलीवरी के लिए) या पंजीकृत डाक द्वारा या

(iii) इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा या

(iv) इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से व्हाट्सएप या टेलीग्राम की तरह इस समझौते के पक्ष में उसके पते/ईमेल पते और संपर्क नंबर पर, जो सुविधा समझौते से जुड़ी शर्तों की अनुसूची में निर्दिष्ट है, या ऐसे अन्य पते और संपर्क नंबर पर जैसा कि इस समझौते के अन्य पक्षों को लिखित नोटिस में ऐसे पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(ख) इस तरह के सभी नोटिस और संचार प्रभावी होंगे

(i) यदि टेलेक्स द्वारा भेजे गए हैं, जब भेजे गए हैं (सही उत्तर के साथ);
(ii) यदि टेलीकॉपियर या फैक्स द्वारा भेजा जाता है, जब भेजा जाता है (सही टेलीकॉपियर या फैक्स नंबर पर पुष्टि की प्राप्ति पर);
(iii) यदि व्यक्ति द्वारा भेजा गया है, जब वितरित किया गया है;
(iv) यदि कूरियर द्वारा भेजा जाता है,
  (a) 1 (एक) व्यावसायिक दिन एक रात भर कूरियर के साथ जमा करने के बाद यदि अंतर्देशीय वितरण के लिए; और
  (b) 5 (पांच) व्यावसायिक दिन एक अंतरराष्ट्रीय कूरियर के साथ जमा करने के बाद यदि विदेशी वितरण के लिए,
(v) यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजा जाता है जब पंजीकृत पत्र, डाक के सामान्य पाठ्यक्रम में, वितरित किया जाएगा या नहीं, और
(vi) यदि ईमेल द्वारा भेजा जाता है, तो ऐसे ईमेल के सफल संचरण पर (यानी यदि यह वापस नहीं आता है)
(vii) यदि इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज लाइन व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से भेजा जाता है, तो ऐसे इंस्टेंट मैसेज के सफल वितरण पर। बशर्ते उधारकर्ता से ऋणदाता को कोई भी नोटिस केवल तभी बाध्यकारी होगा जब वास्तव में ऋणदाता द्वारा पते पर प्राप्त किया जाएगा जैसा कि इस सामान्य नियम और शर्तों और/या अन्य वित्त दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक है। बशर्ते उधारकर्ता से ऋणदाता को कोई भी नोटिस केवल तभी बाध्यकारी होगा जब वास्तव में ऋणदाता द्वारा पते पर प्राप्त किया जाएगा जैसा कि सुविधा समझौते के अनुसार आवश्यक है।

(ग) उधारकर्ता ऋणदाता को नोटिस की तामील के लिए अपने पते में किसी भी परिवर्तन के संबंध में तुरंत सूचित करेगा।

(घ) उधारकर्ता द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि सभी संचारों की एक प्रति निम्नलिखित को चिह्नित की जाएगी:
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड
एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई - 400025
कृपा आकृष्ट करें: शिकायत निवारण अधिकारी-सुश्री मंगल सारंग,
मोबाइल नंबर: ________________________
ई-मेल: mangal.sarang@axisfinance.in

28. अभिलेख
ऋणदाता को इस समझौते के तहत ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच आदान-प्रदान की गई संपत्ति और किसी भी अन्य जानकारी के संबंध में सभी लेनदेन दस्तावेजों, शीर्षक दस्तावेजों को रखने का अधिकार है, इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी या ऐसी अवधि के लिए जो समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आवश्यकताओं सहित किसी भी नियामक/आंतरिक नीति दायित्वों/दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए।

29. कोई छूट नहीं; संचयी उपचार
ऋणदाता द्वारा इस अनुबंध के तहत या किसी अन्य वित्तीय दस्तावेज के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में कोई विफलता या देरी नहीं होगी और एक ओर उधारकर्ता और दूसरी ओर ऋणदाता के बीच व्यवहार का कोई तरीका नहीं होगा, किसी भी ऐसे अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार को कम करना या छूट के रूप में संचालित करना; न ही इस अनुबंध के तहत या किसी अन्य वित्तीय दस्तावेज के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के किसी एकल या आंशिक प्रयोग से किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग को रोका जाएगा। इस अनुबंध में या किसी अन्य वित्तीय दस्तावेज में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां और उपचार संचयी हैं और किसी भी अधिकार, शक्तियों या उपचारों के अनन्य नहीं हैं जो ऋणदाता के पास अन्यथा होते। किसी भी मामले में उधारकर्ता को कोई नोटिस या मांग उधारकर्ता को किसी अन्य या आगे के नोटिस या मांग के समान या अन्य परिस्थितियों में हकदार नहीं बनाएगी या किसी भी परिस्थिति में बिना किसी नोटिस या मांग के ऋणदाता के अधिकारों की छूट का गठन करेगी।

30. अंतरण, नवीकरण और भागीदारी; प्रतिभूतिकरण पृष्ठ
(क) उधारकर्ता किसी वित्त दस्तावेज के तहत अपने अधिकारों और/या दायित्वों में किसी भी हित को नियत, हस्तांतरित या नवीनीकृत नहीं करेगा, जिसका वह पक्षकार है।

(ख) ऋणदाता, किसी भी समय, उधारकर्ता को पूर्व सहमति या सूचना दिए बिना सुविधा, प्राप्य, सुरक्षा, अधिकारों, लाभों और सुविधा की शर्तों, अन्य वित्त दस्तावेजों या इसके तहत अपने पक्ष में बनाए गए किसी भी अन्य हित को किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को पूर्ण या आंशिक रूप से और इस तरह से और ऐसी शर्तों पर सौंप, स्थानांतरित, बेच, गिरवी रख या बंधक बना सकता है, जैसा कि ऋणदाता बिना किसी संदर्भ के उधारकर्ता को तय कर सकता है। उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता को सुविधा, सुविधा समझौते और/या सुविधा दस्तावेजों के तहत ऋणदाता के सभी या किसी भी भाग के अधिकारों और/या दायित्वों को किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) को और इस तरह से और ऐसी शर्तों पर प्रतिभूतिकरण, बेचने, सौंपने या स्थानांतरित करने के लिए अग्रिम सहमति देता है, जैसा कि ऋणदाता भविष्य में किसी भी समय तय कर सकता है। इस तरह के किसी भी कार्यभार या हस्तांतरण के बावजूद, उधारकर्ता, जब तक कि ऋणदाता द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाए, सुविधा की शर्तों के तहत सभी भुगतान ऋणदाता को करना जारी रखेगा और इस तरह के सभी भुगतान, जिसमें पूर्व भुगतान शुल्क, यदि कोई हो, शामिल हैं, जब ऋणदाता को किए जाते हैं, तो उधारकर्ता को ऐसे भुगतानों के संबंध में उसकी सभी देनदारियों से पूर्ण मुक्ति होगी।

(ग) पूर्वोक्त प्रावधान के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाता (अपने विवेकाधिकार पर), उधारकर्ता को नोटिस दिए बिना, किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदारी के माध्यम से सुविधा के पूरे या किसी हिस्से के क्रेडिट जोखिम को साझा कर सकता है और ऐसे मामले में, इस सामान्य नियम और शर्तों और सुविधा समझौते के तहत ऋणदाता को उपलब्ध सभी अधिकार, विशेषाधिकार, हर समय ऋणदाता के लिए उपलब्ध होंगे।

(घ) उपर्युक्त के बावजूद, पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ऋणदाता को वित्तीय दस्तावेजों के तहत अंतर्निहित सुरक्षा और अन्य अधिकारों और विशेषाधिकारों और दायित्वों के लाभ के हस्तांतरण के साथ, सुविधा के तहत अपनी बकाया राशि को प्रतिभूतिकृत करने का अधिकार होगा और इस तरह के प्रतिभूतिकरण की स्थिति में ऋणदाता उधारकर्ता को उक्त प्रतिभूतिकरण के संबंध में व्यक्तिगत सूचना भेजने के लिए बाध्य या आवश्यक नहीं है।

31. पृथक्करणीयता

किसी वित्त दस्तावेज़ का कोई भी प्रावधान जो किसी भी क्षेत्राधिकार में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, ऐसे क्षेत्राधिकार के संबंध में, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन यह ऐसे वित्त दस्तावेज़ के शेष प्रावधानों को अमान्य नहीं करेगा या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा।

32. गणना और संगणना

(क) ऋणदाता, सुविधा की शर्तों और अन्य वित्त दस्तावेजों के तहत समय-समय पर उधार दी गई और/या उसके द्वारा देय राशियों का साक्ष्य देने वाले खातों को अपने सामान्य अभ्यास के अनुसार बनाए रखेगा। उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच किसी भी विवाद में, किसी भी कानूनी कार्यवाही सहित, ऋणदाता द्वारा रखे गए खातों में की गई प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकट त्रुटि के लिए, उधारकर्ता के दायित्वों के अस्तित्व और राशि के निर्णायक साक्ष्य होंगी, जैसा कि उसमें दर्ज किया गया है।

(ख) ऋणदाता के किसी नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विवरण या सिस्टम द्वारा जनित विवरण, ब्याज, दंड शुल्क/दंडात्मक शुल्क और सुविधा की शर्तों के तहत ऋणदाता को किए जाने वाले सभी अन्य भुगतानों के लिए पर्याप्त साक्ष्य होगा।

33. बीमा

ऋणदाता को गिरवी रखे जा रहे सुरक्षित संपत्तियों का व्यापक बीमा किया जाएगा (सुरक्षा की निरंतरता के दौरान उधारकर्ता / ऋणी के स्वयं के खर्च पर) ऐसी बीमा कंपनी के साथ, जैसा कि ऋणदाता द्वारा सभी नुकसानों और दंगों, नागरिक हंगामे, जोखिमों, दुर्घटना, आग, चोरी, और बीमा द्वारा कवर किए जाने वाले सभी अन्य जोखिमों के खिलाफ आवश्यक हो सकता है, जिसमें तीसरे पक्ष के जोखिम भी शामिल हैं। उधारकर्ता / ऋणी बीमा के लिए देय सभी प्रीमियम का समय पर भुगतान करेगा और नीतियों को पूर्ण बल और प्रभाव में बनाए रखेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा या करने का कारण नहीं बनेगा जिससे पॉलिसी विकृत हो जाए और समय-समय पर पॉलिसी को नवीनीकृत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऋणदाता को गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्तियां वित्त दस्तावेजों की अवधि / लंबित रहने के दौरान या सुविधा के तहत ऋणदाता को देय या देय किसी भी धनराशि के बकाया रहने के दौरान बीमाकृत रहती हैं और बीमा और नवीनीकरण नोटों की मूल नीतियां तुरंत जमा की जाएंगी। ऋणदाता के साथ। वित्त दस्तावेजों के तहत ली जाने वाली बीमा पॉलिसी उधारकर्ता के नाम पर होगी और ऋणदाता को इस तरह के बीमा के तहत हानि भुगतानकर्ता के रूप में वर्णित किया जाएगा। ऋणदाता सुविधा के संबंध में उधारकर्ता / ऋणी के दायित्व के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त किसी भी धनराशि को उपयुक्त करने का हकदार होगा। ऋणदाता सुरक्षित संपत्तियों के बीमा के नवीनीकरण न होने और / या उधारकर्ता / ऋणी द्वारा किसी भी निपटान दावे के बीमा कंपनी द्वारा देरी / भुगतान न करने के कारण किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सुविधा की सुरक्षा को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋणदाता का ग्रहणाधिकार बीमा पर अंकित है, ऋणदाता उधारकर्ता / ऋणी की ओर से एक सुविधाकर्ता बनकर और प्रीमियम भुगतान करके बीमा करवा सकता है। स्वीकृत बीमा कंपनी को उधारकर्ता / ऋणी के (पीआई) पेमेंट इंस्ट्रक्शन (एस) के माध्यम से। हालांकि, उधारकर्ता / ऋणी द्वारा किसी भी डिफ़ॉल्ट की घटना सहित किसी भी कारण से ऋणदाता की ओर से कोई भी भुगतान न करने पर उधारकर्ता / ऋणी की आवश्यक बीमा प्रीमियम का भुगतान करने और सुरक्षित संपत्ति को बीमाकृत रखने की देयता को प्रभावित नहीं करेगा। किसी भी बीमा आय पर पहला दावा ऋणदाता का होगा बीमा पॉलिसी और उसके नवीनीकरण के संबंध में समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा और उधारकर्ता / ऋणी ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए नाममात्र मुआवजे के रूप में उचित राशि का भुगतान करेगा। बीमा कंपनी के साथ उपर्युक्त व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋणदाता का नाम बीमा के तहत अंकित है।

उधारदाता उधार चुकाने के जोखिम को कवर करने के लिए जीवन और संपत्ति दोनों तरह के बीमा की सलाह दे सकता है, जहां उधारकर्ता के पास उधारदाता के भागीदारों के माध्यम से दिए गए विकल्पों में से या उधारकर्ता की पसंद के अनुसार खुले बाजार में उपलब्ध किसी अन्य बीमा कंपनी के माध्यम से बीमा के लिए नामांकन करने का विकल्प होता है, ऐसे बीमा उत्पादों के नियमों और शर्तों को समझने और उनकी समीक्षा करने के बाद। उधारकर्ता अपने विवेक के अनुसार बीमा का लाभ उठाने या न उठाने का विकल्प चुन सकता है।

34. प्रत्यायोजन का अधिकार

ऋणदाता, स्वयं या अपने कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक या अधिक व्यक्ति (**"सेवा प्रदाता"**) को नियुक्त करने का हकदार होगा, जैसा कि ऋणदाता चयन कर सकता है और ऐसे पक्ष को सभी या किसी को भी सौंप सकता है। वित्त दस्तावेजों के तहत इसके कार्य, अधिकार और शक्तियां, ऋणदाता की ओर से उधारकर्ता से सभी बकाया राशि प्राप्त करने और उससे जुड़े और आकस्मिक सभी वैध कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने और निष्पादित करने के अधिकार और अधिकार सहित। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि सेवा प्रदाताओं के खिलाफ किसी भी दावे के लिए, ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होगा और इस खाते पर उधारकर्ता का दावा केवल सेवा प्रदाताओं के खिलाफ होगा।

35. लागू कानून और क्षेत्राधिकार

यह सामान्य नियम और शर्तें भारत के कानूनों द्वारा शासित हैं और इनके अनुसार ही इनका अर्थ लगाया जाएगा। इस समझौते और इससे संबंधित दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी विवादों के लिए पक्षकार स्पष्ट रूप से दिल्ली/मुंबई ("स्थान") स्थित न्यायालयों/अधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होने के लिए सहमत हैं। बशर्ते कि कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता को किसी भी विवाद से संबंधित कार्यवाही किसी भी अन्य स्थान के न्यायालयों/अधिकरणों में करने का अधिकार होगा, जिनका अन्यथा क्षेत्राधिकार है।

36. शासकीय कानून

ये सामान्य नियम और शर्तें भारत के कानूनों के अनुसार शासित और निर्मित होंगी|

37. विवाद समाधान

i. पक्षकार सहमत हैं कि इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में किसी भी विवाद को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा, जिसे संशोधित किया जा सकता है, या इसका पुनः अधिनियमन किया जा सकता है। यदि पक्षकार मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहते हैं, तो मध्यस्थ को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, कोई भी पक्षकार एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए किसी भी मध्यस्थ संस्थान से संपर्क कर सकता है, जैसा कि उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, और यदि संपर्क किया गया संस्थान उपलब्ध नहीं है या अनुरोध की तारीख से 3 (तीन) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध का जवाब नहीं देता है, तो अगले संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। पक्षकार आगे सहमत हैं कि उक्त मध्यस्थता कार्यवाही ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) और/या फास्ट ट्रैक मध्यस्थता के माध्यम से भी की जा सकती है।

ii. मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। ऐसी मध्यस्थता की लागत हारने वाले पक्ष द्वारा वहन की जाएगी या अन्यथा मध्यस्थता पुरस्कार में निर्धारित की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान वह स्थान होगा या ऐसा अन्य स्थान होगा जो ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि किसी पक्ष को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने की आवश्यकता होती है, तो जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है, वह सभी उचित लागत और व्यय और अटॉर्नी की फीस का भुगतान करेगा, जिसमें पुरस्कार को लागू करने के लिए इच्छुक पार्टी द्वारा की गई अतिरिक्त मुकदमेबाजी या मध्यस्थता की कोई भी लागत शामिल है।

iii. मध्यस्थता कार्यवाही मुख्य रूप से दस्तावेजों पर आधारित होगी जो शारीरिक रूप से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और सभी अभिवचन और दस्तावेजों का आदान-प्रदान शारीरिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। ऐसे मामलों में, सुनवाई शारीरिक रूप से या वस्तुतः मध्यस्थ के एकमात्र विवेक पर आयोजित की जाएगी।

iv. पक्षकार मध्यस्थता कार्यवाही को वस्तुतः या शारीरिक रूप से या हाइब्रिड रूप से करने के लिए सहमत हैं, जैसा कि मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ईमेल पता और मोबाइल नंबर जैसा कि उपलब्ध है, प्रदान किया गया है या अन्यथा अनुबंध में संदर्भित किया गया है, इस उद्देश्य के लिए माना जाएगा। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अपने ईमेल पते और/या मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की स्थिति में ऊपर उल्लिखित संस्थान को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

AXIS FINANCE

38. उपरोक्त खंड 36 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाता को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत उपचारों की तलाश करने का अधिकार होगा, जैसा कि लागू हो, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और/या ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 (डीआरटी अधिनियम) इस घटना में ऋणदाता की कानूनी स्थिति बदल जाती है या कानून में संशोधन किया जाता है या ऋणदाता को डीआरटी अधिनियम के तहत उधारकर्ता से बकाया वसूल करने के लिए आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जाता है, वित्त दस्तावेजों के तहत अपने अधिकारों के संबंध में। बशर्ते, हालांकि, कि ऋणदाता की कानूनी स्थिति में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं है और न ही उपरोक्त कानून में परिवर्तन, उप-खंड 36 के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित मौजूदा पुरस्कार को अमान्य करेगा।

बशर्ते कि ऋणदाता के पास अपने विवेक पर उधारकर्ता के खिलाफ अलग या सामान्य/संयुक्त कार्यवाही/कार्रवाई शुरू/दाखिल/जारी रखने का अधिकार होगा और यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋणदाता, अपने विवेक पर, इस समझौते और/या वित्त दस्तावेजों के तहत शुरू की गई या शुरू करने का प्रस्ताव की गई किसी भी मध्यस्थता या अन्य कानूनी कार्यवाही को एक या अधिक अन्य संबंधित दस्तावेजों के तहत शुरू की गई या शुरू करने का प्रस्ताव की गई किसी भी मध्यस्थता या अन्य कानूनी कार्यवाही के साथ समेकित और संयोजित करने का हकदार होगा।

39. जीवन रक्षा

(क) इसमे उल्लिखित सभी क्षतिपूर्ति अंतिम निपटान तिथि के बाद भी लागू रहेंगी।

(ख) वित्त दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता के दायित्वों पर निम्नलिखित का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(i) किसी वित्त दस्तावेज़ के तहत किसी व्यक्ति के किसी दायित्व की कोई भी अप्रवर्तनीयता, अवैधता या अमान्यता; या

(ii) किसी वित्त दस्तावेज़ के किसी प्रावधान का उल्लंघन, निराशा या गैर-पूर्ति, या उससे उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े किसी दावे का।

40. प्रकटीकरण

(क) उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है कि ऋणदाता निम्नलिखित के संबंध में कोई भी जानकारी प्रकट कर सकता है:

(i) उधारकर्ता और अन्य ऋणी;

(ii) वित्त दस्तावेजों में से कोई भी;

(iii) सुविधा या किसी अन्य ऋण सुविधा का लाभ उठाया/उठाने के लिए उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता से;

(iv) ऋणी द्वारा सुविधा के संबंध में ग्रहण/ग्रहण की जाने वाली बाध्यताएं;

(v) उक्त दायित्वों के निर्वहन में उधारकर्ता द्वारा की गई कोई चूक; उसके किसी भी सहयोगी और कर्मचारी, अधिकृत प्रतिनिधि या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ वह प्रवेश करना चाहता है, या इस सामान्य नियम और शर्तों, वित्त दस्तावेजों, उधारकर्ता या अन्यथा के संबंध में किसी भी प्रकार के हस्तांतरण, भागीदारी या अन्य समझौते या लेनदेन में प्रवेश किया है। इसके अलावा, उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता के अधिकार को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि समय-समय पर सेबी और अन्य नियामकों द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों के अनुसार खुलासे किए जा सकते हैं।

(ख) इस खंड में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऋणदाता सभी गैर-सार्वजनिक और गोपनीय सूचना ("सूचना") को गोपनीय रखने के लिए सहमत है जिसे ऋणी द्वारा गोपनीय के रूप में पहचाना गया है और (चाहे सुविधा समझौते की तारीख से पहले या बाद में) ऋणी द्वारा, या उनकी ओर से, ऋणदाता को ऋणी के संबंध में उपलब्ध कराया गया है, गोपनीय है और किसी भी सूचना का संचार नहीं करना है, या किसी भी सूचना को किसी तीसरे पक्ष को संप्रेषित करने की अनुमति नहीं है जब तक कि:

(i) इन सामान्य नियमों और शर्तों से उत्पन्न होने वाली या इनसे संबंधित किसी भी कार्यवाही के संबंध में;

(ii) सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित है, चाहे दस्तावेजों की खोज करने की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हो या नहीं;

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक और/या क्रेडिट ब्यूरो या अन्य क्रेडिट सूचना एजेंसियों को;

(iv) किसी लागू कानून के अनुसार या किसी नियामक द्वारा मांग पर;

(v) अपने लेखा परीक्षकों, सलाहकारों, लेखाकारों, कानूनी सलाहकारों, संग्रह एजेंटों या अधिकारियों, अन्य एजेंटों, सलाहकारों और प्रतिनिधियों को;

(vi) ऐसी परिस्थितियों में जहां प्रासंगिक सूचना को गोपनीयता से मुक्त शर्तों में बाध्यकर्ताओं द्वारा प्रकाशित या घोषित किया गया है या अन्यथा सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश किया है;

(vii) ऋणदाता द्वारा स्वतंत्र या तृतीय-पक्ष स्रोत से सूचना प्राप्त की गई थी।

(ग). इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों के होते हुए भी, उधारकर्ता सहमत है और वचन देता है कि:-

(i) ऋणदाता उधारकर्ता के वित्तपोषण के संबंध में सार्वजनिक घोषणाएं कर सकता है या विज्ञापन दे सकता है;

(ii) ऋणदाता, जैसा कि ऋणदाता उचित और आवश्यक समझे, सभी या किसी भी ऐसे का खुलासा करने का हकदार होगा:

1. उधारकर्ता और ऋणी से संबंधित सूचना और डेटा;
2. सुविधा से संबंधित सूचना या डेटा;
3. उधारकर्ता द्वारा अपनी सुविधा के संबंध में ग्रहण/ग्रहण की जाने वाली बाध्यताएं; और
4. उधारकर्ता द्वारा पूर्वोक्त बाध्यताओं के निर्वहन में, भारतीय रिज़र्व बैंक, क्रेडिट ब्यूरो (ब्यूरो) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को, यदि कोई हो, चूक; और

AXIS FINANCE

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक, क्रेडिट ब्यूरो और कोई अन्य अधिकृत एजेंसी, बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋणदाताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उत्पादों को विचार के लिए प्रस्तुत कर सकती है।

(ङ) उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता या उसके किसी भी सेवा प्रदाता को सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री या इस संबंध में किसी अन्य प्रासंगिक इकाई या व्यक्ति से डेटा, जिसमें सीकेवाईसी रिकॉर्ड शामिल हैं, को अपलोड/सबमिट करने के साथ-साथ किसी भी तरीके से डाउनलोड या प्राप्त करने और केवाईसी और पुन: केवाईसी उद्देश्यों के साथ-साथ सुविधा के संबंध में किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उक्त डेटा का उपयोग करने की सहमति देता है।

41. समाप्ति

सुविधा की शर्तें अंतिम निपटान तिथि पर स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अंतिम निपटान तिथि पर:

(क) वित्त दस्तावेजों के तहत ऋणदाता के पक्ष में निर्मित सुरक्षा हित उधारकर्ता या किसी भी ऋणी से किसी भी आगे की कार्रवाई, कार्य, चीजों के बिना जारी किया जाएगा;

(ख) अन्य सभी वित्त दस्तावेज स्वतः समाप्त हो जाएंगे; और

(ग) ऋणदाता की आंतरिक प्रक्रियाओं के अधीन, ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को कोई बकाया प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।

42. गलती, दुर्घटना या त्रुटि से भुगतान

(i) उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत और पुष्टि करता है कि यदि ऋणदाता गलती से, दुर्घटना से या गलती से उधारकर्ता को या उसके खाते में कोई धनराशि स्थानांतरित या प्रेषित करता है, जो धन, ऋणदाता की एकमात्र राय में, उधारकर्ता को देय और/या देय नहीं है, तो उधारकर्ता बाध्य होगा, कर्तव्य-बद्ध और उत्तरदायी होगा और बिना किसी देरी, आपत्ति या विरोध के, तुरंत और किसी भी घटना में इस तरह के हस्तांतरण/छूट के 1 (एक) कार्य दिवस से बाद में या ऋणदाता द्वारा पहली मांग पर (जो भी पहले हो), उक्त धनराशि को ऋणदाता को ऋणदाता के लिए संतोषजनक तरीके से वापस और चुकाना होगा।

(ii) उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को उक्त 'गलत / अतिरिक्त धन' की वापसी और चुकौती तक, उधारकर्ता धारण करेगा ऋणदाता के लाभ के लिए उसी ट्रस्ट में, ऐसी 'गलत / अतिरिक्त धनराशि' को उधारकर्ता के अन्य सभी धन से अलग रखें और इसे किसी भी लगाव से मुक्त रखें।

(iii) उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि उपर्युक्त दायित्वों का कोई भी गैर-अनुपालन उधारकर्ता की ओर से विश्वास और प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन होगा।

(iv) उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत है और पुष्टि करता है कि यदि उधारकर्ता उपर्युक्त समयसीमा के भीतर उक्त 'गलत / अतिरिक्त धन' वापस करने में विफल रहता है, तो उधारकर्ता इस समझौते के अनुसार दी गई सुविधा पर लागू उसी दर पर ऋणदाता को ऐसे धन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(v) पूर्वगामी के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता को अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर अधिकार होगा

(क) उधारकर्ता द्वारा किसी भी अनुसूचित बैंक में बनाए गए खाता या खातों से 'गलत / अधिक धन' की वसूली के लिए खाते में डेबिट करें, उधारकर्ता को सूचित करते हुए, और/या"

(ख) ऋण के भविष्य के संवितरण (यदि कोई हो) से ऐसी धनराशि की वसूली करना।

(vi) उधारकर्ता आगे इस बात से सहमत है कि ऐसी 'त्रुटिपूर्ण/अतिरिक्त धनराशि' जिसे ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता या ऋण खाते या उसके खाते में किसी अन्य को गलती, दुर्घटना या गलती से हस्तांतरित या प्रेषित किया गया है, उसे इस समझौते और अन्य वित्त दस्तावेजों के संदर्भ में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय कुल बकाया देय राशि का हिस्सा माना जाएगा, मामले में और ऐसे समय तक कि उक्त 'त्रुटिपूर्ण/अतिरिक्त धन' वापस नहीं किया गया है और ऋणदाता को ऊपर बताए गए तरीके से चुकाया गया है।

43. इस समझौते को उधारकर्ता द्वारा भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जा सकता है: (क) यदि समझौता उधारकर्ता द्वारा भौतिक रूप से (गीले हस्ताक्षर) स्वीकार किया जाता है, तो इस समझौते के अंत में भौतिक हस्ताक्षर खंड लागू होंगे। हालाँकि, यदि समझौता उधारकर्ता द्वारा उप-खंड (ख) में उल्लिखित अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो उधारकर्ता के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी और समझौते के अंत में भौतिक हस्ताक्षर क्षेत्र, वहाँ दिखाई देने पर भी, गैर-लागू माने जाएंगे। (ग) उधारकर्ता द्वारा इस समझौते की इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति के मामले में, पक्ष यहाँ सहमत हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मैनुअल/हस्तलिखित हस्ताक्षर के कानूनी समकक्ष हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पक्षों पर वैध और बाध्यकारी होंगे। पक्ष इस बात से सहमत हैं कि यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा, भले ही समझौता इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित हो और उधारकर्ता की ओर से हस्ताक्षर, स्वीकृति और वितरण के लिए किसी अन्य कार्य, विलेख या लेखन या किसी भौतिक या गीले हस्ताक्षर या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। उधारकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (एक व्यक्ति के मामले में उधारकर्ता के, या गैर-व्यक्ति के मामले में उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के) और ऋणदाता के प्रतिनिधि को या तो ई-सर्टिफिकेट या ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड सत्यापन) के साथ प्रमाणित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत है कि वन टाइम पासवर्ड प्रदान/जमा करके, उधारकर्ता को यह समझौता और इसके कार्यक्रम पढ़ने और समझने के लिए समझा जाएगा।

44. सह-ऋण व्यवस्था

a. उधारकर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है कि ऋणदाता 05 नवंबर, 2020 के अधिसूचना दिनांकित 'बैंकों और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को सह-ऋण' ('सह-ऋण दिशानिर्देश') शीर्षक के तहत आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा अधिसूचित सह-ऋण दिशानिर्देशों के तहत पात्र बैंकों/एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के साथ सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। इस व्यवस्था के अनुसार, आवश्यक उचित परिश्रम करने के बाद, बैंक सुविधा दस्तावेजों के तहत अधिकारों, हितों या दायित्वों के एक हिस्से का अधिग्रहण कर सकता है, जो ऋणदाता द्वारा विस्तारित सुविधा का अस्सी प्रतिशत (80%) तक हो सकता है। इस तरह के असाइनमेंट के बावजूद, ऋणदाता सुविधा की पूरी अवधि के लिए उधारकर्ता के लिए संपर्क/इंटरफेस के एकल बिंदु के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखेगा। परिणामस्वरूप, उधारकर्ता सुविधा से संबंधित किसी भी मुद्दे, पूछताछ, सर्विसिंग आवश्यकताओं या शिकायतों पर सीधे बैंक के साथ बातचीत करने या जुड़ने के लिए बाध्य नहीं है।

b. इसके अलावा, बैंक के पक्ष में सुविधा या उसके किसी भी हिस्से के असाइनमेंट पर, ऋणदाता, बैंक के साथ अपने सह-ऋण व्यवस्था की शर्तों के अनुसार, उधारकर्ता को सुविधा से संबंधित सभी भुगतान या पुनर्भुगतान एक निर्दिष्ट एस्क्रो खाते में करने का निर्देश दे सकता है। इस तरह के अनुरोध को उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा, और उधारकर्ता ऐसे भुगतान जमा करने के लिए ऋणदाता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत होता है। एस्क्रो खाते को ऋणदाता और बैंक के बीच सहमत सह-ऋण शर्तों के अनुरूप प्रबंधित किया जाएगा।

c. इस खंड से सहमत होकर, उधारकर्ता सुविधा के बैंक को संभावित असाइनमेंट को स्वीकार करता है और भुगतान निर्देशों में किसी भी बदलाव का पालन करने के लिए सहमत होता है जैसा कि ऋणदाता द्वारा सूचित किया जा सकता है।

45. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि डिफ़ॉल्ट के मामले में सुविधा की वसूली के लिए ऋणदाता एक रिकवरी एजेंट ("रिकवरी एजेंट") की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। रिकवरी एजेंट आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जो धमकी, उत्पीड़न या अपमानजनक भाषा के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। रिकवरी एजेंट आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा निर्दिष्ट अनुमेय घंटों के भीतर काम करेगा और वसूली उद्देश्यों के लिए कोई भी संचार पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर किया जाएगा। ऋणदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता को लगे होने वाले रिकवरी एजेंट के विवरण के बारे में सूचित किया जाए।

46. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता ने आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। ऋणदाता के निदेशक मंडल ने एएफएल और उसके ग्राहकों के बीच विवादों को हल करने के लिए संगठन के भीतर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि ऋण संस्थानों के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाए। ऋणदाता से संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के साथ-साथ आरबीआई के स्थानीय कार्यालय का विवरण उधारकर्ता के लाभ के लिए ऋणदाता की शाखाओं/उन स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा जहाँ व्यवसाय किया जाता है। शिकायत निवारण तंत्र प्रक्रिया https://www.axisfinance.in/policies-and-standards/fair-practices-code पर उपलब्ध है और शिकायत निवारण अधिकारी का संपर्क विवरण इस प्रकार होगा:

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर,
वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई- 400025,
कृपा आकृष्ट करें: शिकायत निवारण अधिकारी-सुश्री मंगल सारंग,
ईमेल आईडी- mangal.sarang@axisfinance.in ,
मोबाइल नंबर- +91-8655749343

47. जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करने वाले

उधारकर्ता सहमत होते हैं और वचन देते हैं कि आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक)/सीआईसी (क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी) द्वारा बनाए गए जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों की सूची में या किसी भी सावधानी सूची में जिसका नाम दिखाई देता है, उसे उधारकर्ता के बोर्ड में या प्रबंधन के जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति बोर्ड में या प्रबंधन के प्रभारी के रूप में पाया जाता है, तो उधारकर्ता(ओं) ऐसे व्यक्ति को बोर्ड या प्रबंधन से हटाने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगा। उधारकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति को हटाने में विफलता की स्थिति में, ऋणदाता, अपने विवेक से, इसे डिफ़ॉल्ट की घटना के रूप में मान सकता है। इसके अलावा, जब तक ऐसा कोई व्यक्ति बोर्ड में बना रहे या उधारकर्त के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार रहे, तब तक ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) को प्रदान की गई मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण, वृद्धि, ताजा ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा या पुनर्गठन नहीं करेगा। यह खंड जानबूझकर डिफॉल्टर और बड़े डिफॉल्टर आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक)/डीओआर (वित्तीय समावेशन विभाग) /2024-25/122, डीओआर.एफआईएन.आरईसी.संख्या 31/20.16.003/2024-25, दिनांक 30 जुलाई, 2024 के उपचार पर आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) मास्टर निर्देश के अनुसार है।

उधारकर्ता ने इस समझौते में उल्लिखित दायित्वों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए, सहमत होते हुए और स्वीकार करते हुए पूर्ण ज्ञान और समझ के साथ सुविधा समझौते को निष्पादित किया है और/या उधारकर्ता सहमत है कि सुविधा की शर्तों की पूरी शर्तों को अंग्रेजी या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में समझाया गया है।

AXIS FINANCE

अनुसूची V

तारीख - 29-अक्टूबर-24

को,

श्री मोहइद्दीन मस्तान कुरैशी ए,

12 अन्बु नगर, पलक्कड़ रोड, पोलाची, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर।

7904123162

विषयः एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के साथ आपके ऋण प्रकार व्यक्तिगत ऋण, ऋण आवेदन आईडी PLA00706888 के लिए मुख्य तथ्य विवरण।

प्रिय महोदय/महोदया,

हम आपको एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) चुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आपको ऐसी प्रतिभूतियों के विरुद्ध क्रेडिट सुविधाएँ प्रदान करता है जैसा कि इसमें निर्धारित है।

हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपके आवेदन और हमें प्रदान की गई जानकारी के संदर्भ में, हमने आपको नीचे दिए गए नियमों और शर्तों पर एक व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया है।

किसी भी वादे या प्रतिबद्धता के बारे में कम ब्याज दरों, शुल्क/प्रभारों की छूट, या अन्य लाभों का स्पष्ट रूप से नीचे उल्लेख नहीं किया गया है, उसे स्वीकार करने से पहले हमारे ध्यान में लाया जाना चाहिए। मुख्य तथ्य विवरण या ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले। लिखित ऋण समझौता किसी भी पूर्व प्रतिनिधित्व को या वितरण या आश्वासन के बाद किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व को सुपरसीड करेगा। ऋण के वितरण के बाद इस संबंध में किए गए दावे या प्रतिनिधित्व विचार नहीं किया जाएगा

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया मुख्य तथ्य विवरण की समीक्षा करें और आगे बढ़ने के लिए उसी पर अपनी स्वीकृति साझा करें।

परिशिष्ट क

प्रमुख तथ्य विवरण

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

1	**ऋण प्रस्ताव/ खाता क्रमांक**	MLA00008674	**ऋण का प्रकार**	**एमएल-माइक्रो लैप**
2	**स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)**		Rs.4,00,000	
3	**संवितरण अनुसूची**			
	i. चरणों में या 100% अग्रिम में संवितरण। **(ii) यदि यह चरणबद्ध है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें**		(i)[1] (ii) उधारकर्ता, ऋणदाता को विधिवत भरा हुआ संवितरण अनुरोध प्रपत्र, जो अनुसूची VI में दिया गया है, ऋणदाता द्वारा सहमत तरीके से और तारीख पर देकर सुविधा का उपयोग कर सकता है। सुविधा का संवितरण या तो 100% अग्रिम रूप से या चरणों/किश्तों में, निम्नानुसार किया जाएगा: (क) निर्माणाधीन संपत्ति के लिए, संवितरण निर्माण के चरण के अनुसार किया जाएगा; (ख) बैलेंस ट्रांसफर लेनदेन के लिए, संवितरण चरणों/किश्तों में उधारकर्ता की आवश्यकतानुसार किया जाएगा; और (ग) किसी भी अन्य लेनदेन के लिए, संवितरण उधारकर्ता के अनुरोध के अनुसार किया जाएगा। ऊपर बताए गए तरीके से सुविधा का संवितरण, उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता द्वारा इस समझौते की शर्तों का पालन करने या ऋणदाता द्वारा अपने विवेकाधिकार पर अनुमति दिए जाने के अधीन होगा।	
4	**ऋण अवधि (वर्ष/माह/दिन)**		60 महीने	

AXIS FINANCE

5.किस्त विवरण			
किस्तों का प्रकार	**ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की संख्या**	**ईपीआई (समान आवधिक किस्त) (₹)**	**स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत**
मासिक	60	रू.7,893 (ओडी सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी)	30 दिनों के भीतर

6	**ब्याज दर (%) और प्रकार (स्थिर या अस्थायी या संकर)**	15.25% प्रति वर्ष निश्चित

7. **ब्याज की फ्लोटिंग दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी**

AXIS FINANCE

संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	प्रसार (%) (S)	अंतिम दर (%) R = (B) + (S)	आवर्तीता रीसेट करें (महीने)[2]		संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव (25 बीपीएस परिवर्तन के लिए 'आर' में परिवर्तन:)	
				बी	एस	ईपीआई (समान आवधिक किस्त) (₹)	ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की संख्या
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) संदर्भ दर	-	-	-	NA	NA	(□□) (ओडी सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी)	-

** फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रीसेट आवृत्ति घटना आधारित है।

* कृपया ध्यान दें कि सुरक्षित ऋणों के लिए अधिकतम कार्यकाल 360 महीने और असुरक्षित ऋणों के लिए 60 महीने तक सीमित होगा

AXIS FINANCE

8	**शुल्क/ प्रभार (जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) सहित)**[3]				
		आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) (ए) को देय		**आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय**	
		एक बार/ आवर्ती	राशि (में ₹) या प्रतिशत (%) यथा लागू [4]	एक बार/ आवर्ती	राशि (में ₹) या प्रतिशत (%) यथा लागू
(i)	**ऋण आवेदन शुल्क (एचएल,एएचएल,एल एपी और एमएलएपी के मामले में प्रति कोलैटरल)**	एक बार	Rs.5,900	NA	NA
(ii)	**प्रसंस्करण शुल्क**	एक बार	Rs.5,900	NA	NA
(iii)	**बीमा शुल्क**	NA	NA	एक बार	Rs.4,77 6
(iv)	**मूल्यांकन शुल्क**	NA	NA	NA	NA
(v)	**कोई अन्य शुल्क** [5] **(सर्साई (केंद्रीय संपत्ति रजिस्ट्री और संपत्ति सुरक्षा प्राधिकरण शुल्क)**	एक बार	Rs.	NA	NA

1 प्रत्येक सुविधा के लिए निर्दिष्ट किया जाना है

2. निश्चित रीसेट, क्रेडिट प्रोफ़ाइल में बदलाव के अलावा

3.आरई जीएसटी जैसे किसी भी कर के शुद्ध राशि का खुलासा कर सकते हैं

4. आवृत्ति का उल्लेख करें, जहाँ आवर्ती

5.यहां किसी भी स्तर पर या किसी भी आकस्मिकता के मामले में लगाए जाने वाले सभी शुल्कों का उल्लेख किया जाना है

AXIS FINANCE

<table>
<tr><td>9</td><td>वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)</td><td>कृपया एनेक्सचर बी देखें - खुदरा और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) ऋणों के लिए एपीआर (वार्षिक प्रतिशत दर) की गणना का चित्रण।</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">सशर्त शुल्कों का विवरण (₹ या %, जैसा लागू हो)

(i) वित्तीय नियम और शर्तें
(ii) गैर-वित्तीय नियम और शर्तें</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>विलंबित भुगतान की स्थिति में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो

वित्त दस्तावेज़ (ओं) के तहत देय किसी भी भुगतान में देरी के लिए दंडात्मक शुल्क</td><td>6% प्रति वर्ष प्लस बकाया राशि पर जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) (मूलधन बकाया / ब्याज बकाया / ईएमआई (समान आवधिक किस्त) बकाया) उस अवधि के लिए जिस अवधि तक उक्त राशि बकाया रहती है।</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>अन्य दंडात्मक शुल्क, (स्वीकृति की गैर-अनुपालन से संबंधित/समझौते की शर्तें)</td><td>
<table>
<tr><td>(1) प्रतिभूति सृजन में विलंब के लिए दंडात्मक शुल्क जैसा कि स्वीकृति पत्र की शर्तों में है</td><td>2% प्रति वर्ष प्लस जीएसटी (वस्तु और सेवा कर)। सुरक्षा निर्माण में विलंब या दंडात्मक शुल्क सुविधा की बकाया मूल राशि पर लगाया जाएगा, उस तिथि से प्रारंभ होगा जिस दिन सुरक्षा का निर्माण किया जाना था जब तक कि वह वास्तव में निर्मित नहीं हो जाती।</td></tr>
<tr><td>2 (a) स्वीकृति पत्र/सुविधा अनुबंध के अनुसार किसी अन्य महत्वपूर्ण नियम और शर्तों का पालन न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क

(b) स्वीकृति पत्र की शर्तों और नियमों के अनुसार दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत न करने से संबंधित दंडात्मक शुल्क</td><td>1% प्रति वर्ष और लागू जीएसटी (वस्तु और सेवा कर)।
इन अनुपालनों के लिए दंड शुल्क सुविधा की बकाया मूल राशि पर लगाया जाएगा, अनुपालन न करने के प्रत्येक उदाहरण के लिए, उल्लंघन की तारीख से उस तारीख तक की गणना की जाएगी जब तक कि स्वीकृति पत्र की शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं, अधिकतम 3% प्रति वर्ष के अधीन। कई मामलों में जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) के साथ उल्लंघन।</td></tr>
</table>

*उपरोक्त उल्लिखित दंड शुल्क भारतीय वस्तु और सेवा कर पर लागू कानूनों के अनुसार जीएसटी के अधीन होंगे, और जीएसटी अलग से लगाया जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित दंड शुल्क लागू ब्याज दर के अतिरिक्त हैं। दंड शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं होगा।</td></tr>
</table>

		महत्वपूर्ण शर्तें (बिंदु A(1) और B(1) और 2(b) के अंतर्गत शामिल महत्वपूर्ण शर्तों के अतिरिक्त) 1. चूक की घटना: स्वीकृति पत्र या अन्य वित्त दस्तावेजों के तहत किसी भी चूक की घटना का घटित होना, उधारकर्ता की वित्तीय चूक से संबंधित चूक की घटना को छोड़कर। 2. सुरक्षा कवर: इस स्वीकृति पत्र के तहत निर्धारित सुरक्षा कवर को बनाए रखने में विफलता। 3. वित्तीय अनुबंध: इस स्वीकृति पत्र के तहत निर्धारित किसी भी वित्तीय अनुबंध का उल्लंघन करना या वित्तीय स्थितियों में गिरावट की अनुमति देना जो इस स्वीकृति पत्र या अन्य वित्त दस्तावेजों के तहत दायित्वों की पूर्ति को प्रभावित करती है। 4. अनुमोदन: निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने या बनाए रखने में विफलता, जिसमें निर्माण अनुमति, पूर्णता प्रमाण पत्र, पर्यावरण मंजूरी, बंधक की अनुमति, अनापत्ति पत्र, पारी-पासु सीडिंग पत्र आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जहां भी लागू हो। 5. व्यवसाय योजनाएं या परियोजना समय-सीमा: सहमत व्यवसाय या बेस केस योजनाओं या नकदी प्रवाह योजनाकार से विचलित होना या परियोजना कार्यान्वयन, पूर्णता या सुधार में देरी करना। 6.संपत्ति की विश्वसनीयता: आरबीआई द्वारा अनुमोदित एजेंसी से बाहरी क्रेडिट जोखिम रेटिंग प्राप्त करने में देरी/विफलता, जहां भी लागू हो, या नकारात्मक दृष्टिकोण, व्यवसाय की व्यवहार्यता जो वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है, जैसा कि स्वीकृति पत्र में निर्धारित है, जहां भी लागू हो। 7. कैशफ्लो रूटिंग: आवश्यक एस्क्रो खाता खोलने में देरी या नामित खाते के माध्यम से कैश फ्लो को रूट करने में विफलता, स्वीकृति पत्र में निर्धारित, जहां भी लागू हो। 8. बीमा: समय पर संपत्ति का बीमा प्राप्त/नवीनीकृत और पृष्ठांकित नहीं करना और संपत्तियों को सुरक्षित नहीं करना। 9. अतिरिक्त उधार: इस स्वीकृति पत्र के तहत अनुमत अपवादों को छोड़कर, यदि उधारकर्ता एएफएल की सहमति के बिना अतिरिक्त उधार या दायित्व लेता है। 10. जानकारी जमा न करना: निर्धारित समय सीमा के भीतर आवधिक समीक्षा या नवीनीकरण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करना। 11. स्वीकृति पत्र में परिभाषित कोई अन्य महत्वपूर्ण शर्तें।

AXIS FINANCE

(iii)	**भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) /फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा)**	खुदरा बंधक ऋण (एचएल/एलएपी/किफायती आवास और माइक्रो एलएपी) शुल्क लागू हैं, 1. भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) 2.फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा) लागू शुल्क फ्लोटिंग ब्याज दर के अंतर्गत ऋण के लिए 1. यदि प्राथमिक आवेदक एक गैर-व्यक्तिगत है (होम लोन, एलएपी, माइक्रो एलएपी और किफायती आवास के लिए) 2. यदि प्राथमिक आवेदक व्यवसाय के रूप में अंतिम उपयोग वाला व्यक्ति है (होम लोन और किफायती आवास ऋण को छोड़कर) संपत्ति के विरुद्ध ऋण और माइक्रो एलएपी के लिए - 3% + लागू कर होम लोन और किफायती होम लोन के लिए - 2% + लागू कर निश्चित ब्याज दर के तहत ऋण के लिए - 4% + लागू कर (होम लोन, एलएपी, किफायती एचएल और माइक्रो एलएपी के लिए) <u>भाग पूर्व-भुगतान और फौजदारी की शर्तें लागू</u> 1. 12 ईएमआई के क्लीयरेंस के बाद ही भाग पूर्व-भुगतान/फौजदारी की अनुमति होगी। 2. एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार भाग पूर्व-भुगतान की अनुमति होगी और एक वित्तीय वर्ष में केवल 25% तक के पीओएस के पूर्व-भुगतान को ही स्वीकार किया जा सकता है। 3. भाग-पूर्व भुगतान/फौजदारी के रूप में प्राप्त राशि को मूलधन + ब्याज बकाया और भाग पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क के समायोजन के लिए समायोजित किया जाएगा। 4. प्राप्त किसी भी भाग पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन कार्यकाल (डिफ़ॉल्ट) में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई कार्यकाल में कमी, ईएमआई राशि स्थिर रहेगी) *व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए व्यापार के अलावा अन्य उपयोग के लिए, पूर्व-भुगतान और फौजदारी शुल्क और शर्तें लागू नहीं होंगी, यदि ऋण फ्लोटिंग

		दर पर ब्याज के अधीन है।* बिज़नेस लोन भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा) लागू शुल्क - 3% + लागू कर <u>भाग पूर्व-भुगतान और फौजदारी की शर्तें लागू</u> 1. 12 ईएमआई के क्लीयरेंस के बाद ही भाग पूर्व-भुगतान/फौजदारी की अनुमति होगी। 2. एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार भाग पूर्व-भुगतान की अनुमति होगी और एक वित्तीय वर्ष में केवल 25% तक के पीओएस के पूर्व-भुगतान को ही स्वीकार किया जा सकता है। 3. भाग-पूर्व भुगतान/फौजदारी के रूप में प्राप्त राशि को मूलधन + ब्याज बकाया और भाग पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क के समायोजन के लिए समायोजित किया जाएगा। 4. प्राप्त किसी भी भाग पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन कार्यकाल (डिफ़ॉल्ट) में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई कार्यकाल में कमी, ईएमआई राशि स्थिर रहेगी) व्यक्तिगत ऋण भाग - पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक भुगतान की जा रही राशि पर) फौजदारी (पूर्ण पूर्व भुगतान) कुल ऋण बकाया राशि / वर्तमान सीमा (ओवरड्राफ्ट के मामले में उपलब्ध सीमा + उपयोग की गई सीमा) लागू शुल्क - 3% + लागू कर <u>भाग पूर्व-भुगतान और फौजदारी की शर्तें लागू</u> 1. 12 ईएमआई के क्लीयरेंस के बाद ही भाग पूर्व-भुगतान/फौजदारी की अनुमति होगी। 2. एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार भाग पूर्व-भुगतान की अनुमति होगी और एक वित्तीय वर्ष में केवल 25% तक के पीओएस के पूर्व-भुगतान को ही स्वीकार किया जा सकता है।

		3. भाग-पूर्व भुगतान/फौजदारी के रूप में प्राप्त राशि को मूलधन + ब्याज बकाया और भाग पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क के समायोजन के लिए समायोजित किया जाएगा। 4. प्राप्त किसी भी भाग पूर्व-भुगतान के लिए समायोजन कार्यकाल (डिफ़ॉल्ट) में दिया जाएगा और ईएमआई राशि समान रहेगी। (ईएमआई कार्यकाल में कमी, ईएमआई राशि स्थिर रहेगी)

AXIS FINANCE

(iv)	**फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट और इसके विपरीत ऋण स्विच करने के लिए शुल्क**	ऋण बकाया का 1%
(v)	**कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)**	कृपया लिंक- https://www.axisfinance.in/policies-and- standards/schedule-of-charges के माध्यम से हमारे शुल्क कार्यक्रम को देखें

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	**ऋण समझौते का खंड ऋण समझौते से संबंधित वसूली एजेंटों की नियुक्ति** [6]	उधारकर्ता स्वीकार करता है कि डिफ़ॉल्ट के मामले में सुविधा की वसूली के लिए ऋणदाता एक रिकवरी एजेंट (रिकवरी एजेंट) की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। रिकवरी एजेंट आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जो धमकी, उत्पीड़न या अपमानजनक भाषा के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। रिकवरी एजेंट आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अनुमेय घंटों के भीतर काम करेगा और वसूली उद्देश्यों के लिए कोई भी संचार पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर किया जाएगा। ऋणदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता को लगे होने वाले रिकवरी एजेंट के विवरण के बारे में सूचित किया जाए।

2	**ऋण समझौते का खंड जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है** [7]	उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता ने आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। ऋणदाता के निदेशक मंडल ने एएफ़एल (एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड) और उसके ग्राहकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संगठन के भीतर उचित शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित किया है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि ऋण देने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न सभी विवादों को सुना जाए और कम से कम अगले उच्च स्तर पर उनका निपटान किया जाए। ऋणदाता से संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के साथ-साथ आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थानीय कार्यालय का विवरण उधारकर्ता के लाभ के लिए ऋणदाता की शाखाओं/व्यावसायिक लेन-देन वाले स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र प्रक्रिया

AXIS FINANC

		https://www.axisfinance.in/policies-and-standards/fair-practices-code पर उपलब्ध है और नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का संपर्क विवरण इस प्रकार होगा: एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई- 400025, कृपया ध्यान दें: शिकायत निवारण अधिकारी-सुश्री मंगल सारंग, ईमेल आईडी- mangal.sarang@axisfinance.in, मोबाइल नंबर- +91-8655749343
3	**फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी शिकायत निवारण अधिकारी** [8]	एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस हाउस, ग्राउंड फ्लोर, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ली, मुंबई- 400025, कृपया ध्यान दें: नोडल अधिकारी-सुश्री मंगल सारंग, ईमेल आईडी- mangal.sarang@axisfinance.in, मोबाइल नंबर- +91-8655749343
4	**यह ऋण वर्तमान में, या भविष्य में, अन्य प्राप्तकर्ता संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने या सिक्योरिटाईजेशन (सुरक्षीकरण) के अधीन हो सकता है।**	हाँ
5	**सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/ आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**	

मूल आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) का नाम, साथ में अपने वित्तपोषण अनुपात के साथ	भागीदार आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) का नाम उसके साथ वित्त पोषण का अनुपात	मिश्रित ब्याज दर
-	-	-

6. शेड्यूल IV के तहत सुविधा समझौते की सामान्य नियम और शर्तों के खंड 45 के अनुसार
7. शेड्यूल IV के तहत सुविधा समझौते की सामान्य नियम और शर्तों के खंड 46 के अनुसार।
8. आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) एक सामान्य ईमेल आईडी प्रदान कर सकता है, बशर्ते 1 कार्य दिवस के भीतर प्रतिक्रिया दी जाए

6	**डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**
(i) आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) के बोर्ड द्वारा सलाह नीति के अनुसार, कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण का पूर्व-भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा	-
(ii) ऋण सेवा प्रदाता (LSP) जो वसूली एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और उधारीकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत है, का विवरण।	-

ओवरड्राफ्ट / ड्रॉपलाइन सुविधा के लिए

डीओडी/ओडी सुविधा के लिए - उधारकर्ता को दी गई ओडी सुविधा के संबंध में ब्याज की गणना दैनिक आधार पर उधारकर्ता के खाते में दिन के अंत में उपलब्ध ओडी सुविधा से उपयोग की गई राशि के अनुसार की जाएगी। ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से शुरू होकर "हर महीने के अंत" यानी 28/29/30 या 31 (जैसा भी मामला हो) महीने के दिन तक की अवधि के लिए की जाएगी और सुविधा की अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा बाद के कैलेंडर महीने की 5 तारीख तक इसका भुगतान किया जाएगा।
यदि प्रारंभ तिथि महीने के 20वें दिन या उससे पहले है, तो प्रारंभ तिथि से लेकर उस महीने के अंतिम दिन तक प्रारंभिक सीमा लागू होगी। हालाँकि, यदि प्रारंभ तिथि उक्त महीने के 21वें दिन या उसके बाद है, तो प्रारंभ तिथि से लेकर तुरंत बाद वाले महीने के अंतिम दिन तक प्रारंभिक सीमा लागू होगी। उसके बाद, प्रत्येक महीने के लिए, प्रचालन सीमा प्रासंगिक कैलेंडर महीने की पहली तारीख ("सीमा परिवर्तन तिथि") से उसी कैलेंडर महीने की अंतिम तिथि (दोनों समावेशी) तक लागू होगी। प्रचालन सीमा स्वचालित रूप से प्रत्येक सीमा परिवर्तन तिथि पर L/N के बराबर राशि से कम हो जाएगी जहाँ L प्रारंभिक सीमा है और N ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि है, जिसे अनुसूची में महीनों में निर्दिष्ट किया गया है। दृष्टांतः यह मानते हुए कि प्रारंभ तिथि पहले महीने के 20 तारीख को या उससे पहले है, और यदि ओवरड्राफ्ट सुविधा का मूल कार्यकाल 10 महीने है और दी गई प्रारंभिक सीमा 10,00,000/- रुपये (केवल दस लाख रुपये) है, तो अगले महीने के लिए परिचालन सीमा स्वचालित रूप से 10,00,000/10 = 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) कम हो जाएगी और नई परिचालन सीमा (10,00,000 - 1,00,000) = 9,00,000/- रुपये (केवल नौ लाख रुपये) होगी। इसी तरह, अगले महीने के लिए, उधारकर्ता को उपलब्ध परिचालन सीमा में एक और 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) की कमी आएगी, और यह 8,00,000/- रुपये (आठ लाख रुपये) हो जाएगी और इसी तरह आगे भी।

पुनर्भुगतान तिथि	हर महीने की 5 तारीख
सीमा समाप्ति तिथि	हर महीने की पहली तारीख, ब्याज हर महीने के आखिरी दिन जोड़ा जाएगा
सीमा समाप्ति राशि	हर महीने सीमा समाप्ति राशि, स्वीकृत सीमा को ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि से विभाजित करने पर आएगी। उदाहरण - अगर स्वीकृत सीमा 12,00,000 रुपये है और आपकी ऋण अवधि 5 वर्ष (60 महीने) है, तो हर महीने सीमा समाप्ति राशि 20,000 रुपये होगी (12,00,000 / 60)

परिशिष्ट ख

AXIS FINANCE

एपीआर की गणना

सावधिक ऋण के लिए समतुल्य आवधिक किश्तें (ईपीआई) और वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) दिखाए गए हैं। ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा के मामले में, वास्तविक निकासी राशि के आधार पर समतुल्य आवधिक किश्तें (ईपीआई) और वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) अलग-अलग होंगी।

क्र.सं.	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 2 - भाग 1)	Rs.4,00,000
2	ऋण अवधि (वर्षों/ महीनों/ दिनों में) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 4 – भाग 1)	60 महीने
a)	गैर-समान आवधिक ऋणों के मामले में, मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या	-
b)	ईपीआई (समान आवधिक किस्त) का प्रकार प्रत्येक ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की राशि (रुपये में) और ईपीआई (समान आवधिक किस्त) की संख्या (उदाहरण के लिए, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई (समान मासिक किस्त) (की संख्या) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 5 – भाग 1)	मासिक रू.7,893 (ओडी सुविधा के लिए मासिक पुनर्भुगतान राशि मूलधन (सीमा ड्रॉप राशि) और ब्याज शुल्क (उपयोग के आधार पर) होगी) 60 महीने
c)	पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो	-
d)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 5 - भाग 1)	30 दिनों के भीतर
3	ब्याज दर का प्रकार (निश्चित या अस्थायी या संकर) (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 6 - भाग 1)	निश्चित
4	ब्याज की दर (केएफएस टेम्प्लेट का क्रमांक 6 - भाग 1)	15.25% प्रति वर्ष
5	ऋण की पूरी अवधि के दौरान प्रचलित दर के अनुसार लिया जाने वाला कुल ब्याज राशि (रुपये में) (ओडी के मामले में, यह वास्तविक सीमा उपयोग के अधीन है)	Rs.2,09,339
6	शुल्क/प्रभार देय8 (रुपये में)	Rs.10,676
A	देय आरई (प्राप्तकर्ता संस्था) को (केएफएस टेम्प्लेट-भाग 1 का क्र.सं.	Rs.5,900

	8ए)	
B	तृतीय-पक्ष को देय राशि RE (केएफएस टेम्प्लेट का क्र.सं. 8B – भाग 1) के माध्यम से भेजी गई	Rs.4,776
7	कुल वितरित राशि (1-6) (रुपयों में)	Rs.3,89,324
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में) (ओडी के मामले में, यह वास्तविक सीमा उपयोग के अधीन है)	Rs.6,09,339
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) 10 (केएफएस टेम्प्लेट-भाग 1 का क्र.सं. 9)	16.32% प्रति वर्ष
10	शर्तों और नियमों के अनुसार संवितरण का कार्यक्रम	एकल संवितरण की स्थिति में, कोई संवितरण शेड्यूल लागू नहीं होगा क्योंकि उधारकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के अधीन संवितरण एक बार ही होगा। हालाँकि, यदि उधारकर्ता ने कई किश्तों में संवितरण का अनुरोध किया है, तो संवितरण शेड्यूल को https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से डाउनलोड किया जा सकता है या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है।
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि। (ओडी के मामले में, हर महीने की पहली तारीख तक सीमा कम हो जाएगी, महीने की 5 तारीख तक तुरंत भुगतान किया जाएगा)	ईएमआई (समान मासिक किस्त) चक्र तिथि (लागू होने पर 5वीं या 10वीं)

परिशिष्ट सी

सुविधा तालिका के लिए समान आवधिक किस्त के तहत पुनर्भुगतान अनुसूची उसके लिए है (यह तब लागू होता है जब सुविधा एक सावधि ऋण हो)

.

किस्त क्रमांक	बकाया मूल राशि (रुपये में)	प्रिंसिपल (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	किस्त (रुपये में)

AXIS FINANCE

1	400000	4060	6098	10158
2	395940	4316	5842	10158
3	391624	4174	5984	10158
4	387450	4235	5923	10158
5	383215	4866	5292	10158
6	378349	4374	5784	10158
7	373975	4625	5533	10158
8	369350	4511	5647	10158
9	364839	4760	5398	10158
10	360079	4653	5505	10158
11	355426	4724	5434	10158
12	350702	4970	5188	10158
13	345732	4873	5285	10158
14	340859	5115	5043	10158
15	335744	5025	5133	10158
16	330719	5102	5056	10158
17	325617	5662	4496	10158
18	319955	5267	4891	10158
19	314688	5502	4656	10158
20	309186	5431	4727	10158
21	303755	5664	4494	10158
22	298091	5601	4557	10158
23	292490	5687	4471	10158
24	286803	5915	4243	10158
25	280888	5864	4294	10158
26	275024	6089	4069	10158
27	268935	6047	4111	10158
28	262888	6139	4019	10158
29	256749	6613	3545	10158
30	250136	6334	3824	10158
31	243802	6551	3607	10158
32	237251	6531	3627	10158

AXIS FINANCE

33	230720	6745	3413	10158
34	223975	6734	3424	10158
35	217241	6837	3321	10158
36	210404	7045	3113	10158
37	203359	7049	3109	10158
38	196310	7254	2904	10158
39	189056	7274	2884	10158
40	181782	7387	2771	10158
41	174395	7671	2487	10158
42	166724	7616	2542	10158
43	159108	7811	2347	10158
44	151297	7851	2307	10158
45	143446	8042	2116	10158
46	135404	8094	2064	10158
47	127310	8217	1941	10158
48	119093	8401	1757	10158
49	110692	8470	1688	10158
50	102222	8650	1508	10158
51	93572	8728	1430	10158
52	84844	8861	1297	10158
53	75983	9109	1049	10158
54	66874	9136	1022	10158
55	57738	9304	854	10158
56	48434	9418	740	10158
57	39016	9581	577	10158
58	29435	9708	450	10158
59	19727	9856	302	10158
60	9871	9871	146	10017

AXIS FINANCE

ध्यान दें: ऊपर दिया गया पुनर्भुगतान कार्यक्रम स्वीकृत ऋण राशि पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि ब्याज दर और शुल्क की वास्तविक दर आपके सुविधा पर लागू होने वाली दर के अनुसार होगी, जो वितरण की वास्तविक तिथि पर और वितरित राशि और विशिष्ट वितरण शर्तों के अधीन होगी। कृपया अपनी सुविधा के लिए पुनर्भुगतान कार्यक्रम को https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से डाउनलोड करें या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध करें।

संवितरण अनुसूची 9

ध्यान दें: एकल संवितरण के मामले में, कोई संवितरण अनुसूची लागू नहीं है क्योंकि उधारकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के अधीन संवितरण एक बार किया जाएगा। हालाँकि, यदि उधारकर्ता ने कई किश्तों में संवितरण का अनुरोध किया है, तो https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से अपनी सुविधा के लिए संवितरण अनुसूची प्राप्त करें या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध करें।

9 यदि एक ही किश्त है - तो एकल किश्त का उल्लेख करें। यदि कई किश्तें हैं, तो प्रस्तावित कार्यक्रम का उल्लेख करें। यदि प्रस्तावित कार्यक्रम तय नहीं है तो उल्लेख करें "उपलब्धता अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर और समय-समय पर ऋणदाता द्वारा स्वीकार किए जाने पर"।

आपके लिए संवितरण अनुसूची https://customerportal.axisfinance.co.in/lmsmobileweb/react/index.html से प्राप्त करें या ग्राहक सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से अनुरोध करें।

AXIS FINANCE

साक्षी है, इस बात के पक्षकारों ने इन उपहारों को प्रभावी तिथि पर निष्पादित करने का कारण बना दिया है।

ऋणदाता द्वारा अपने अधिकृत अधिकारी/निदेशक श्री ____________ के माध्यम से हस्ताक्षरित और वितरित किया गया एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के लिए।   अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
उधारकर्ता श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित। ___________________________________ अपने पार्टनर/कर्ता/स्वयं के श्री/श्रीमती के माध्यम से। _____________________________________   हस्ताक्षर
उधारकर्ता श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित। ___________________________________ अपने पार्टनर/कर्ता/स्वयं के श्री/श्रीमती के माध्यम से। _____________________________________   हस्ताक्षर
उधारकर्ता श्री/श्रीमती/मेसर्स द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित। ___________________________________ अपने पार्टनर/कर्ता/स्वयं के श्री/श्रीमती के माध्यम से। _____________________________________   हस्ताक्षर
 निष्पादन का स्थान: _________________

AXIS FINANCE

अनुसूची VI

संवितरण के लिए अनुरोध

दिनांक:

सेवा में,
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ("(एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ")
____

विषय: दिनांक __________ के स्वीकृति पत्र के माध्यम से हमारे पक्ष में स्वीकृत सुविधा के संवितरण का अनुरोध

संदर्भ: हमारा आवेदन संख्या _____________________________ दिनांक ___________

प्रिय महोदय/ महोदया,

यह आपके कार्यालय द्वारा मेरी/हमारी सुविधा स्वीकृति के संदर्भ में है और उसी के आगे मैं/हम आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया सुविधा राशि को निम्नलिखित तरीके से वितरित करें:

पक्ष 1:

पक्ष	सुविधा ए/सी सं.	राशि

पक्ष 2:

पक्ष	सुविधा ए/सी सं.	राशि

पक्ष 3:

पक्ष	सुविधा ए/सी सं.	राशि

पक्ष 4:

पक्ष	सुविधा ए/सी सं.	राशि

पक्ष 5:

पक्ष	सुविधा ए/सी सं.	राशि

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि:

1. मैं/हम उपरोक्त के लिए अनुरोध के अनुसार (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा किए गए उपरोक्त संवितरण के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे और उसी के संबंध में कार्यकारी/कार्यकारी होना किए जाने वाले सभी दस्तावेजों के तहत एक सुविधा के रूप में माना जाएगा।
2. ब्याज की गणना मेरे/हमारे खाते में धन की प्राप्ति की तारीख के बावजूद संबंधित संवितरण की तारीख से शुरू होगी।
3. ब्याज का भुगतान मेरे/हमारे द्वारा तब भी किया जाएगा, जब संवितरण राशि का साधन मेरे/हमारे द्वारा बैंक में प्राप्ति के लिए जमा नहीं किया गया है या संवितरण राशि का उपयोग मेरे/हमारे द्वारा नहीं किया गया है।
4. मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं और (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को उल्लिखित/अनुरोधित लाभार्थियों के अनुसार ऋण राशि का पूर्ण या किश्तों में संवितरण करने के लिए अधिकृत करते हैं।

AXIS FINANCE

5. मैं/हम (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के रिकॉर्ड के अनुसार मेरे/हमारे पंजीकृत ईमेल आईडी से प्राप्त पुष्टि/संचार के आधार पर बाद की किश्त भुगतान जारी करने के लिए भी अधिकृत करता/करती हूं।.

उधारकर्ता का नाम

____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/उधारकर्ता के हस्ताक्षर

नोट:

क. बैलेंस ट्रांसफर मामले के अलावा, कृपया ध्यान दें कि वितरण केवल उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम पर रखे गए बैंक खाते में किया जाएगा।
ख. प्रत्येक रद्दीकरण/सुधार/संशोधन के लिए उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जैसा कि ऊपर भरा गया है|

गिरवी के लिए घोषणा

स्थान: _____________ दिनांक: __________

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

____

____

प्रिय महोदय,

मैं/हम श्री/श्रीमती/सुश्री.____ इसके द्वारा पूरी तरह से पुष्टि करते हैं और नीचे लिखे अनुसार घोषणा करते हैं:-

1. मैं/हम कहते हैं कि मैं/हम पूरी तरह से जब्त हैं और उसके पास हैं और/या अन्यथा अच्छी तरह से हकदार हैं, जो अनुसूची ए में विशेष रूप से वर्णित है, नीचे लिखा गया है/यहां संलग्न है (इसके बाद "बंधक संपत्ति (संपत्ति)" के रूप में संदर्भित)।

2. मैं/हम कहता/कहते हैं कि मैं/हमने एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ("(एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ") के प्रधान कार्यालय/शाखा में अनुसूची बी में लिखे गए (इसके बाद "टाइटल डीड्स" के रूप में संदर्भित) के पक्ष में (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा स्वीकृत ऋण राशि की चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में भाग लिया है/भाग लूंगा/लूंगी। मैं/हम आगे बताता/बताते हैं और घोषणा करता/करती हूं कि टाइटल डीड्स (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि के पास जमा कर दिए गए हैं/जमा कर दिए जाएंगे।

3. मैंने/हमने गिरवी रखी गई संपत्ति से संबंधित सभी तथ्यों को (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को बता दिया है और मेरे/हमारे कब्जे और शक्ति में सभी दस्तावेजों और अन्य कार्यों और लेखों को केवल न्यायसंगत बंधक बनाने के इरादे से उपलब्ध कराया है। यदि ऋण सुविधा अन्य वित्तीय संस्थान से मौजूदा ऋण सुविधा के शेष हस्तांतरण के लिए ली गई है, तो लेनदेन के पूरा होने के साथ शीर्षक दस्तावेज जमा किए जाएंगे। मैं/हम आगे पुष्टि करते हैं कि इस संबंध में मेरे/हमारे द्वारा कुछ भी भौतिक नहीं छुपाया गया है, हर तरह से सत्य, पूर्ण और सटीक है और यहां तक कि हमारे द्वारा आपूर्ति/प्रदान की गई सभी और जानकारी भी समान होगी।

4. मैं/हम ही एकमात्र और पूर्ण स्वामी/स्वामी हैं और किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखी गई संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार या प्रकृति का कोई हिस्सा, अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है और मैंने/हमने गिरवी रखी गई संपत्ति का अधिग्रहण किया है मेरे/हमारे स्व-अर्जित धन के साथ (ऋण को छोड़कर)।
5. मैं/हम इसके द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं और वारंट करते हैं कि:

(i) [मैं/हम एक विधिवत संगठित/पंजीकृत/गठित और कंपनी अधिनियम, 2013/भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932/सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882/सहकारी समिति अधिनियम, 1912 या किसी अन्य लागू कानून के तहत विधिवत विद्यमान हैं;

(ii) [मैं/हम भारत का निवासी हूँ/हैं, नाबालिग नहीं, स्वस्थ दिमाग का और कानूनी उम्र का हूँ/हैं और इस घोषणा के प्रावधानों में प्रवेश करने और उसके द्वारा बाध्य होने और गिरवी रखी गई संपत्ति पर प्रभार के निर्माण के लिए निष्पादित प्रासंगिक दस्तावेजों की आवश्यक क्षमता रखता हूँ/रखते हैं। निवास के प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में किसी भी मानसिक स्वास्थ्य कानूनों के तहत मेरे/हममें से किसी के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है या रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है (और

AXIS FINANCE

न ही किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कोई कदम या प्रक्रिया की गई है जो इस घोषणा में प्रवेश करने की उनकी क्षमता या कानूनी क्षमता को प्रतिबंधित करेगी और गिरवी रखी गई संपत्ति पर प्रभार के निर्माण के लिए निष्पादित प्रासंगिक दस्तावेज या किसी तीसरे पक्ष या प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होगी);

(iii) मेरे/हमारे पास इस घोषणा को निष्पादित करने और वितरित करने की शक्ति और अधिकार है और गिरवी रखी गई संपत्ति पर प्रभार के निर्माण के लिए निष्पादित प्रासंगिक दस्तावेज;

(iv) गिरवी रखी गई संपत्ति पर प्रभार के निर्माण के लिए निष्पादित इस घोषणा और प्रासंगिक दस्तावेजों को मेरे/हमारे द्वारा विधिवत निष्पादित और वितरित किया गया है और मेरे/हमारे कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करता है, और मेरे/हमारे खिलाफ लागू करने योग्य है इसमें निहित शर्तों के अनुसार और/या सुविधा समझौते के तहत;

(v) मैंने/हमने प्रासंगिक व्यक्तियों से सभी प्रासंगिक अनुमोदन, प्राधिकरण और सहमति प्राप्त कर ली हैं, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों के लिए शीर्षक कर्मों के जमा के माध्यम से बनाए गए एक वैध और लागू करने योग्य शुल्क के निर्माण और पूर्णता के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता है;

(vi) गिरवी रखी गई संपत्ति पर प्रभार के सृजन के लिए निष्पादित इस घोषणा और संबंधित दस्तावेजों पर संबंधित स्टाम्प कानून के अनुसार विधिवत मुहर लगाई गई है, और इसके संबंध में सभी शुल्क या अन्य करों का भुगतान हमारे द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है; तथा

(vii) मैंने/हमने समयबद्ध तरीके से ऐसी सभी फाइलिंग और पंजीकरण किए हैं और/या करेंगे जो लागू कानून के अनुसार बनाए गए बंधक के निर्माण, पूर्णता या सुरक्षा के संबंध में आवश्यक हो सकते हैं और जैसा कि (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आवश्यक हो सकता है।

(viii) उधारकर्ता/सुरक्षा प्रदाता(ओं) ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 61, 65 और 67A की प्रयोज्यता को माफ कर दिया है।

6. मैं/हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड गिरवी रखी गई संपत्ति पर बनाए गए प्रभार को किसी भी समय लागू करने और सुविधा के तहत देय राशियों की सीमा तक ऐसी राशियों की चुकौती के लिए आय का एहसास करने का हकदार होगा, डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के तुरंत बाद (एस) और इलाज की अवधि की समाप्ति के बाद, जैसा लागू हो, किसी भी वित्त दस्तावेजों के तहत किसी भी उल्लंघन या चूक सहित और/या उधारकर्ता द्वारा किसी भी राशि का भुगतान करने में विफलता, समय पर।

7. मैं/हम इसके द्वारा आगे पुष्टि करते हैं कि यदि ऋण सुविधा का उद्देश्य अचल संपत्ति की ख़रीद है, तो ऋण राशि का उपयोग अचल संपत्ति की ख़रीद के लिए किया जाएगा, तो ऋण राशि का उपयोग केवल अचल संपत्ति की खरीद के लिए किया जाएगा और हस्तांतरण/बिक्री विलेख और/या लेनदेन के अनुसार निष्पादित शीर्षक दस्तावेज बिना किसी देरी के तुरंत (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पास जमा किया जाएगा। इस तरह की जमा इस तरह की अचल संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक बनाने के एकमात्र इरादे से की जाएगी।

8. मैं/हम आपको पुष्टि और आश्वासन देते हैं कि गिरवी रखी गई संपत्ति सभी ग्रहणाधिकार, शुल्क, भार, दावों और मांगों से मुक्त है। गिरवी रखी गई संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से में कोई वैधानिक किरायेदार नहीं है।

9. मैं/हम आपको पुष्टि और आश्वासन देते हैं कि बंधक विलेख के तहत बनाई गई सुरक्षा निरंतर सुरक्षा होगी और किसी भी मध्यवर्ती भुगतान या खाते के निपटान या किसी अन्य मामले के बावजूद पूरी तरह से लागू रहेगी और विशेष रूप से उधारकर्ता द्वारा किसी भी हिस्से की मध्यवर्ती संतुष्टि बकाया राशि और किसी अन्य सुरक्षा गारंटी, ग्रहणाधिकार, क्षतिपूर्ति या अन्य अधिकार या उपाय के अतिरिक्त है जो ऋणदाता अब या उसके बाद बकाया के लिए रख सकता है।

10. मैं/हम आश्वासन देते हैं और घोषणा करते हैं कि गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पास जमा किए गए/जमा किए जाने वाले टाइटल डीड गिरवी रखी गई संपत्ति से संबंधित एकमात्र दस्तावेज हैं।

11. मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने सक्षम अधिकारियों/व्यक्तियों से सभी अनुमतियाँ/अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं जो मुझे/हमें (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में पहली रैंकिंग और अनन्य बंधक बनाने के लिए अधिकृत और सशक्त बनाने के लिए आवश्यक या आवश्यक हैं।

12. मैं/हम कहते हैं कि ऋण के अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के बाद कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जो गिरवी रखी गई संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के निर्माण/खरीद/अधिग्रहण को प्रभावित करेगा।

13. मैं/हम कहता/कहते हैं कि मैं/हम हर समय भवन संरचना सुरक्षा मानदंडों के बारे में खुद को/खुद को जागरूक रखूंगा/रखेंगे और भवन संरचना को सुरक्षित और बरकरार रखने के लिए सभी संभव देखभाल और सावधानी बरतेंगे, यहां तक कि प्राकृतिक आपदा और आपदाओं के मामले में भी। यदि मैं/हम उस भूमि का निर्माण/विकास करने की योजना बनाते हैं, जहां गिरवी रखी गई संपत्ति भूखंड/भूमि का टुकड़ा है। मैं/हम भवन संरचना की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए निर्धारित बीआईएस मानदंडों के अनुपालन और अनुरूपता में भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे।

14. मैं/हम इसके द्वारा सहमत, पुष्टि और वचन देते हैं कि मैं/हम हर समय आवश्यकतानुसार, गिरवी रखी गई संपत्ति के लिए सभी उचित संदेहों, दावों और बाधाओं से मुक्त एक स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक बनाएंगे, और यह कि मैंने/हमने कोई ट्रस्ट नहीं बनाया है इसके संबंध में और यह कि उक्त गिरवी रखी गई संपत्ति खरीद/अधिग्रहण/पट्टे की तारीख से मेरे/हमारे अनन्य निर्बाध और अबाधित कब्जे और आनंद में है, (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड और/या इसके कानूनी सलाहकार और/या (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति की संतुष्टि के लिए।

15. मैं/हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने उक्त संपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने, उप-पट्टे पर देने या अलग करने के लिए कोई समझौता नहीं किया है, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है या उसका कोई हिस्सा या हिस्सा है और यह कि गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में कोई कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है।

16. मैं/हम कहते हैं कि मुझे/हमें गिरवी रखी गई संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के किसी भी इच्छित या अनिवार्य अधिग्रहण की कोई सूचना नहीं मिली है और मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई अधिसूचना नहीं है जो संपत्ति को किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी और/या जारी या प्रकाशित की गई है और न ही गिरवी रखी गई संपत्ति या उसका कोई हिस्सा किसी भी उद्देश्य के लिए आरक्षित है।

17. मैं/हम इसके द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वारंट करते हैं, वचन देते हैं, घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि गिरवी रखी गई संपत्ति शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अधीन नहीं है।

18. मैं/हम इसके द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वारंट करते हैं, वचन देते हैं, घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि यदि गिरवी रखने के बाद मेरे/हमारे द्वारा कोई टाइटल डीड मिलती है, तो ऐसी टाइटल डीड तुरंत (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पास जमा कर दी जाएगी और किसी भी स्थिति में 2 (दो) दिनों के भीतर।

19. मैं/हम कहता हूं कि मैंने/हमने विधिवत भुगतान किया है और दरों, करों, उपकरों, आकलन, राजस्व, शुल्क, शुल्क और सभी अन्य राशियों का विधिवत भुगतान करना जारी रखूंगा/करूंगी जो अभी या बाद में देय नहीं हैं (जैसे और जब वही देय और देय हो जाते हैं) गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में और वर्तमान में ऐसी दरों, करों, राजस्व आदि का कोई बकाया नहीं है और बिक्री कर, आयकर, सरकारी राजस्व और अन्य करों के संबंध में मुझ पर/हम पर कोई कुर्की या वारंट नहीं दिया गया है।

20. मैं/हम यह बताते हैं कि जिस भवन में संपत्ति स्थित है, उस भवन में फ्लैटों की खरीद के लिए एक सोसायटी का गठन आज तक नहीं किया गया है। मैं/हम (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को शेयर प्रमाणपत्रों को वितरित करने और जमा करने का कार्य करते हैं, जो उक्त सोसायटी द्वारा मुझे/हमें/उधारकर्ता को जारी किए जाने वाले शेयरों से संबंधित हैं, और जब उक्त शेयर जारी किए जाते हैं और मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस तरह के वितरण और जमा पर उक्त शेयर प्रमाणपत्र(एस) (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पास जमा किए जाने वाले उक्त टाइटल डीड का हिस्सा बनेगा।

21. मैं/हम आगे कहते हैं कि (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ने मुझे/हमें वित्तीय सुविधाएं दी हैं/देने के लिए सहमत हुए हैं, जो कि यहां दिए गए आश्वासन के आधार पर हैं, अर्थात् मैं/हम नहीं बेचेंगे, हस्तांतरित करेंगे, उपहार देंगे, विनिमय करेंगे, विभाजन करेंगे, गिरवी रखेंगे, चार्ज करेंगे, बंधक बनाएंगे, पट्टे पर देंगे, निपटान करेंगे, अलग करेंगे, किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के हित का निर्माण करेंगे, या किसी भी तरह से गिरवी रखी गई संपत्ति के साथ सौदा करेंगे, जब तक कि सभी संपूर्ण ऋण (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड की संपूर्ण संतुष्टि के लिए पूरी तरह से चुकाया नहीं गया है और (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की गई है।

22. मैं/हम गिरवी रखी गई संपत्ति के अपने/हमारे शीर्षक में किसी भी दस्तावेज़/निर्णय या अव्यक्त/स्पष्ट दोष की कानूनी प्रक्रिया से अवगत नहीं हैं, जो (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मैं/हम एतद्द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से घोषणा करते हैं और संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से गिरवी रखी गई संपत्ति के अपने/हमारे शीर्षक में किसी भी दोष के कारण या मेरी/हममें से किसी की भी चूक के कारण या किसी भी शर्त, खंड, ऋण समझौते की शर्तों या किसी अन्य समझौते और/या मेरे/हमारे या हममें से किसी एक द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ या गिरवी रखी गई संपत्ति या ऋण के संदर्भ में (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, मांग या जोखिम के कारण (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को किसी भी नुकसान, क्षति या जोखिम से मुआवजा देने और उसे पूरी तरह से क्षतिपूर्ति और हानिरहित रखने का वचन देते हैं और (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को किसी भी दावे, जोखिम, क्षति आदि का सामना करने की स्थिति में। मैं/हम (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को ब्याज सहित, किसी भी ऐसे दावे, मांग, जोखिम आदि की राशि, लागत, ब्याज आदि के साथ, जैसा भी मामला हो, आपके अधिकार के बावजूद उक्त ऋण को ब्याज सहित वापस बुलाने के लिए तुरंत प्रतिपूर्ति करेंगे। और (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को देय अन्य राशियां।

23. मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पास इस घोषणा के प्रावधानों पर कार्य करने और उन्हें लागू करने और/या उस संबंध में उचित उपाय अपनाने का अधिकार होगा और उस संबंध में उचित रूप में अलग-अलग रूप में उपाय अपना सकते हैं और इस घोषणा के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे लागू कानूनों के अनुसार। ऋण दस्तावेजों के तहत चूक की घटना के बाद किसी भी समय, (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (अदालत/मध्यस्थ की हस्तक्षेप के साथ या बिना) अपने विवेकाधिकार पर, और बिना कोई कारण बताए, आवंटित, बेच, हस्तांतरण, भारग्रस्त, संप्रेषित, पट्टे, उप-पट्टे, निपटान कर सकता है और/या किसी भी तरह से गिरवी रखी गई संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से से निपटें, ऐसे नियमों और शर्तों पर (बिक्री मूल्य सहित) जैसा कि (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड उचित समझे।

24. मैं/हम इसके द्वारा आश्वासन देते हैं, सहमत होते हैं और वचन देते हैं कि मैं/हम:

(i) अपने स्वयं के खर्च और व्यय पर, ऐसी जोखिमों के खिलाफ ऐसी बीमा प्राप्त, रखरखाव और नवीनीकरण करेंगे, और ऐसी राशि (ओं) के लिए और ऐसी अवधि के लिए और ऐसे फॉर्म (ओं) में जैसा कि (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है, (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के साथ इसमें हानि भुगतानकर्ता के रूप में नामित, ऐसे प्रतिष्ठित बीमाकर्ता (ओं) के साथ जैसा कि (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड लिखित रूप में अनुमोदन करेगा, यहां शीर्षक कर्मों के जमा के माध्यम से बनाए गए प्रभार के संबंध में। मैं/हम (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पास ऐसी सभी बीमाओं को किसी भी कवर नोट और प्रीमिया आदि के भुगतान के साक्ष्य के साथ जमा करेंगे;

(ii) उप-खंड (i) के अनुसार बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा के संबंध में, ऐसे बीमा के संबंध में देय सभी प्रीमियम का समय पर भुगतान करना

(iii) बीमा, और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए या पीड़ित/कारण/अनुमति नहीं देना चाहिए जो ऐसे बीमा को अमान्य कर सकता है;

(iv) इस घटना में कि मैं/हम उपरोक्त बीमा के तहत कोई दावा करने के हकदार हो जाते हैं, ऐसे बीमा के तहत तुरंत दावा करते हैं, और सुविधा के तहत राशियों के पुनर्भुगतान के लिए प्राप्त सभी धनराशि को लागू करते हैं;

(v) यदि मैं/हम उप-खंड (ए) के तहत अपने/हमारे दायित्वों का पालन करने या उनका सम्मान करने में विफल रहते हैं, तो (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड , अपने अधिकारों और देनदारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस तरह के बीमा को प्राप्त करने, बनाए रखने और नवीनीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा, और मैं/हम मांग पर (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को सभी शुल्क, लागत, कमीशन और शुल्क चुकाएंगे जो उनमें से किसी को भी ऐसा करने में हुए हैं;

(vi) (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के प्रतिनिधि(यों) और/या नामांकित व्यक्ति(यों) को गिरवी रखी गई संपत्ति और उसके अन्य परिसरों में प्रवेश करने की अनुमति दें, ताकि गिरवी रखी गई संपत्ति, अन्य संपत्ति, खातों की किताबें और हमारे अन्य प्रासंगिक खाते, दस्तावेज और रिकॉर्ड का निरीक्षण किया जा सके। मैं/हम (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को इस तरह के निरीक्षण के संबंध में किए गए सभी लागतों और खर्चों का तुरंत भुगतान करेंगे;

(vii) यह सुनिश्चित करें कि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्यांकन ((एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आवश्यक ऐसे अंतराल पर) (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नियुक्त/अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाएगा और मूल्यांकन रिपोर्ट (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को प्रदान की जाएगी। मैं/हम इस तरह के मूल्यांकन के संबंध में सभी लागतों और खर्चों को वहन करेंगे और भुगतान करेंगे।

25. मैं/हम यह घोषित, पुष्टि और वचन देते हैं कि मैं/हम:

(i) यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित राजस्व अधिकारी को बंधक संपत्ति पर शीर्षक विलेखों के जमा करने के माध्यम से बंधक के निर्माण के बारे में सूचित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे राजस्व अधिकारी भूमि रिकॉर्ड में (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के नाम के साथ भूमि के न्यायसंगत बंधक का एक नोट प्रमाणित करें और, यदि लागू कानूनों द्वारा आवश्यक हो, तो प्रासंगिक अधिकारियों के साथ बंधक दस्तावेज़ पंजीकृत कराएं;

(ii)वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित (केंद्रीय रजिस्ट्री) नियम, 2011 के तहत एक स्वीकार्य रूप और तरीके से भरे गए प्रासंगिक फॉर्म दाखिल करें, ऐसे नियमों द्वारा आवश्यक रूप से उचित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रमाणित और ऐसे नियमों के तहत निर्धारित समय अवधि के भीतर;

(iii) गिरवी के सृजन की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक विवरण और आवश्यक अनुलग्नकों के साथ भरे गए फॉर्म सीएचजी-। को संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दर्ज करें;

(iv) यदि लागू कानूनों के तहत आवश्यक हो और ऐसे लागू कानूनों के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर, गिरवी रखी गई संपत्ति पर टाइटल डीड जमा करने के तरीके से बनाई गई गिरवी की लिखित रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को दें, जिसके अधिकार क्षेत्र में गिरवी रखी गई संपत्ति स्थित है और इस तरह के प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट की प्राप्ति की लिखित पावती प्राप्त करें;

(v) (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आवश्यकतानुसार (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में अतिरिक्त सुरक्षा बनाएं।

26. मैं/हम ऋण समझौते में किए गए अपने सभी वादों का सम्मान करने और उनका पालन करने के लिए सहमत और वचनबद्ध हैं।

27. मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं, वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि गिरवी रखी गई संपत्ति का उपयोग प्रचलित और लागू कानूनों/उप-कानूनों/नियमों/दिशानिर्देशों आदि के तहत अधिकृत उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

28. मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि उधारकर्ता को बंद करने/दिवालिया करने के लिए या उसके खिलाफ कोई आवेदन नहीं किया गया है या लंबित नहीं है।

29. मैं/हम आगे सहमत हैं और वचन देते हैं कि मैं/हम समय-समय पर सभी शुल्क, लागत, शुल्क और खर्च (सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण और अन्य समान करों सहित) को तुरंत वहन और भुगतान करूंगा/करेंगे, जो कि बंधक के माध्यम से शीर्षक विलेखों और सभी साधनों, समझौतों और दस्तावेजों के जमा के संबंध में देय हैं, या बंधक संपत्ति पर बनाए गए बंधक के तहत या उसके अनुसार निष्पादित किए गए हैं, साथ ही सभी संशोधनों, विविधताओं, पूरक, प्रतिस्थापन आदि के संबंध में देय शुल्क, लागत, शुल्क और खर्च (सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण और अन्य समान करों सहित) बंधक दस्तावेज़।

30. मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं, वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड और/या उसकी समूह कंपनियां और/या सहयोगी मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं जैसा कि वे उचित या आवश्यक समझें, जिसमें किसी भी नियामक प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी प्रकटीकरण करना शामिल है।

31. मैं/हम (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड या उनके सॉलिसिटरों और अधिवक्ताओं द्वारा आवश्यक घोषणाओं, उपक्रमों और अन्य लेखों को देने के लिए सहमत और वचनबद्ध हूं और (एएफएल) एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत सभी अन्य आवश्यकताओं और आवश्यकताओं का संतोषजनक ढंग से पालन करता हूं।

32. और मैं/हम उपरोक्त घोषणाओं और बयानों को बनाते हैं और उपरोक्त उपक्रम को पूरी तरह से और ईमानदारी से मानते हुए देते हैं कि यह सच है और यह जानते हुए कि मेरे/अन्य प्रतिबद्धताओं, वाचाओं, आश्वासनों, अभ्यावेदन आदि के साथ-साथ आपने उक्त ऋण देने के लिए सहमति व्यक्त की है।

33. पक्षकार इसके द्वारा सहमत हैं कि यह घोषणा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के साथ निष्पादित की जा सकती है और सभी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मैनुअल/हस्तलिखित हस्ताक्षर के कानूनी समकक्ष हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पक्षकारों पर वैध और बाध्यकारी होंगे। इस घोषणापत्र पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होने के बावजूद, पक्षकार इस घोषणापत्र से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमति देते हैं। उधारकर्ता और ऋणदाता के प्रतिनिधि के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को या तो ई-प्रमाणपत्र या ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड सत्यापन) के साथ प्रमाणित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

इस __________ दिन _________________ को ________________ पर सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई

____

(हस्ताक्षर)

AXIS FINANCE

अनुसूची – ए

संपत्ति (आईईएस) का विवरण:

सं.	संपत्ति का विवरण (माप के साथ)

अनुसूची – बी

शीर्षक कर्मों का विवरण:

सं.	संपत्ति का विवरण (माप के साथ)

AXIS FINANCE

अनुसूची VII

अंतिम उपयोग घोषणा

दिनांक:

सेवा में,

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ("**एएफएल**")

____

____

विषय: निधियों के अंतिम उपयोग के संबंध में घोषणा

संदर्भ: ऋण संदर्भ संख्या:_____________ ("**सुविधा समझौता**") वाले सुविधा समझौते के तहत सुविधा;

प्रिय महोदय/महोदया,

1. एएफएल द्वारा स्वीकृत सुविधा के संदर्भ में, सुविधा समझौते के अनुसार मुझे/हमें, राशि रु. ____________ ("**सुविधा**") के लिए और जैसा कि स्वीकृति पत्र में कहा गया है, मैं/हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि सुविधा जो मुझे/हमें सुविधा समझौते के तहत स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्य ("**उद्देश्य**") के लिए किया जाएगा:

(क) व्यावसायिक उपयोग के लिए, ___________________________ के लिए

(ख) अन्य उपयोग के लिए, __________________________________ के लिए

(कृपया भरें/चयन करें, जो भी लागू हो)

2. मैं/हम एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त उद्देश्य एक वैध उद्देश्य है और मैं/हम सुविधा या उसके किसी भी भाग का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे।

3. पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मैं/हम एतद्द्वारा वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि सुविधा या उसका कोई भी भाग निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है:

(क) कोई भी सट्टा उद्देश्य या सट्टा व्यवसाय/गतिविधि या अवैध और असामाजिक गतिविधियाँ;

(ख) रियल एस्टेट में सट्टा निवेश;

(ग) प्रतिभूतियों, डिबेंचर या शेयर बाजारों में निवेश;

AXIS FINANCE

(घ) धन उधार देने की गतिविधियाँ;

(ङ) किसी भी व्यक्ति की पूंजी की सदस्यता या खरीद (चाहे इक्विटी या वरीयता शेयरों की सदस्यता या खरीद के माध्यम से, किसी कंपनी/बॉडी कॉर्पोरेट के मामले में, या साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी फर्म के मामले में एक भागीदार के रूप में पूंजी लाना);

(च) किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी किए गए डिबेंचर या किसी अन्य ऋण साधन की सदस्यता या खरीद;

(छ) अंतर-कॉर्पोरेट जमा करना;

(ज) शेयरों या प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के लिए;

(झ) किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए;

(ञ) ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उपभोग/उत्पादन करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए;

(ट) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत निषिद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए;

(ठ) किसी भी अन्य उद्देश्य या गतिविधियों के लिए जिसके लिए सुविधा का विस्तार नहीं किया गया है।

4. मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि निधियों के उपयोग के उद्देश्य को सुविधा समझौते के अस्तित्व के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा।

5. मैं/हम समझते हैं कि सुविधा के तहत निकाली गई धनराशि को स्वीकृति पत्र और/या आवेदन पत्र में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने पर मैं/मेरे भागीदार/मेरे अधिकृत कर्मी (जैसा भी लागू हो) उत्तरदायी होंगे। एएफएल को मेरे/हमारे द्वारा ऐसी किसी भी देयता से क्षतिपूर्ति की जाती है और मैं/मेरे प्रमोटर/मेरे भागीदार/मेरे अधिकृत कर्मी (जैसा भी लागू हो) लागू कानून के तहत या नियामकों या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का पालन करेंगे।

6. मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हैं कि, ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना, एएफएल को सुविधा के उपयोग/अंतिम उपयोग की निगरानी करने का अधिकार होगा, जिसमें किसी भी लेखा परीक्षक (कों) या सलाहकार (कों) के माध्यम से उनसे आवश्यक प्रमाणन के साथ, जैसा कि एएफएल द्वारा अपने एकमात्र विवेक पर मेरे/हमारे खर्च पर नियुक्त किया जा सकता है। एएफएल किसी भी समय अपने विवेक पर मुझे/हमें एक वैधानिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र या एएफएल द्वारा आवश्यक किसी अन्य व्यक्ति से और एएफएल द्वारा आवश्यक रूप और तरीके से, यह प्रमाणित करने के लिए कह सकता है कि सुविधा का उपयोग मेरे/हमारे द्वारा, केवल ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है।

7. सुविधा समझौते की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें धारा 16 भी शामिल है, मैं/हम/मेरे भागीदार/मेरे अधिकृत कर्मी (जैसा भी लागू हो) एतद्द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से एएफएल और उसके अधिकारियों, प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, निदेशकों और एजेंटों को किसी भी दावे, नुकसान या खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं, जो उन्हें निम्नलिखित के परिणामस्वरूप हुआ है: (i) सुविधा का उपयोग पैराग्राफ 1 में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है; (ii) सुविधा का उपयोग पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी के लिए किया जा रहा है; (iii) इस घोषणा की किसी भी शर्त का उल्लंघन।

8. मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे पास इस घोषणा को निष्पादित करने का पूरा अधिकार और प्राधिकार है।

भवदीय,

____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/उधारकर्ता

उधारकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (यदि लागू हो):

____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/सह-उधारकर्ता

सह-उधारकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (यदि लागू हो):

AXIS FINANCE

बंधक विलेख जमा करके बंधक दर्ज करने का ज्ञापन

___________________________ ("उधारकर्ता" और उधारकर्ता का विवरण अनुसूची III में विशेष रूप से वर्णित है) [और व्यक्ति(ओं) _____________________________ ("बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता", बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता का विवरण अनुसूची III में विशेष रूप से वर्णित है)], के द्वारा एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी और CIN U65921MH1995PLC12675 और इसका पंजीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, एक्सिस हाउस, साउथ विंग, नंबर C-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, पोस्ट ऑफिस वर्ली, पुलिस स्टेशन वर्ली, मुंबई-400025 (इसके बाद "ऋणदाता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारियों, हस्तांतरणियों और नवीनीकरणों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा) शीर्षक विलेखों के जमा द्वारा।

20____ के _____ को, उधारकर्ता के निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि और [बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता के निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि होने के नाते] लागू कानून के अनुसार विधिवत अधिकृत [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता, क्रमशः] ने ऋणदाता के अधिकृत प्रतिनिधि होने के नाते ___________________________ से मुलाकात की और शीर्षक कर्म (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) जमा किया।

1. ऋणदाता और उधारकर्ता ने एक सुविधा समझौते ("सुविधा समझौता") पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उधारकर्ता ________________ ("सुविधा") की राशि के लिए एक सुविधा का लाभ उठा रहा है, और सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार (सुविधा समझौता और सामान्य नियम और शर्तों को सामूहिक रूप से "सुविधा की शर्तें" के रूप में संदर्भित किया जाता है)। सुविधा और उधारकर्ता के अन्य दायित्वों को सुविधा की शर्तों के अनुसार सुरक्षित करने के लिए, उधारकर्ता [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] ने अनुसूची-I ("बंधक संपत्ति") में अधिक विशेष रूप से वर्णित अचल संपत्तियों पर ऋणदाता के पक्ष में एक न्यायसंगत बंधक बनाने पर सहमति व्यक्त की है, ऋणदाता के पास बंधक संपत्ति के मूल शीर्षक कर्मों की जमा द्वारा।

2. सुविधा की शर्तों के अनुसार, उधारकर्ता [और गिरवी रखने वाला/सुरक्षा प्रदाता] ने ऋणदाता के पास, शीर्षक विलेखों के दस्तावेज, साक्ष्य, विलेख और लेखन जमा करने पर सहमति व्यक्त की है जो उधारकर्ता [और गिरवी रखने वाले/सुरक्षा प्रदाता] के शीर्षक का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे लिखित अनुसूची - V में अधिक विशेष रूप से प्रदान की गई गिरवी रखी गई संपत्ति पर (इसके बाद सामूहिक रूप से "शीर्षक विलेख" के रूप में संदर्भित) और इस प्रकार गिरवी रखी गई संपत्ति पर सुरक्षा का निर्माण और संपूर्ण गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में सभी विकास अधिकार ऋणदाता के पक्ष में।

3. इस प्रवेश ज्ञापन के अनुसार, जिसके द्वारा दस्तावेजों के जमा करने के माध्यम से बंधक दर्ज किया गया है, उधारकर्ता [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] ने बंधक संपत्ति पर ऋणदाता के पक्ष में एक न्यायसंगत बंधक दर्ज किया है, साथ ही संपूर्ण बंधक संपत्ति के संबंध में सभी विकास अधिकार भी दर्ज किए हैं।

4. उधारकर्ता [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] ने घोषणा की है कि वे गिरवी रखी गई संपत्ति के कब्जे में हैं और शीर्षक कर्म ऋणदाता के पास जमा किए जा रहे हैं, गिरवी रखी गई संपत्ति पर एक बंधक बनाने के इरादे से, सभी विकास अधिकारों के साथ संपूर्ण गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में ऋणदाता के पक्ष में, सुविधा की शर्तों के तहत उधारकर्ता द्वारा अपने सभी ऋणों, अन्य दायित्वों और देनदारियों के निर्वहन के लिए सुरक्षा के रूप में और इसके द्वारा बनाई गई सुरक्षा सुविधा के पुनर्भुगतान तक लागू होगी। उधारकर्ता द्वारा और जब तक उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय और देय सभी राशियाँ सुविधा की शर्तों के अनुसार ऋणदाता द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान और/या प्राप्त नहीं कर ली जाती हैं।

5. उधारकर्ता [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] ने घोषणा की है कि ऋणदाता के पास जमा किए जा रहे शीर्षक कर्मबंधक संपत्ति के संबंध में एकमात्र शीर्षक कर्म हैं जो उधारकर्ता के कब्जे, शक्ति और नियंत्रण में हैं।

6. उधारकर्ता [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] ने यह वचन दिया है कि संपूर्ण बंधक संपत्ति के संबंध में सभी विकास अधिकारों के साथ बंधक संपत्ति सभी भार या प्रभारों से मुक्त है, सिवाय ऐसे भार या प्रभारों के जो ऋणदाता द्वारा ज्ञात और अनुमत हैं और यह कि उधारकर्ता [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] के पास बंधक संपत्ति का स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक है।

7. उधारकर्ता [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] सहमत हुए हैं कि सुविधा के तहत गिरवी रखी गई संपत्ति पर बनाई जाने वाली सुरक्षा ब्याज पहली रैंकिंग शुल्क के माध्यम से होगी।

8. उधारकर्ता [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] ने घोषणा की है कि वे ऋणदाता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में संपूर्ण गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में सभी विकास अधिकारों के साथ गिरवी रखी गई संपत्ति पर कोई और शुल्क नहीं लगाएंगे।

9. उधारकर्ता [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] सहमत हुए हैं और स्वीकार किया है कि सभी वर्तमान और भविष्य के निर्माण, निर्मित क्षेत्र, विकास और इस तरह गिरवी रखी गई संपत्ति में शामिल किए जाएंगे और ऋणदाता के पक्ष में बिना किसी और कार्य या विलेख के सुरक्षित किए जाएंगे।.

10. उक्त टाइटल डीड जमा करते समय, उधारकर्ता [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] घोषणा करता है कि उनके पास अनुसूची-III में उल्लिखित तारीखों के अनुसार [उधारकर्ता के बोर्ड] [और बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता] द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, पूर्वोक्त रूप में बंधक संपत्ति पर एक न्यायसंगत बंधक बनाने की पूरी शक्ति और अधिकार है। आगे कहा गया है कि उक्त प्रस्तावों को किसी भी समय निरस्त या संशोधित या अधिक्रमण नहीं किया गया है और वे पूर्ण रूप से लागू हैं और रहेंगे।

11. उधारकर्ता/सुरक्षा प्रदाता(ओं) ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 61, 65 और 67A की प्रयोज्यता को माफ कर दिया है।

12. उधारकर्ता/सुरक्षा प्रदाता(ओं) ने ऋणदाता को यह पुष्टि और आश्वासन दिया कि बंधक विलेख के तहत बनाई गई सुरक्षा निरंतर सुरक्षा होगी और किसी भी मध्यवर्ती भुगतान या खाते के निपटान या किसी अन्य मामले के बावजूद पूरी तरह से लागू रहेगी और विशेष रूप से उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि के किसी भी हिस्से की मध्यवर्ती संतुष्टि और किसी अन्य सुरक्षा गारंटी, ग्रहणाधिकार, क्षतिपूर्ति या अन्य अधिकार या उपाय के अतिरिक्त है जो ऋणदाता अब या उसके बाद बकाया के लिए रख सकता है।

अनुसूची – I

बंधक संपत्ति का विवरण

(यथा लागू भरा जाना है)

परियोजना के सभी टुकड़े और पार्सल जिसे ____ के नाम से जाना जाता है, सर्वेक्षण संख्या वाली संपत्ति ____________________________________ पर स्थित है ____ ____ और निम्नानुसार घिरा हुआ है:

उत्तर की ओर या उससे आगे:
दक्षिण की ओर या उससे आगे:
पूर्व की ओर या उससे आगे:
पश्चिम की ओर या उससे आगे:

अनुसूची – II

शीर्षक कर्मों का विवरण

(यथा लागू भरा जाना है)

दस्तावेज़ संख्या	निष्पादन/जारी करने की तिथि	दस्तावेज़ का विवरण	मूल/प्रमाणित/फोटो प्रति

अनुसूची – III

ऋणी, बंधककर्ता / प्रतिभूति प्रदाता और ऋणदाता का विवरण

ऋणी का विवरण	
(एमओई) मोड ऑफ ऑपरेशन के कार्यकारी की तारीख और स्थान:	
उधारकर्ता का नाम: उधारकर्ता का अधिकृत प्रतिनिधि: उधारकर्ता का पंजीकृत कार्यालय: (सीआईएन) कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर : संकल्प की तारीख:	
बंधककर्ता/सुरक्षा प्रदाता का विवरण]	
गिरवीदार/सुरक्षा प्रदाता का नाम: गिरवीदार/सुरक्षा प्रदाता का अधिकृत प्रतिनिधि: गिरवीदार/सुरक्षा प्रदाता का पंजीकृत कार्यालय: (सीआईएन) कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर : संकल्प की तारीख: सुविधा का विवरण:	
सुविधा का विवरण:	
सुविधा राशि:	

AXIS FINANCE

<table>
<tr><td colspan="2">ऋणदाता द्वारा अपने अधिकृत अधिकारी/निदेशक श्री ________________________________ के माध्यम से हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता</td></tr>
<tr><td>उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित
श्री/श्रीमती/मेसर्स। _____________________________________ अपने साथी/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के माध्यम से
श्री/श्रीमती _________________________________

हस्ताक्षर</td><td>कंपनी की सामान्य मुहर
(यदि लागू हो)</td></tr>
<tr><td>उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित
श्री/श्रीमती/मेसर्स। _____________________________________ अपने साथी/अधिकृत अधिकारी/निदेशक/स्वयं के माध्यम से
श्री/श्रीमती _________________________________

हस्ताक्षर</td><td>कंपनी की सामान्य मुहर
(यदि लागू हो)</td></tr>
<tr><td>गवाह:

(1) श्री _______________________________</td><td>हस्ताक्षर</td></tr>
<tr><td>(2) श्री _______________________________</td><td>हस्ताक्षर</td></tr>
</table>

AXIS FINANCE